सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन
2018-19

बौद्धिक सम्पदा भारत

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प,
व्यापार चिह्न एवं भौगोलिक उपदर्शन

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन
2018–19

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प, व्यापार चिह्न एवं भौगोलिक उपदर्शन

भारत

अनुक्रमणिका

अध्याय	विषय-वस्तु	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन	3
अध्याय–1	बौद्धिक सम्पदा अधिकार की प्रवृत्ति – एक झलक	7
अध्याय–2	जन सेवा प्रदान – दक्षता और पारदर्शिता	13
अध्याय–3	पेटेंट	25
अध्याय–4	पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी)	49
अध्याय–5	डिजाइन	55
अध्याय–6	व्यापार चिह्न	70
अध्याय–7	चिह्नों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण हेतु मैड्रिड प्रणाली	83
अध्याय–8	भौगोलिक उपदर्शन	89
अध्याय–9	कॉपीराइट	96
अध्याय–10	अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन	100
अध्याय–11	राजीव गाँधी राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम) एवं पेटेंट सूचना पद्धति (पीआईएस)	102
अध्याय–12	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	114
अध्याय–13	(बौद्धिक सम्पदा अधिकार) आईपीआर में प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं बर्हि–क्रियाकलाप	120
अध्याय–14	मानव संसाधन	126

प्राक्कथन

किसी देश में बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) का ढांचा निरंतर विकासशील व गतिशील होता है। कार्यालय राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) नीति के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए सभी सुसंगत व आवश्यक कदम उठा रहा है जिसमें बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) प्रबंधन व प्रशासन को सुदृढ़ करना शामिल है। यह सभी हितधारकों को पहुंच में आसानी सुनिश्चित करेगा, कुशल आईपी पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करेगा और देश में औद्योगिक विकास की गति का निर्माण करेगा।

वर्ष के दौरान, कार्यालय ने पेटेंट व व्यापार चिह्न में तकनीकी मानव संसाधन और बढ़ाने व बौद्धिक सम्पदा आवेदनों पर कार्यवाही में दक्षता, एकरूपता व अनुरूपता और बढ़ाने हेतु कदम उठाए हैं। कार्यालय ने संतुलित और पारदर्शी आईपीआर ढांचा प्रदान करने, आईपी से संबंधित सूचनाओं के प्रसार, देश में बौद्धिक सम्पदा में जागरूकता पैदा करने के लिए तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयासों को जारी रखा।

पेटेंट प्रक्रियाओं को और सरल बनाने के लिए, स्टार्टअप की संशोधित परिभाषा के संबंध में, आवेदकों की आठ और श्रेणियों (मौजूदा दो के अलावा) के लिए शीघ्र परीक्षण की सुविधा का विस्तार, ईपीसीटी फाइलिंग के पारेषण शुल्क व पूर्विक्ता दस्तावेज की प्रमाणित प्रति तैयार करने के शुल्क का अधित्यजन, क्रियान्वित पेटेंट के कथन को संशोधित करना, अर्थात फॉर्म 27, व पीसीटी विनि यमों के अनुसार पूर्विक्ता दस्तावेजों के अंग्रेजी अनुवाद को समय पर जमा करने के प्रावधान के संबंध में पेटेंट नियमों में संशोधन करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है व प्रक्रियाधीन है।

वर्ष के दौरान, भारतीय पेटेंट कार्यालय ने अपने परीक्षण मॉड्यूल में वायपो डिजिटल एक्सेस सर्विसेज (डीएएस) और वायपो सेंट्रलाइज्ड एक्सेस टू सर्च एंड एग्जामिनेशन (सीएएसई) को एकीकृत किया है। इसने राष्ट्रीय चरण के आवेदनों की जांच के दौरान वायपो सीएएसई में उपलब्ध जानकारी का उपयोग करना प्रारम्भ कर दिया है ताकि ऐसे दस्तावेजों को दाखिल करने के लिए आवेदकों पर बोझ को कम किया जा सके। वायपो डीएएस ने अन्य कार्यालयों के साथ भारतीय पेटेंट दस्तावेजों, खोज व परीक्षण रिपोर्टों के आदान–प्रदान की सुविधा प्रदान की है और

दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया है, जिससे बेहतर गुणवत्ता वाले पेटेंट और पेटेंट प्राधिकारियों को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है।

कार्यालय ने जनशक्ति, कार्य निष्पादन, आईपी सेवाओं के वितरण और आईटी–सक्षम कार्यप्रणाली के संदर्भ में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। वर्ष के दौरान, विभिन्न क्षेत्रों में पेटेंट और डिजाइन के 220 परीक्षकों की भर्ती पूरी की गई और उनके प्रवेशन और व्यावहारिक प्रशिक्षण के बाद, वे अगले वर्ष के दौरान संबंधित परीक्षण समूहों में शामिल होंगे। कार्यालय ने पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी प्रथम परीक्षण रिपोर्ट (एफईआर) की सूची का आवधिक प्रकाशन करना, पेटेंट और व्यापार चिह्न के अनुदान/पंजीकरण का प्रमाणपत्र ऑनलाइन देना और वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई प्रारम्भ की है। मैनुअल ऑफ पेटेंट ऑफिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को अद्यतन करने की प्रक्रिया वर्ष के दौरान प्रारम्भ की गई है।

कार्यालय ने हितधारकों की शिकायतों के त्वरित निवारण हेतु प्रक्रियाओं की स्थापना की है। विभिन्न बौद्धिक सम्पदा कार्यालयों (आईपीओ स्थानों) पर हितधारकों की नियमित बैठकों का आयोजन किया गया ताकि प्रक्रियात्मक और तकनीकी मुद्दों पर प्रतिक्रिया/सुझाव प्राप्त हो सके और उनका तुरंत समाधान करने के लिए शीघ्रता से कार्रवाई की गई। आईपीओ हेल्प–डेस्क हितधारकों की ई–फाइलिंग में कठिनाइयों का समाधान शीघ्रता से व दक्षतापूर्वक करता रहा है। गत वर्ष प्रारम्भ की गई एसएमएस अलर्ट सेवा ने परीक्षण रिपोर्ट और उनके द्वारा की जाने वाली समयबद्ध कार्रवाई के बारे में हितधारकों की कुशलता से सेवा करना जारी रखा।

आईपी प्रशासन में सुधार, डिजिटल सुधार और आईपी प्रक्रियाओं की पुनर्रचना के परिणामस्वरूप प्रदर्शन बेहतर, लंबितता में कमी और आईपी आवेदनों के निपटान की दर उच्च हुई है।

दाखिल पेटेंट आवेदनों मे 5.67% की वृद्धि हुई है जबकि घरेलू फाइलिंग में 2017–18 के 32.5% की तुलना 33.6% की वृद्धि हुई है। पेटेंट आवेदनों के परीक्षण में गत वर्ष की तुलना में 41.46% की वृद्धि हुई है, जबकि पेटेंट अनुदान व निपटान में क्रमशः 17.15% व 6.69% की वृद्धि हुई है।

दाखिल करने में 272974 से 323798 की वृद्धि के बावजूद वर्ष के दौरान व्यापार चिह्न आवेदनों के परीक्षण में लंबितता 1 माह से कम रही है। नियमों में संशोधन द्वारा किए गए प्रक्रियात्मक सुधारों के परिणामस्वरूप शुरुआती चरण में व्यापार चिह्न आवेदनों की स्वीकृति में लगभग 50% की वृद्धि हुई है व गत वर्ष की तुलना में व्यापार चिह्न के पंजीकरण में भी वृद्धि हुई है।

डिजाइन में, नए आवेदनों के परीक्षण में लंबितता एक माह के आसपास रही। 2018–19 में, कुल 12585 डिजाइन आवेदन दाखिल किए गए जो गत वर्ष से 6.31% की वृद्धि दर्शाता है। गत वर्ष की तुलना में, परीक्षित डिजाइन आवेदनों की संख्या में 6.8% की वृद्धि हुई, जबकि डिजाइन आवेदनों के निपटान में 5.04% की वृद्धि हुई।

पंजीकरण प्रक्रिया के कम्प्यूटरीकरण और पुनर्रचना के कारण कॉपीराइट के प्रदर्शन में अत्यधिक सुधार हुआ है। वर्ष के दौरान, नए आवेदनों के परीक्षण में लंबितता एक माह रही जो नए आवेदनों पर आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि है। कॉपीराइट आवेदनों को दाखिल करने में 2.3% की वृद्धि हुई है। पारदर्शिता और हितधारकों की भागीदारी को और बढ़ाने के लिए, कॉपीराइट कार्यालय ने माह के दौरान प्राप्त आवेदनों, निपटान व लंबितता को कार्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना प्रारम्भ कर दिया है। आवेदक अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन भी देख सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण (आईएसए) के रूप में भारतीय पेटेंट कार्यालय और मैड्रिड प्रोटोकॉल प्रणाली के तहत व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ है।

कार्यालय ने वैश्विक मंच पर प्रभावी भूमिका निभाने और अन्य आईपीओ के साथ द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वर्ष के दौरान, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वायपो (डब्ल्यूआईपीओ) कॉपीराइट संधि और वायपो (डब्ल्यूआईपीओ) परफोरमर्स एंड फोनोग्राम्स संधि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जो इंटरनेट और डिजिटल वातावरण में कॉपीराइट का विस्तार करता है। दोनों संधियाँ रचनाकारों और स्वत्वधारियों को उनके कार्यों के संरक्षण के लिए तकनीकी उपकरणों का उपयोग करने और उनके उपयोग के बारे में जानकारी की संरक्षा प्रदान करने के लिए ढांचा प्रदान करती हैं, अर्थात् प्रोटेक्षण ऑफ टेक्नोलोजिकल प्रोटेक्षण मैजर्स (टीपीएम) और राइट्स मेनेजमेंट इन्फोर्मेशन (आरएमआई)।

भारतीय और जापानी प्रधानमंत्रियों की बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाइवे (पीपीएच) के कार्यान्वयन के लिए सहमति व्यक्त करते हुए एक आशय का संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। इसको शीघ्र प्रारम्भ करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। भारत ने पीसीटी विनियमों के तहत न्यूनतम प्रलेखन के भाग के रूप में भारत के पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) को शामिल करने के लिए वायपो के पीसीटी कार्यकारी समूह में प्रस्ताव रखा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिह्नों के पंजीकरण के प्रयोजन हेतु वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण से संबंधित नाइस समझौते, इन्टरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द फिगरेटिव एलीमेंट्स ऑफ मार्क्स को स्थापित करने के लिए वियना समझौते और औद्योगिक डिजाइन के अंतर्राष्ट्रीय

वर्गीकरण को स्थापित करने के लिए लोकार्नो समझौते में भारत के अधिमिलन के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन समझौतों में प्रवेश भारतीय बौद्धिक संपदा कार्यालय को वैश्विक वर्गीकरण प्रणालियों के अनुरूप, व्यापार चिह्न और डिजाइन आवेदनों के परीक्षण के लिए वर्गीकरण प्रणालियों के सामंजस्य में मदद करेगा।

वर्ष 2018–19 के दौरान किए गए कार्यों का विस्तृत विवरण इस प्रतिवेदन के आगे के अध्यायों में दिया गया है। अद्यतन बौद्धिक सम्पदा विधान, विभिन्न समारोहों के मुख्यांश व अन्य उपयोगी सूचना हमारी शासकीय वेबसाइट (http//www.ipindia.nic.in) पर उपलब्ध है।

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न प्रक्रियाओं को सरल बनाने, जनशक्ति को मजबूत करने, डिजिटल वातावरण बनाने और सार्वजनिक शिकायतों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए पारदर्शी और आवेदक अनुकूल तरीके से आईपी सेवाओं का समय पर प्रदान सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

(ओम प्रकाश गुप्ता, भा.प्र.से.)

महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न

1. बौद्धिक सम्पदा अधिकार की प्रवृत्ति–एक झलक

परिचय

कार्यालय महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प तथा व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों में विभिन्न बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के संरक्षण हेतु आवेदन दाखिल करने में विगत वर्षों के दौरान उतरोत्तर विकास देखा गया है। विभिन्न बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (आईपीआर) हेतु दाखिल कुल आवेदनों में गत वर्ष के (3,50,546) की तुलना में इस वर्ष (4,05,324) की वृद्धि हुई है, जो समग्र 15% की वृद्धि दर्शाता है। 2017–18 की तुलना में पेटेंट, डिजाइन, व्यापार चिह्न व कॉपीराइट ने वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाई है जबकि भौगोलिक उपदर्शन के लिए दाखिल कुल आवेदनों की संख्या में आंशिक कमी देखी गयी है।

बौद्धिक सम्पदा आवेदन दाखिल करने के संदर्भ में विगत पाँच वर्षों की प्रवृत्ति निम्नवत है:

आवेदन	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पेटेंट	42,763	46,904	45,444	47,854	**50,659**
डिजाइन	9,327	11,108	10,213	11,837	**12,585**
व्यापार चिह्न	2,10,501	2,83,060	2,78,170	2,72,974	**3,23,798**
भौगोलिक उपदर्शन	47	14	32	38	**32**
कॉपीराइट	कॉपीराइट का प्रशासन 2016–17 मे औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग / कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न मे स्थानांतरित किया गया।		16,617	17,841	**18,250**
अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन (एससीआईएलडी)	अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन का प्रशासन 2016–17 मे औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग / कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न मे स्थानांतरित किया गया।		शून्य	02	**शून्य**
कुल	**2,62,638**	**3,55,898**	**3,50,467**	**3,50,546**	**4,05,324**

बौद्धिक सम्पदा गतिविधियों के संबंध मे प्रवृत्ति :

क. पेटेंटः इस वर्ष के दौरान, 50,659 पेटेंट आवेदन दाखिल किए गए जो विगत वर्ष दाखिल आवेदनों की तुलना में लगभग 5.9% की वृद्धि दर्शाता है। दाखिल, परीक्षित, अनुदानित तथा निपटान किए गए पेटेंट आवेदनों के संदर्भ में विगत पाँच वर्षों की प्रवृत्ति निम्नवत् है। आवेदनों के निपटान में पेटेंट कार्यालय द्वारा अनुदानित व अस्वीकृत तथा आवेदकों द्वारा आहरित व परित्यक्त आवेदन शामिल हैं।

पेटेंट आवेदनों की प्रवृत्ति

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
दाखिल	42,763	46,904	45,444	47,854	**50,659**
परीक्षित	22,631	16,851	28,967	60,330	**85,426**
अनुदानित	5,978	6,326	9,847	13,045	**15,283**
निपटान	14,316	21,987	30,271	47,695	**50,884**

गत वर्ष में परीक्षित पेटेंट आवेदनों की संख्या की तुलना में इस वर्ष के दौरान काफी वृद्धि हुई। पेटेंट आवेदनों की घरेलू फाइलिंग में भी 2017–18 में 32.5% की तुलना में 33.6% की वृद्धि हुई।

ख. डिजाइनः वर्ष के दौरान, कुल 12585 डिजाइन आवेदन दाखिल किए गए जो गत वर्ष की तुलना में 6.3% की वृद्धि दर्शाता है। परीक्षित आवेदनों की संख्या 12661 रही जो 6.8% की वृद्धि दर्शाता है। हालांकि, पंजीकृत डिजाइन की संख्या में आंशिक कमी हुई, तथा 2018–19 में 2017–18 की तुलना में डिजाइन आवेदनों के निपटान में 5.8% की वृद्धि हुई।

डिजाइन आवेदनों की प्रवृत्ति

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-2019
दाखिल	9,327	11,108	10,213	11,837	**12,585**
परीक्षित	7,459	9,426	11,940	11,850	**12,661**
पंजीकृत	7,147	7,904	8,276	10,020	**9,483**
आवेदनों का निपटान	7,218	8,023	8,332	10,788	**11,414**

ग. व्यापार चिह्नः इस वर्ष के दौरान, व्यापार चिह्न के पंजीकरण हेतु 323798 आवेदन दाखिल किए गए। इस अवधि के दौरान, परीक्षित आवेदनों की संख्या दाखिल आवेदनो से अधिक थी तथा इस क्षेत्र में लंबितता एक माह से भी कम हो गई है। पंजीकृत व्यापार चिह्न आवेदनों की संख्या में 5.3% की वृद्धि देखी गई।

विगत पाँच वर्षों मे व्यापार चिह्न आवेदनों की प्रवृत्ति

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
दाखिल	2,10,501	2,83,060	2,78,170	2,72,974	**3,23,798**
परीक्षित	1,68,026	2,67,861	5,32,230	3,06,259	**3,37,541**
पंजीकृत	41,583	65,045	2,50,070	3,00,913	**3,16,798**
निपटान	83,652	1,16,167	2,90,444	5,55,777	**5,19,185**

घ. **भौगोलिक उपदर्शनः** प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, कुल 32 आवेदन दाखिल किए गए व 35 का परीक्षण किया गया। कुल 23 भौगोलिक उपदर्शन पंजीकृत किए गए। विगत पाँच वर्षों के दौरान दाखिल, परीक्षित एवं पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की प्रवृत्ति निम्नवत हैं।

विगत पाँच वर्षों में भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की प्रवृत्ति

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
दाखिल	47	17	32	38	**32**
परीक्षित	60	200	28	18	**43**
पंजीकृत	20	26	34	25	**23**

ङ. **कॉपीराइटः** 2018–19 के दौरान, कुल 18250 आवेदन प्राप्त हुए तथा 22658 आवेदनों का परीक्षण किया गया। कॉपीराइट के पंजीकरण (आरओसी) की संख्या 14625 रही, जबकि निपटान किए गए आवेदनों की कुल संख्या 25943 रही व 7951 नवीन विसंगत पत्र जारी किए गए।

2018–19 में कॉपीराइट आवेदन

वर्ष	कुल प्राप्त आवेदन	कुल परीक्षित आवेदन	उत्पन्न किए गए कॉपीराइट के पंजीकरण (आरओसी)	विसंगत पत्र जारी	कुल निपटान
2016-17	16617	16584	3596	12988	5444
2017-18	17841	34388	19997	29309	39799
2018-19	**18250**	**22658**	**14625**	**7951**	**25943**

च. अनुदानित/पंजीकृत बौद्धिक सम्पदा अधिकार की प्रवृत्तिः

विगत 5 वर्षों के दौरान बौद्धिक सम्पदा अधिकार के अनुदान/पंजीकरण की तुलनात्मक प्रवृत्ति निम्नवत है। कोष्ठक में प्रदत्त संख्या कुल निपटान प्रदर्शित करती है।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार की प्रवृत्ति – अनुदानित/पंजीकृत (और निपटान किए गए)

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पेटेंट	5,978 (14,316)	6,326 (20,429)	9,847 (30,271)	13,045 (47,695)	**15,283** **(50,884)**
डिजाइन	7,147 (7,218)	7,904 (8,023)	8,276 (8,332)	10,020 (10,788)	**9,483** **(11,332)**
व्यापार चिह्न	41,583 (83,652)	65,045 (1,16,167)	2,50,070 (2,90,444)	3,00,913 (5,55,777)	**3,16,798** **(5,19,185)**
भौगोलिक उपदर्शन	20	26	34	25	**34**
अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन (एससीआईएलडी)	2016–17 में अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन का औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग/ कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न में स्थानांतरण।		शून्य	शून्य	**शून्य**
कॉपीराइट	2016–17 में कॉपीराइट का औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग/ कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न में स्थानांतरण।		3,596	19,807 (39,799)	**14,625** **(25,943)**

छ. प्रकाशन एवं अनुदान-पूर्व विरोधः

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 11क के तहत 46345 पेटेंट आवेदन प्रकाशित किए गए तथा धारा 25(1) के तहत 426 अनुदान–पूर्व विरोध दाखिल हुए जो कुल प्रकाशित आवेदनों का लगभग 0.9% है। प्रकाशित तथा अनुदान–पूर्व विरोध के लिए दाखिल आवेदनों का ब्यौरा निम्नवत है:

वर्ष	प्रकाशन	अनुदान पूर्व विरोध
2014-15	26,934	247
2015-16	41,752	290
2016-17	86,766	206
2017-18	46,899	260
2018-19	**46,345**	**426**

ज. राजस्व और व्ययः

वर्ष 2018–19 के दौरान अर्जित कुल राजस्व रु. 862.93 करोड़ था, जो विगत वर्ष की तुलना में लगभग 12.1% अधिक है, जबकि कुल व्यय रु. 188.31 करोड़ था।

पेटेंट कार्यालय द्वारा अर्जित कुल राजस्व रु. 515.18 करोड़ था (इसमें आईबी द्वारा आईएसए फीस के रूप में रु. 0.54 करोड़ शामिल हैं), जबकि डिजाइन कार्यालय से रु. 6.05 करोड़ का राजस्व अर्जित हुआ। व्यापार चिह्न रजिस्ट्री ने रु. 341.19 करोड़ का राजस्व अर्जित किया (इसमें आईबी से मैड्रिड प्रणाली के तहत अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण हेतु फीस के रूप में रु. 29.7 करोड़ शामिल हैं), भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री ने रु. 0.07 करोड़ का राजस्व अर्जित किया। पेटेंट सूचना पद्धति और राजीव गाँधी राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन संस्थान ने रु. 0.42 करोड़ का राजस्व अर्जित किया।

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2018–19 के दौरान बौद्धिक सम्पदा (आईपी प्रशासन) से संबंधित राजस्व और व्यय का विवरण निम्न सारणी में प्रदर्शित है।

(i) वर्ष 2017–18 और 2018–19 के दौरान उत्पादित राजस्व का तुलनात्मक विवरण

वर्ष	2017–18 (लाख में रू.)	2018–19 (लाख में रू.)
पेटेंट	47706.62	51518.03
डिजाइन	615.92	605.77
व्यापार चिह्न	28611.35	34119.17
जीआईआर	8.31	7.31
पीआईएस/ आरजीएनआईआईपीएम	30.91	42.70
कुल	**76973.12**	**86292.98**

धन वापसी के प्रावधान के प्रारम्भ होने के उपरांत पिछले तीन वर्षों के दौरान पेटेंट (संशोधन) नियम, 2016 के नियम 7 (4क) के तहत परीक्षण हेतु अनुरोध की फीस वापसी का विवरण इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19
वापस की गई राशि (लाख में रू.)	176.30	456.50	**472.94**

(ii) आईपीओ मे वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए व्यय की तुलना

वर्ष	2017–18 (लाख में रू.)			2018–19 (लाख में रू.)		
	योजना	गैर–योजना	कुल	योजना	गैर–योजना	कुल
सीजीपीडीटीएम	9561.51	5417.49	14979.00	10867.45	7526.48	18393.9
पीआईएस/ आरजीएन आईआईपीएम	122.49	199.89	322.38	178.78	189.89	368.67
जीआई रजिस्ट्री	-	57.42	57.42	-	68.74	68.74
कुल	**9684.00**	**5674.80**	**15358.80**	**11046.2**	**7785.12**	**18831.4**

2. जन सेवा प्रदान – दक्षता और पारदर्शिता

वर्ष 2018–19 के दौरान, आंतरिक आईटी प्रणाली, कम्प्यूटरीकृत कार्य–प्रवाह, आईपी सूचना के प्रसार, उत्पादकता बढ़ाने तथा आईपी से संबन्धित ऑनलाइन सेवाओं, देश में आईपी–पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न द्वारा, बौद्धिक सम्पदा प्रणाली में पारदर्शिता स्थापित करने, बौद्धिक सम्पदा अधिकार पर वैश्विक विकास के साथ तालमेल बनाए रखने और व्यवसाय में सुधार को और अधिक उन्नत करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

वर्ष के दौरान, पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) के तहत दाखिल अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट आवेदन जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण (आईएसए) व अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकरण (आईपीईए) के रूप में भारतीय पेटेंट कार्यालय का चयन किया है, के संबंध में उच्च गुणवत्ता वाली अंतर्राष्ट्रीय खोज और प्रारंभिक परीक्षण रिपोर्ट (आईएसआर व आईपीईआर) जारी करने के लिए निर्धारित समय सीमा का कड़ाई से पालन किया गया। 99% से अधिक आवेदनों में, अंतर्राष्ट्रीय खोज रिपोर्ट (आईएसआर) नियत समय पर जारी की गईं।

वायपो के पीसीटी कार्यकारी समूह के दौरान, भारत ने पीसीटी विनियमों के तहत भारत के पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) को न्यूनतम प्रलेखन के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है।

वायपो द्वारा प्रशासित मैड्रिड प्रोटोकॉल के तहत ''उद्गम कार्यालय'' के साथ–साथ ''नामित करार पार्टी कार्यालय'' के रूप में व्यापार चिह्न रजिस्ट्री, मुंबई के कार्य को मैड्रिड प्रणाली के तहत एक ही आवेदन के माध्यम से विभिन्न देशों में भारतीय आवेदकों को व्यापार चिह्न का संरक्षण और भारत में व्यापार चिह्न को अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण प्रदान करने के लिए और अधिक सुव्यवस्थित किया गया है।

जन सेवा प्रदान को व्यवस्थित बनाने, बौद्धिक संपदा कार्यालयों की कार्यप्रणाली में दक्षता व पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए, वर्ष के दौरान उठाए गए कदमों का सारांश निम्नलिखित पैराग्राफ में दिया गया है:

1. **पेटेंटः** पेटेंटः पेटेंट नियमों में संशोधन और प्रक्रियात्मक सुधार जो वर्ष के दौरान किए गए हैं, वे निम्नलिखित पैराग्राफ में समझाए गए हैंः

1.1. पेटेंट नियमों में संशोधनः

(i) 2016 में लागू किए गए पेटेंट (संशोधन) नियमों के क्रम में, जिसके परिणामस्वरूप पेटेंट कार्यालय के कामकाज में कई सकारात्मक बदलाव हुए जिसके फलस्वरूप पेटेंट प्रक्रियाओं का सरलीकरण हुआ व आईटी सक्षमता में सुधार हुआ। 1 दिसंबर, 2017 को स्टार्टअप की संशोधित परिभाषा प्रदान करने के लिए पेटेंट नियमों में और संशोधन किया गया, यथा "स्टार्टअप" का अर्थ स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त भारत में एक इकाई है। विदेशी इकाई के मामले में, स्टार्टअप इंडिया पहल के अनुसार टर्नओवर और निगमन पंजीकरण की अवधि को पूरा करने वाली और उस प्रभाव की घोषणा प्रस्तुत करने वाली इकाई होगी।"

(ii) वर्ष के दौरान, शीघ्र परीक्षण की सुविधा को मौजूदा दो श्रेणी के अलावा अन्य आवेदकों की श्रेणियों में विस्तारित करने के लिए पेटेंट नियमों में और संशोधन प्रस्तावित किए गएः

- यह कि आवेदक एक स्टार्ट–अप है; अथवा
- यह कि आवेदक एक लघु अस्तित्व है; अथवा
- यह कि यदि आवेदक प्रकृत व्यक्ति है अथवा संयुक्त आवेदकों के संबंध मे, सभी आवेदक प्रकृत व्यक्ति हैं, तो आवेदक अथवा आवेदकों में कम से कम एक महिला है; अथवा
- यह कि आवेदक सरकारी विभाग है; अथवा
- यह कि आवेदक केंद्रीय, प्रांतीय अथवा राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित संस्थान है, जो सरकार के स्वामित्व में है अथवा उसके द्वारा नियंत्रित है; अथवा
- यह कि आवेदक कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा (2) के खंड (45) में यथा परिभाषित सरकारी कंपनी है; अथवा
- यह कि आवेदक सरकार द्वारा पूर्णतः अथवा सारवान रूप से वित्तपोषित संस्थान है; अथवा

- यह कि आवेदन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित सेक्टर से संबंधित है, जो केंद्रीय सरकार के विभागाध्यक्ष के अनुरोध पर आधारित है, परंतु ऐसी किसी भी अधिसूचना से पहले सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की जाएंगी; अथवा

- यह कि अन्य प्रतिभागी पेटेंट कार्यालय और भारतीय पेटेंट कार्यालय के बीच करार के अनुरूप पेटेंट आवेदन पर कार्यवाही हेतु आवेदक पात्र है।

(iii) अंतर्राष्ट्रीय आवेदन के लिए पारेषण शुल्क (ई–पीसीटी फाइलिंग के लिए) और वायपो डीएएस के माध्यम से पूर्विक्ता दस्तावेज और ई–ट्रांसमिशन की प्रमाणित प्रति की तैयारी में लगने वाले शुल्क को माफ किया जाना प्रस्तावित था।

(iv) क्रियान्वित पेटेंट के कथन, अर्थात फॉर्म 27, व पूर्विक्ता दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद को समय पर प्रस्तुत करने के प्रावधान को शामिल करना जिससे पीसीटी विनियमों के अनुसार पूर्विक्ता की तारीख सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए नियमों को संशोधित करने के और प्रस्तावों को मंत्रालय भेजा गया है।

1.2. प्रक्रियात्मक सुधारः

वर्ष के दौरान, कार्यालय ने पेटेंट कार्यालय के कामकाज को प्रक्रियाओं की पुनर्रचना द्वारा सुव्यवस्थित करने के अपने मिशन को जारी रखा जिसमें और डिजिटल पहलें, प्रयोक्ता–अनुकूलता और पारदर्शिता में सुधार शामिल है।

वर्ष के दौरान किए गए प्रक्रियात्मक सुधारों में शामिल हैं:–

- वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में पेटेंट और डिजाइन के 220 नए परीक्षकों की भर्ती पूरी की गई। आरजीएनआईआईपीएम नागपुर में आरंभिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण के बाद, वे अगले वर्ष की दूसरी तिमाही में नियमित परीक्षण कार्य में शामिल होंगे। इसके परिणामस्वरूप पेटेंट आवेदनों के परीक्षण और निपटान में तेजी आएगी,
- कार्यालय ने पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी प्रथम परीक्षण रिपोर्ट (एफईआर) की सूची का आवधिक प्रकाशन प्रारम्भ किया है,
- पेटेंट अनुदान के प्रमाणपत्र को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा आवेदक के ई–मेल पर वितरण प्रारम्भ किया गया है,
- हितधारकों के लाभ के लिए आईपीओ वेबसाइट पर कार्यालय की कार्यपद्धति से संबंधित मुद्दों के संबंध में प्रतिपुष्टी / सुझाव / शिकायतें दर्ज करने के लिए तंत्र स्थापित किया गया है।

- आईपीओ हेल्प–डेस्क ने हितधारकों की ई–फाइलिंग कठिनाइयों का शीघ्रता और कुशलता से समाधान करना जारी रखा है।
- वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंगः वर्ष के दौरान, सुनवाई के लिए वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा को आवेदक / एजेंट के स्थान से सीधे पेटेंट कार्यालय में सुनवाई की सुविधा के लिए उन्नत किया गया। इसके अतिरिक्त, नियंत्रक अब अपने डेस्कटॉप / लैपटॉप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई का संचालन कर सकते हैं।
- गत वर्ष प्रारम्भ की गई एसएमएस अलर्ट सेवा ने हितधारकों की सेवा को कुशलतापूर्वक जारी रखा जिससे उन्हें परीक्षण रिपोर्ट और उनके द्वारा समयबद्ध कार्रवाइयो के विषय में अद्यतन सूचना प्राप्त हो सके।
- मैनुअल ऑफ पेटेंट ऑफिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को अद्यतन करने के उद्देश्य से गठित समिति द्वारा कार्य प्रारम्भ किया गया।

1.3 नियमों में संशोधन और प्रक्रियात्मक सुधारों का भारत के पेटेंट ढांचे में प्रभावः

- 2018–19 के दौरान, 2017–18 की तुलना में भारत में पेटेंट गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में सुधार देखा गया। जहां पेटेंट आवेदन दाखिल करने में 5.67% की वृद्धि हुई वहीं परीक्षित आवेदनों की संख्या में 41.59% की वृद्धि हुई है। परीक्षण उपरांत प्रदर्शन भी काफी हद तक बढ़ गया, अर्थात 2017–18 की तुलना में पेटेंट अनुदान की संख्या में 17.15% की वृद्धि हुई और आवेदनों के अंतिम निपटान में 6.69% की वृद्धि हुई है। 2018–19 में पेटेंट आवेदनों की घरेलू फाइलिंग 2017–18 के 32.5% से बढ़कर 33.6% हो गई।
- अद्यतन इलेक्ट्रॉनिक कार्य–प्रवाह और तकनीकी जनशक्ति अर्थात पेटेंट और डिजाइन परीक्षकों व नियंत्रकों के संवर्धन की मदद से आउटपुट बढ़ाकर पेटेंट आवेदनों के प्रसंस्करण में लंबितता को कम करने के लिए वर्ष 2018–19 के दौरान व्यवस्थित प्रयास किए गए हैं। वर्ष के दौरान, ठोस प्रयासों के साथ पेटेंट आवेदन के परीक्षण में लंबितता को परीक्षण हेतु अनुरोध दाखिल होने की तारीख से नीचे लाया गया है और आने वाले वर्ष में इसे प्रमुख आईपी कार्यालयों के बराबर लाने का इरादा है।

2. व्यापार चिह्नः

2.1 नियम संशोधनः

व्यापार चिह्न नियम, 2017 के प्रावधानों के कारण सुधारः व्यापार चिह्न प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और सरल बनाने और हितधारकों को निम्नलिखित लाभ प्रदान करने के लिए व्यापार चिह्न

नियम, 2017, 6 मार्च, 2017 से लागू किए गए हैं:–

- फॉर्म की संख्या 74 से घटाकर 8 कर दी गई है,
- सभी प्रकार के व्यापार चिह्न आवेदनों के लिए एक आवेदन फॉर्म का प्रावधान,
- स्टार्टअप, वैयक्तिक और लघु उद्यमों को रियायतें प्रदान की गईं,
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई अनुमत्त की गई,
- सेवा के रूप में ईमेल का समावेश,
- सुनवाई के स्थगन की संख्या दो तक प्रतिबंधित, इस प्रावधान के साथ कि प्रत्येक स्थगन तीस से अधिक दिनों के लिए नहीं होना चाहिए,
- आवेदन को ऑनलाइन दाखिल करने पर निर्धारित शुल्क में 10% की रियायत,
- शुल्क (वैयक्तिक / स्टार्टअप / लघु उद्यमों के लिए कम शुल्क) के भुगतान पर संपूर्ण व्यापार चिह्न प्रक्रिया के लिए शीघ्र कार्यवाही की अनुमति देना,
- शपथपत्र और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए विस्तार दाखिल करने का प्रावधान हटाया गया है ताकि निपटान में तेजी लाई जा सके।

2.2 प्रक्रियात्मक सुधार:

वर्ष के दौरान, प्रक्रियात्मक सुधार व व्यापार चिह्न प्रक्रिया की पुनर्रचना से निम्नलिखित सुधार हुए हैं:

- व्यापार चिह्न हेतु माल और सेवाओं के वर्गीकरण की ऑनलाइन खोज सुविधा को, जो पहले से ही व्यवहार में है, वर्ष के दौरान अद्यतन किया गया है ताकि खोज प्रणाली को कारगर बनाया जा सके।
- परीक्षण के लिए आवेदनों का आवंटन उनकी वरिष्ठता के क्रम में स्वचालित रूप से किया जाता है। इस प्रकार, व्यापार चिह्न आवेदनों के परीक्षण से संबंधित कार्यों में कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है।

2.3 पंजीकरण हेतु प्रक्रिया का स्वचालन :

- पूर्व मानवीय प्रक्रिया द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रेषण में लंबितता से बचने के लिए, व्यापार चिह्न की पंजीकरण प्रक्रिया को स्वचालित कर दिया गया है। परिणामस्वरूप, प्रकाशन के बाद निर्दिष्ट समय पूरा होने के उपरांत, पंजीकरण प्रमाणपत्र स्वचालित रूप से संसाधित होते हैं और आवेदक के निर्दिष्ट ईमेल–आईडी पर भेज दिए जाते

हैं और यह व्यापार चिह्न रजिस्ट्री (टीएमआर) द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर में भी अपलोड हो जाता है। इस परिवर्तन ने इस स्तर पर लंबितता को एक महीने से कम करने में मदद की है और आवेदकों को भी काफी हद तक मदद की है।

- नवीनीकरण की प्रक्रिया को भी स्वचालित कर दिया गया है जहां नवीकरण अनुरोध (निर्धारित समय में दाखिल), संसाधित हो जाता है और वैधता तिथि अद्यतन हो जाती है।
- इस वर्ष के दौरान सरकारी वेबसाइट www.ipindia.nic.in में प्रत्येक सोमवार को व्यापार चिह्न रजिस्ट्री जर्नल में पंजीकृत और दाखिल व्यापार चिह्न आवेदनों के विवरण को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित करने हेतु और सुव्यवस्थित किया गया।
- आधिकारिक पत्र आवेदक या उसके द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता के ईमेल आईडी पर व्यापार चिह्न रजिस्ट्री द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किए जाते हैं।
- उपयोगकर्ताओं के लाभ हेतु वेबसाइट पर सुनवाई सूचना और स्थगन संबंधी विवरण उपलब्ध कराए गए हैं।
- व्यापार चिह्न प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक सुधारों और पुनर्रचना के परिणामस्वरूप, व्यापार चिह्न आवेदनों के परीक्षण में लंबितता लगभग 14 महीने से कम होकर 1 महीने हो गई है। इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां कार्यालय कोई आपत्ति नहीं करता है और कोई तीसरा पक्ष विरोध नहीं करता है, पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन पत्र दाखिल करने के 7 महीने के भीतर जारी किए जाते हैं।

3. डिजाइनः

- बेहतर कामकाज की सुविधा के लिए नए डिजाइन आवेदनों के लिए ई–फाइलिंग सुविधा को और अद्यतन किया गया।
- नए आवेदनों के परीक्षण मे लंबितता दाखिल करने की तिथि से लगभग एक माह के भीतर लायी गयी है।
- वर्ष के दौरान, संशोधित आवेदनों की लंबितता को काफी हद तक कम करने के उपाय किए गए हैं।
- 2017–18 की तुलना में 2018–19 के दौरान, आवेदन दाखिल करने में 6.3% की वृद्धि हुई और आवेदनों के निपटान की संख्या में 5.8% की वृद्धि हुई है।

4. भौगोलिक उपदर्शनः

- भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री (जीआईआर) को 15 मार्च, 2003 से 31 मार्च, 2019 तक

भौगोलिक उपदर्शन के पंजीकरण हेतु 645 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 343 भौगोलिक उपदर्शन पंजीकृत किए गए हैं।

- परीक्षण और पंजीकरण में लंबितता हटाने के लिए वर्ष के दौरान आवश्यक कदम उठाए गए। परिणामस्वरूप, 43 भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों का परीक्षण किया गया और वर्ष के दौरान 23 भौगोलिक उपदर्शन पंजीकृत किए गए हैं।
- जीआईआर प्राधिकृत उपयोक्ताओं के पंजीकरण में तेजी लाया और कुल 3607 प्राधिकृत उपयोक्ता पंजीकृत किए गए।

5. कॉपीराइटः

- कॉपीराइट कार्यालय को एमओएचआरडी से डीआईपीपी (डीपीआईआईटी) में स्थानांतरित किया गया और तत्पश्चात 2016–17 में कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया गया। तब से, डिजिटलीकरण, पंजीकरण प्रक्रियाओं की पुनर्रचना और जनशक्ति के उन्नयन के माध्यम से कॉपीराइट कार्यालय की कार्यपद्धति को सुदृढ़ बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। वर्ष के दौरान, 2017–18 की तुलना में आवेदन दाखिल करने में 2.29% की वृद्धि हुई है।
- कॉपीराइट आवेदनों के परीक्षण में लंबितता 1 माह से भी कम हो गई है, जो मार्च 2017 से पूर्व 13 महीने थी।
- पारदर्शिता और हितधारकों की भागीदारी को और बढ़ाने के लिए, कॉपीराइट कार्यालय ने माह के दौरान प्राप्त आवेदन और निपटान और लंबितता को कार्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना प्रारम्भ कर दिया है। आवेदक अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन भी देख सकते हैं।

6. आईसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर और बौद्धिक सम्पदा कार्यालय में महत्वपूर्ण सुधार :

6.1 आईटी सेवाओं का उन्नयनः

- वर्ष के दौरान, सभी आईटीओ स्थलों पर भौतिक व आईटी अवसंरचना और संबंधित सेवाओं को उन्नत किया गया ताकि वह बढ़ी हुई जनशक्ति और कम्प्यूटरीकरण, बौद्धिक सम्पदा कार्यालयों की आईटी–सक्षमता की मांगो का सामना कर सके जिससे आईपी आवेदनों के प्रसंस्करण में तेजी लायी जा सके।

6.2 व्यापक ई-फाइलिंग सुविधाएं

- भुगतान गेटवे सुविधा के साथ पेटेंट, व्यापार चिह्न व डिजाइन के लिए व्यापक ई–फाइलिंग

सुविधा 24×7 आधार पर उपलब्ध है। पेटेंट व डिजाइन के अनुरूप व्यापार चिह्न (संशोधन) नियम 2017 के माध्यम से व्यापार चिह्न हेतु शुल्क में 10% रियायत उपलब्ध कराई गई है। बौद्धिक सम्पदा कार्यालयों की कुशल ऑनलाइन फाइलिंग सेवाओं ने न केवल कार्यालय को प्रदर्शन में सुधार करने में सक्षम बनाया है, बल्कि इसके परिणामस्वरूप हितधारकों ने ऑनलाइन आईपी सेवाओं की अभूतपूर्व मांग भी की है। पेटेंट में ऑनलाइन फाइलिंग 90% से अधिक है और व्यापार चिह्न में यह लगभग 86% है। इसके अलावा, हितधारकों की ई–फाइलिंग संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए, एक विशेष आईपीओ सहायता समूह स्थापित किया गया है।

6.3 बहु आयामी वेबसाइट और सूचना प्रसार:

- विषयवस्तु को सुधारने और पहुंच में आसानी के लिए आईपीओ वेबसाइट को पुनः बदल दिया गया है और इसे अधिक अन्योन्यक्रियात्मक (इंटरेक्टिव), सूचनात्मक और नेविगेट करने में आसान बना दिया गया है। पेटेंट, डिजाइन, व्यापार चिह्न व भौगोलिक उपदर्शन की फाइलिंग व कार्यवाही के संबंध में वास्तविक समय आधार पर आईपी डाटा उपलब्ध कराया जाता है। हितधारकों को आईपी सूचना प्रसार के लिए वेबसाइट लॉगिन–मुक्त खोज सुविधा प्रदान करती है। वर्ष के दौरान, वेबसाइट के माध्यम से गतिशील वेब–आधारित नवीन उपयोगिताओं को प्रदान करके सूचना के प्रसार में और सुधार किया गया।

7. हितधारक परामर्श बैठकें:

- हितधारकों के साथ नियमित बैठकें विभिन्न आईपीओ स्थानों पर आयोजित की जाती हैं ताकि आईपी नियमों में संशोधनों से संबंधित प्रक्रियात्मक और तकनीकी मुद्दों को समझने और हल करने, प्रक्रियाओं की पुनर्रचना, माड्यूल–आधारित कार्य–प्रवाह, प्रणालीगत उन्नयन, हितधारकों के साथ संचार और सार्वजनिक शिकायतों का समाधान हो सके।
- वर्ष के दौरान, सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के साथ हितधारकों की बैठकें दिल्ली में आयोजित की गईं। बैठक के दौरान, बहुत सारे सुझाव प्राप्त हुए और मुद्दों को हल करने के लिए की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट कार्यालय द्वारा आधिकारिक वेबसाइट में प्रकाशित की गई।

8. प्रतिक्रिया तंत्र:

1 मार्च, 2017 से बौद्धिक सम्पदा कार्यालय की वेबसाइट www.ipindia.nic.in पर प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित किया गया है, जिससे हितधारकों को कार्यालय की कार्यप्रणाली से संबन्धित मुद्दों के संबंध में प्रतिक्रिया और सुझाव दर्ज करने, शिकायत व सामान्य प्रश्न में

मदद मिलती है। बौद्धिक सम्पदा कार्यालय मेँ हितधारकों के सुझाव/शिकायतों को तुरंत सुलझाने के लिए विशिष्ठ समूह तैयार किया गया है जो तुरंत कार्यवाही करता है और ई–मेल के माध्यम से संबन्धित व्यक्ति को जवाब सूचित करता है।

9. बौद्धिक सम्पदा अधिकार के बारे में जागरूकता:

बौद्धिक सम्पदा कार्यालय नियमित रूप से आईपी प्रक्रियाओं के संबंध में वास्तविक और संभावित आईपी हितधारकों के लिए देश में सीआईपीएएम (डीपीआईआईटी) व और औद्योगिक संगठनों जैसे सीआईआई, फिक्की (एफआईसीसीआई), असोचम, पीएचडी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, सीडबल्यूईआई आदि के सहयोग से बौद्धिक सम्पदा अधिकार के बारे में जागरूकता और सार्वजनिक बहिर्क्रियाकलाप गतिविधियों में भागीदारी के माध्यम से सूचना और ज्ञान के प्रसार में व्यस्त है। आईपीआर हेल्प–डेस्क व ई–मेल के माध्यम से ऑनलाइन मार्गदर्शन प्रणाली प्रत्येक बौद्धिक सम्पदा कार्यालय स्थल पर उपलब्ध है। आईपीओ अधिकारी नियमित रूप से इन कार्यक्रमों में संसाधन व्यक्तियों के रूप में भाग लेते हैं और विश्वविद्यालयों और अन्य हितधारकों के साथ आयोजित कार्यशालाओं / संगोष्ठियों में भी भाग लेते हैं।

10. स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के लिए पहल:

- स्टार्टअप आवेदकों को उनके बौद्धिक सम्पदा आवेदनों के संबंध में पर्याप्त शुल्क रियायत प्रदान की जाती है। हाल में हुए पेटेंट और व्यापार चिह्न नियमों में संशोधन के अनुसार, पेटेंट आवेदन के लिए 80% शुल्क रियायत तथा व्यापार चिह्न आवेदन के लिए 50% शुल्क रियायत दाखिल करते वक्त व बाद की सभी प्रक्रियाओं में उपलब्ध है।
- भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया पहल के अनुरूप, इस कार्य के लिए नामित नोडल एजेंसी, उद्योग संवर्धन व आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने "स्टार्ट अप बौधिक सम्पदा संरक्षा (एसआईपीपी) सुविधा हेतु योजना" की शुरुआत बौद्धिक सम्पदा अधिकार संरक्षा प्रोत्साहित करने के लिए की। यह योजना, जो प्रारम्भ में 31 मार्च, 2017 तक लागू थी, इसे अगले 3 वर्षों के लिए विस्तारित कर दिया गया है। इस योजना में स्टार्टअप को उनके पेटेंट, डिजाइन व व्यापार चिह्न आवेदन को दाखिल करने/आगे की प्रक्रिया हेतु सुविधा प्रदाता प्रदान करना व सुविधा प्रदाता के व्यावसायिक शुल्क की प्रतिपूर्ति शामिल है। पेटेंट, डिजाइन व व्यापार चिह्न के सुविधा प्रदाताओं की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गयी है तथा कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न ने एसआईपीपी योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। स्टार्ट अप के प्रश्नों का हल करने के लिए ई–मेल व हेल्प डेस्क के माध्यम से आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है।

11. अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट दाखिल करने के लिए सुविधाएं:

अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो और अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरणों को पीसीटी आवेदनों के लिए शुल्क के प्रसारण में देरी से बचने के लिए पीसीटी आवेदन शुल्क के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान गेटवे प्रारम्भ किया गया है।

12. वायपो सीएएसई व वायपो डीएएस:

- बौद्धिक सम्पदा कार्यालय के लिए जनवरी 2018 से वायपो सीएएसई के साथ–साथ वायपो डीएएस दोनों कार्यात्मक हैं। भारतीय पेटेंट कार्यालय वायपो–इंडिया सहयोग समझौते के तहत वायपो सेंट्रलाइज्ड एक्सेस टू सर्च एंड एग्जामिनेशन सिस्टम (वायपो सीएएसई) और वायपो डिजिटल एक्सेस सर्विस (डीएएस) के लिए एक्सेसिंग और डिपॉजिटिंग ऑफिस बन गया है।

  डब्ल्यूआईपीओ डिजिटल एक्सेस सर्विस (डीएएस) भागीदार पेटेंट कार्यालयों से आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्राथमिकता दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों को प्रस्तुत करने के लिए आसान, सुरक्षित, त्वरित और सस्ती प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करता है, जो पेटेंट कार्यालय के अलावा आवेदकों, हितधारकों और सामान्य रूप से जनता को लाभान्वित करेगा। डब्ल्यूआईपीओ डिजिटल एक्सेस सर्विस (डीएएस) की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

  - आवेदक प्रथम फाइलिंग के कार्यालय से पूर्विक्ता दस्तावेज डिजिटल एक्सेस सर्विस (डीएएस) प्रणाली में जमा करने / पूर्विक्ता दस्तावेज जोड़ने के लिए अनुरोध कर सकते हैं, और दूसरी फाइलिंग के कार्यालयों से इस तरह के दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए सेवा का उपयोग करने का अनुरोध कर सकते हैं।
  - डब्ल्यूआईपीओ डिजिटल एक्सेस सर्विस (डीएएस) द्वारा एक्सेस को अधिकृत करने के लिए दिए गए एक्सेस कोड का उपयोग;
  - सुरक्षित चैनलों के माध्यम से दस्तावेजों का आदान–प्रदान किया जाता है;
  - डब्ल्यूआईपीओ डिजिटल एक्सेस सर्विस (डीएएस) सेवा को वायपो द्वारा होस्ट और प्रशासित किया जाता है।
  - दूसरी फाइलिंग के प्रत्येक कार्यालय को अलग से पूर्विक्ता दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
  - पूर्विक्ता दस्तावेजों की कई कागजी प्रतियों के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है;

तदनुसार, निक्षेप (डिपोजीटिंग) कार्यालय के रूप में आईपीओ, पेटेंट और औद्योगिक डिजाइन आवेदनों की प्रमाणित प्रतियों को पूर्विक्ता दस्तावेजों के रूप में अपलोड करता है, जिसमें (आरओ/आईएन) कार्यालय में 31/01/2018 को और उसके बाद पीसीटी के तहत दाखिल अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट आवेदन शामिल हैं, जिनके लिए आवेदक विशेष रूप से अनुरोध करता है कि ऐसे पूर्विक्ता दस्तावेजों को वायपो डीएएस को उपलब्ध कराया जाए।

13. अंतर्राष्ट्रीय खोज रिपोर्ट (आईएसआर) / अंतर्राष्ट्रीय प्रारम्भिक परीक्षण रिपोर्ट (आईपीईआर रिपोर्ट):

- लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय खोज रिपोर्ट वायपो के पीसीटी विनियमों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी की जाती हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण के रूप में पेटेंट कार्यालय ने पेटेंटस्कोप (www.wipo.int/patentscope) पर प्रकाशन के लिए 1 जनवरी 2018 से स्थापित अंतर्राष्ट्रीय खोज रिपोर्ट के साथ–साथ पूर्ण खोज रणनीतियों को साझा करना शुरू कर दिया है, इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण के रूप में गुणवत्ता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है। पीसीटी के तहत 23 आईएसए में से भारतीय पेटेंट कार्यालय इस सेवा को शुरू करने वाला सातवाँ है।

14. अंतर्राष्ट्रीय समझौते:

- वर्ष के दौरान, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा प्रस्तुत भारत के वायपो (डब्ल्यूआईपीओ) कॉपीराइट संधि और वायपो (डब्ल्यूआईपीओ) परफोरमर्स एंड फोनोग्राम्स संधि में अधिमिलन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जो इंटरनेट और डिजिटल वातावरण में कॉपीराइट का विस्तार करता है। दोनों संधियाँ रचनाकारों और स्वत्वधारियों को उनके कार्यों के संरक्षण के लिए तकनीकी उपकरणों का उपयोग करने और उनके उपयोग के बारे में जानकारी की संरक्षा प्रदान करने के लिए ढांचा प्रदान करती हैं, अर्थात् टेक्नोलोजिकल प्रोटेक्शन मेजर्स (टीपीएम) और राइट्स मेनेजमेंट इन्फोर्मेशन (आरएमआई)।
- इसके अलावा, वर्ष के दौरान, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को नाइस, वियना और लोकार्नो समझौतों में अधिमिलन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जो भारतीय बौद्धिक संपदा कार्यालय को वैश्विक वर्गीकरण प्रणालियों के अनुरूप, व्यापर चिह्न और डिजाइन आवेदनों के परीक्षण के लिए वर्गीकरण प्रणालियों के सामंजस्य में मदद करेगा ।

15. सूचना का अधिकारः

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन के प्रति बौद्धिक सम्पदा कार्यालय पूर्णतया प्रतिबद्ध है। बौद्धिक सम्पदा कार्यालयों के क्रियाकलापों में सम्पूर्ण पारदर्शिता प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्यालय की विभिन्न गतिविधियों से सम्बंधित जानकारी आम जनता और हितधारकों के सूचनार्थ आधिकारिक वेबसाईट पर उपलब्ध करा दी गयी है। साथ ही, सूचना अधिकार अधिनियम के विधायी अभिप्राय तथा अधिदेश का पूर्ण अनुसरण करते हुए अधिनियम के तहत प्राप्त सभी आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई की गयी।

3. पेटेंट

परिचयः

यह अध्याय पेटेंट अधिनियम, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 155 के तहत पेटेंट कार्यालयों द्वारा वर्ष 2018–19 के दौरान निष्पादित गतिविधियों के संबंध में 47वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। पेटेंट कार्यालय कोलकाता, नई दिल्ली, मुम्बई तथा चेन्नई में स्थित है, जिनका पेटेंट प्रशासन के लिए देश में विशिष्ट क्षेत्राधिकार है। हालांकि, सभी चार पेटेंट कार्यालय आभासी एकल कार्यालय के रूप में कार्य करते हैं, जहाँ देश भर में एक पेटेंट अनुदानित किया जाता है जो देश भर में लागू होता है। पेटेंट कार्यालय, महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम) के अधीक्षण व प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आवेदकों को सीमित अवधि के लिए एकाधिकार अनुदानित करने के द्वारा देश में हुए आविष्कारों के संरक्षण से संबन्धित पेटेंट अधिनियम 1970 (यथा संशोधित) के प्रावधानों को लागू करता है। निम्न प्रदत्त पैराग्राफ पेटेंट विधान के तहत यथाप्रशासित पेटेंट कार्यालय की प्रमुख गतिविधियों की रूप–रेखा प्रस्तुत करते हैं।

1. 2018–19 के दौरान दाखिल पेटेंट आवेदनः

2018–19 में दाखिल पेटेंट आवेदनों की संख्या 50,659 थी जो 2017–18 की सम्पूर्ण फाइलिंग की संख्या 47,854 में 5.9% की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष के दौरान, आविष्कार के लगभग सभी क्षेत्रों में मध्यम से उच्च विकास देखा गया है विशेष रूप से संचार, भौतिकी, खाद्य, कृषि अभियंत्रणा व सामान्य अभियंत्रणा, जिसमें 15–25% की वृद्धि प्रदर्शित की गई। विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित, आवेदनों की प्रवृत्ति के विस्तृत आँकड़े परिशिष्ट–ङ और ङ1 में दिखाए गए हैं।

(क) भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदन

कुल दाखिल 50,659 आवेदनों में से, भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों की संख्या 17,005 रही जो गत वर्ष से लगभग 9% की वृद्धि दर्शाती है, जब ऐसे आवेदनों की संख्या 15,550 थी। पिछले वर्षों में वृद्धि के अनुरूप, इस वर्ष भी, भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल किए गए आवेदनों में घरेलू फाइलिंग में बढ़ती प्रवृत्ति देखी गई, जो दाखिल कुल आवेदनों का 33.6% रही।

2017–18 के दौरान दाखिल आवेदनों की संख्या (32,304) की तुलना में वर्ष के दौरान विदेशी आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों की संख्या (33,654) रही जो 4.2% की वृद्धि दर्शाता है।

(ख) भारतीय आवेदकों द्वारा राज्यवार दाखिल पेटेंट आवेदन

2018–19 के दौरान भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों में से, पिछले वर्ष के दौरान दाखिल अपने आवेदनों की संख्या में 12% की वृद्धि के साथ महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर बना रहा, जबकि तमिलनाडु सूची में दूसरे स्थान पर बना रहा। पंजाब ने पिछले वर्ष के दौरान दाखिल 247 की तुलना में वर्ष के दौरान दाखिल 660 आवेदनों के साथ भारी उछाल दिखाया। साथ ही, पिछले वर्ष की तुलना में गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश व पांडेचरी में काफी वृद्धि हुई। 2018–19 के दौरान दाखिल घरेलू आवेदनों के बारे में एक और उल्लेखनीय तथ्य उत्तर पूर्वी राज्यों से दाखिल आवेदनों की जबरदस्त वृद्धि है, जिसमें 2017–18 के दौरान दाखिल आवेदन की तुलना में सामूहिक रूप से 88% से अधिक की वृद्धि हुई है।

आवेदन दाखिल करने वाले शीर्ष राज्य/केंद्र शासित प्रदेश हैं (आवेदनों की संख्या कोष्ठक में दी गयी है) महाराष्ट्र (4,197), तमिलनाडु (2,382), कर्नाटक (2,138), दिल्ली (1,300), तेलंगाना (1,011), उत्तर प्रदेश (967), गुजरात (858), पंजाब (660), पश्चिम बंगाल (522), हरियाणा (507), आंध्र प्रदेश (321), राजस्थान (305), केरल (272), मध्य प्रदेश (194), हिमाचल प्रदेश (193), उड़ीसा (164), झारखंड (158), उत्तराखंड (154) व असम (109)। राज्य/ केंद्र शासित क्षेत्र के अनुसार विवरण परिशिष्ट ख में प्रदर्शित किया गया है।

भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल पेटेंट आवेदनों की तुलना (राज्यानुसार)

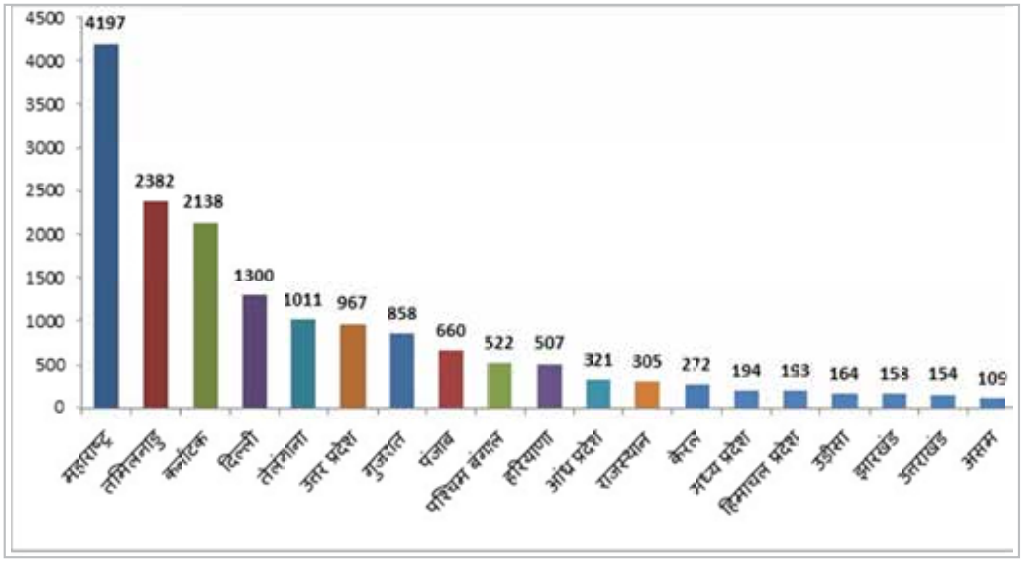

(ग) आवेदनों का श्रेणीवार वितरण :

2016–17, 2017–18 व 2018–19 के दौरान विभिन्न श्रेणियों जैसे प्रकृत व्यक्ति (एनपी), स्टार्टअप (एसयू), लघु अस्तित्व (एसई) तथा प्रकृत व्यक्ति के सिवाय अन्य (ओएनपी) के आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों का विवरण निम्नवत है। यह ध्यान दिया जाए सभी श्रेणियों में दाखिल आवेदनों में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है।

वर्ष	प्रकृत व्यक्ति (एनपी)		स्टार्टअप (एसयू)		लघु अस्तित्व (एसई)		प्रकृत व्यक्ति के सिवाय अन्य (ओएनपी)		कुल
	भारतीय	विदेशी	भारतीय	विदेशी	भारतीय	विदेशी	भारतीय	विदेशी	
2016-17	5918	1622	160	3	412	120	6729	30480	45444
2017-18	6811	1444	511	4	491	131	7737	30725	47854
2018-19	7250	1193	801	10	607	75	8347	32376	50659

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से पेटेंट के लिए आवेदन करने वाले शीर्ष 5 भारतीय आवेदक

क्रम सं.	आवेदक का नाम
1	टाटा कंसल्टेन्सी सर्विसेज लिमिटेड
2	विप्रो लिमिटेड
3	चंडीगढ़ विश्वविद्यालय
4	चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कोलेजिस
5	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (समेकित)

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में टाटा कंसल्टेन्सी सर्विसेज लिमिटेड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया जबकि विप्रो लिमिटेड द्वितीय स्थान पर रहा।

(ङ) वैज्ञानिक तथा अनुसंधान व विकास संस्थानों से पेटेंट के लिए आवेदन करने वाले शीर्ष 10 भारतीय आवेदक

क्र.सं.	वैज्ञानिक तथा अनुसंधान व विकास संस्थान का नाम
1	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
2	साल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी – इंजीनीयरिंग रिसर्च
3	रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डीआरडीओ)
4	भारतीय विज्ञान संस्थान
5	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
6	श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसिज एंड टेक्नोलोजी

7	आदित्य बिरला साइंस एंड टेक्नोलोजी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
8	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान
9	आलिनोव रिसर्च एंड डेव्लपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
10	वूल रिसर्च एसोसियशन

इस श्रेणी में, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद शीर्ष स्थान पर रहा जबकि साल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी – इंजीनीयरिंग रिसर्च व रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डीआरडीओ) क्रमशः द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर रहे।

(च) शैक्षिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों से पेटेंट के लिए आवेदन करने वाले शीर्ष 10 भारतीय आवेदक

क्र.सं.	संस्थानों और विश्वविद्यालयों के नाम
1	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (समेकित)
2	चंडीगढ़ विश्वविद्यालय
3	शूलीनी यूनिवर्सिटी
4	अमिटी यूनिवर्सिटी
5	एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स एंड टेक्नोलोजी
6	चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कोलेजिस
7	भारथ यूनिवर्सिटी
8	भारतीय विज्ञान संस्थान
9	गलगोटियास यूनिवर्सिटी
10	लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी

इस वर्ष, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (समेकित) शीर्ष स्थान पर रहे जबकि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय व शूलीनी यूनिवर्सिटी क्रमशः द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर रहे।

2. विदेशी आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनः

(क) कन्वेंशन आवेदनः

गत वर्ष के **3,644** की तुलना में वर्ष के दौरान पेरिस कन्वेंशन के तहत पूर्विक्ता दावा करते हुए दाखिल आवेदनों की कुल संख्या **3,911** रही। यह वर्ष के दौरान दाखिल किए गए कन्वेन्शन आवेदनों की संख्या में लगभग 8% की वृद्धि दर्शाता है।

(ख) पी.सी.टी. राष्ट्रीय फेज आवेदनः

विदेश से प्राप्त आवेदनों में से अधिकांश पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) राष्ट्रीय फेज माध्यम

से दाखिल किए गए। प्रतिवेदन वर्ष के दौरान दाखिल ऐसे आवेदनों की संख्या **26,966** रही जो विगत वर्ष की संख्या **26,584** की तुलना में आंशिक वृद्धि दर्शाता है। आवेदन दाखिल करने वाले शीर्ष देश थेः संयुक्त राज्य अमरीका (8,199), जापान (3,607), चीन गणतंत्र (2,601), जर्मनी (2,099), कोरिया गणतंत्र (1,492), नीदरलैंड (1,079), यूनाइटेड किंगडम (1,025), स्वीडन (1,008), स्विट्जरलैंड (983), फ्रांस (949), इटली (507), डेन्मार्क (329), इजराइल (310), बेल्जियम (305), कनाडा (292), ऑस्ट्रेलिया (263), फिनलैंड (237), ऑस्ट्रीया (234), केमन आइलेंड (178) तथा स्पेन (164)। देशानुसार विवरण **परिशिष्ट ख1** में प्रदर्शित किया गया है।

पी.सी.टी. राष्ट्रीय फेज हेतु शीर्ष दस आवेदक (देशानुसार)

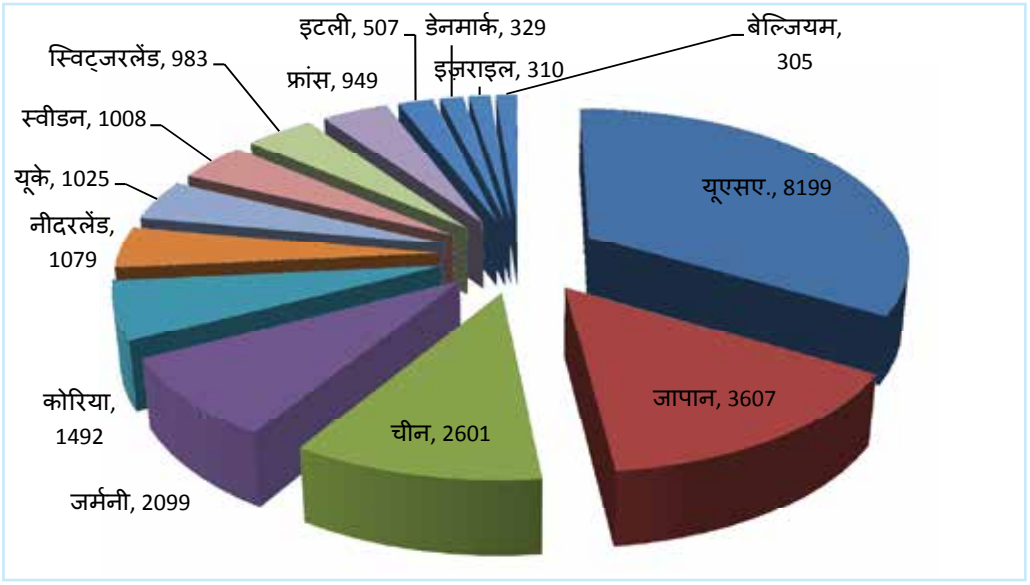

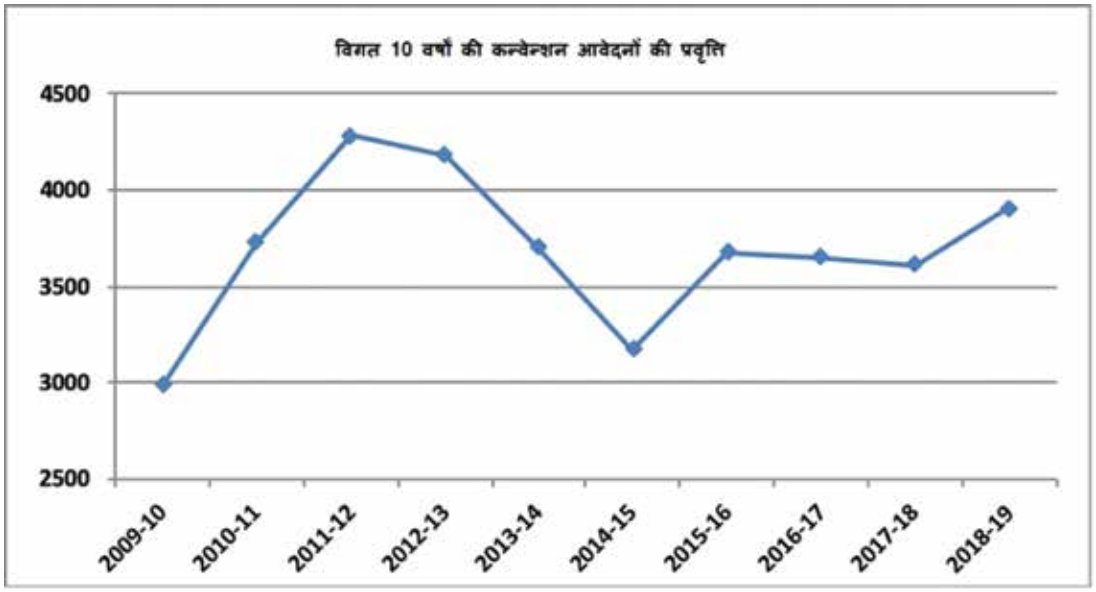

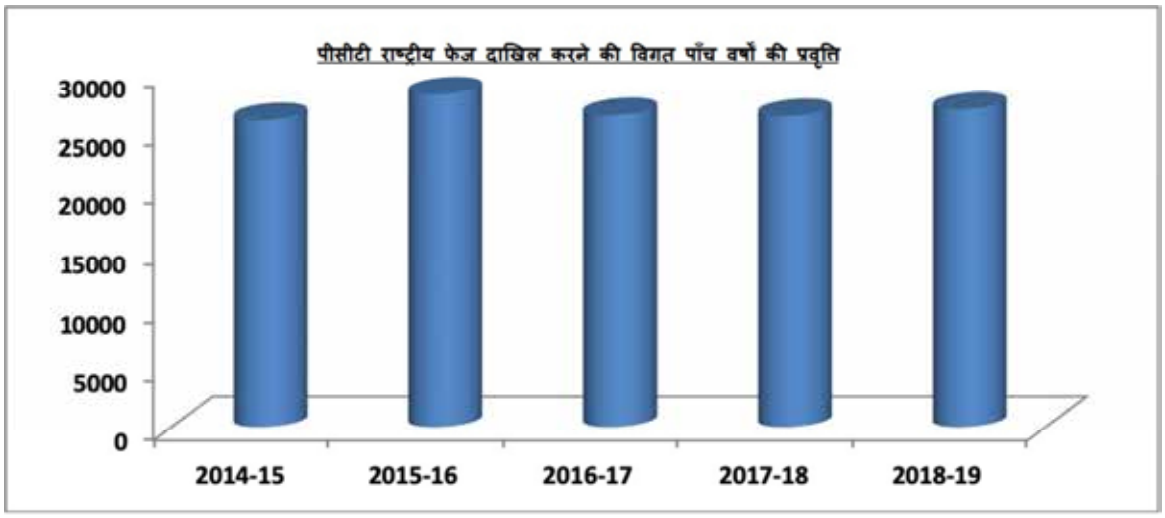

(ख) शीर्ष 10 विदेशी प्रवासी आवेदकः

निम्नलिखित तालिका उन **शीर्ष 10 विदेशी प्रवासी आवेदकों** की सूची प्रदान करती है जिन्होंने 2018–19 के दौरान पेटेंट आवेदन दाखिल किए हैं। यह पाया गया है कि क्वालकम इंकॉरपोरेटेड इस सूची में अग्रणी बना रहा। इसके बाद सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड, हुआवि टेक्नोलॉजी क. लि. इत्यादि का स्थान रहा।

शीर्ष 10 विदेशी प्रवासी आवेदक

क्र.सं.	संगठन का नाम
1	क्वालकम इंकॉरपोरेटेड
2	सैमसंग इलेक्ट्रोनिक्स क. लि.
3	हुआवि टेक्नोलॉजी क. लि.
4	टेलेफोनाक्टिबोलागेट एलएम एरिक्सन (पीयूबीएल)
5	गुयांगोंग ओप्पो मोबाइल टेलिकम्यूनिकेशंस कॉर्प. लिमिटेड
6	कोनिनक्लीके फिलिप्स एन.वी.
7	होंडा मोटर क. लिमिटेड
8	टोयोटा जिदोषा काबुशिकी काइशा
9	मित्सुबिशी इलैक्ट्रिक कॉर्पोरेशन
10	बेस्फ एसई

गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2018–19 के दौरान विभिन्न माध्यमों से प्राप्त पेटेंट आवेदनों का विवरण **परिशिष्ट–ख** (भारत में उद्गम राज्य के अनुसार वर्गीकृत) व **परिशिष्ट–ख1** (उद्गम देश के अनुसार वर्गीकृत) में दर्शाया गया है।

2009–2010 से 2018–2019 की अवधि के दौरान विभिन्न माध्यमों से भारतीय प्रवासियों एवं अप्रवासियों से प्राप्त पेटेंट आवेदनों की संख्या **परिशिष्ट–ग** में दर्शायी गई है।

2014–15 से 2018–19 की अवधि के दौरान रसायन, वैद्युतिक, यान्त्रिकी, जैवतकनीक, खाद्य, कंप्यूटर/इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि के विषयवार दाखिल आवेदनों का विवरण **परिशिष्ट –ङ तथा ङ1** में प्रदत्त सारणी द्वारा दिखाया गया है।

3. परीक्षित आवेदनों की कुल संख्याः

कार्यालय ने गत वर्ष के **60,298** परीक्षित आवेदनों की तुलना में वर्ष के दौरान **85,426** आवेदनों का परीक्षण किया। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष उन पेटेंट आवेदनों की संख्या में लगभग **41%** की वृद्धि रही जिनके लिए प्रथम परीक्षण रिपोर्ट जारी की गयी।

4. परीक्षण हेतु अनुरोध (आरक्यू) का कुल निपटानः

गत वर्ष के **47,695** की तुलना में वर्ष के दौरान **50,884** परीक्षण हेतु अनुरोध (आरक्यू) का निपटान किया गया। गत वर्ष की तुलना में परीक्षण हेतु अनुरोध के निपटान में लगभग **7%** की वृद्धि देखी गई।

5. अनुदानित तथा प्रवृत्त पेटेंटः

वर्ष के दौरान अनुदानित पेटेंट की कुल संख्या **15,283** थी, जिनमें से **2,511** भारतीय आवेदकों को अनुदानित किए गए। 31 मार्च 2019 तक प्रवृत्त पेटेंट की संख्या **64,686** थी जिनमें से **9,787** पेटेंट भारतीयों के नाम थे। कुल अनुदानित पेटेंट में से **4,187** पेटेंट रसायन, **2,857** यांत्रिकी, **1,253** वैद्युतिक, **1,074** कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स, **1414** संचार, **761** फर्मास्युटिकल, **703** भौतिकी के क्षेत्र में व **429** जैव प्रौद्योगिकी इत्यादि से संबन्धित आवेदनों के लिए अनुदानित किए गए।

वर्ष 2009–10 से वर्ष 2018–19 की अवधि के दौरान दाखिल आवेदनों की संख्या, परीक्षण हेतु प्राप्त अनुरोधों की संख्या, परित्यक्त हुआ सा मान लिए गए आवेदन तथा पेटेंट अनुदान प्राप्त करने वाले आवेदन एवं प्रवृत्त पेटेंट की संख्या **परिशिष्ट–घ** में प्रदर्शित की गई है।

वर्ष 2014–15 से 2018–19 तक के विगत पाँच वर्षों के दौरान आविष्कार के विभिन्न क्षेत्रों के तहत अनुदानित पेटेंट की संख्या **परिशिष्ट – च व च1** में प्रदर्शित की गई है।

6. शीघ्र परीक्षण स्थितिः

शीघ्र परीक्षण हेतु प्राप्त अनुरोध, परीक्षित व निपटान का विवरण नीचे दिया गया है। यह देखा गया है कि शीघ्र परीक्षण हेतु अनुरोध दाखिल करने में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही

है, जिसका कारण यह है कि इस श्रेणी के अंतर्गत आवेदनों का परीक्षण व अनुदान हेतु कार्यवाही तुरंत की जाती है तथा निपटान औसतन शीघ्र परीक्षण हेतु अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर किया जाता है।

वर्ष	शीघ्र परीक्षण हेतु दाखिल अनुरोध			प्रथम परीक्षण रिपोर्ट (एफईआर) जारी			अनुदानित पेटेंट			अस्वीकृत		
	स्टार्टअप	आईएसआर हेतु आवेदक	कुल	स्टार्टअप	आईएसआर हेतु आवेदक	कुल	स्टार्टअप	आईएसआर हेतु आवेदक	कुल	स्टार्टअप	आईएसआर हेतु आवेदक	कुल
2017-18	161	273	434	137	195	332	10	56	66	8	1	9
2018-19	293	321	614	263	334	597	110	175	285	34	23	57

7. भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल पीसीटी अंतर्राष्ट्रीय आवेदन:

विगत पाँच वर्षों के दौरान प्राप्तकर्ता कार्यालय (आरओ/आईएन) के रूप में भारतीय पेटेंट कार्यालय में भारतीय आवेदकों द्वारा पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) के तहत दाखिल अन्तर्राष्ट्रीय आवेदनों की कुल संख्या निम्नवत है (इस संख्या में वे अन्तर्राष्ट्रीय आवेदन शामिल नहीं है जो भारतीय आवेदकों द्वारा सीधे वायपो के अन्तर्राष्ट्रीय ब्यूरो में प्राप्तकर्ता कार्यालय के रूप में दाखिल किए गए हैं):

वर्ष	वैयक्तिक	विधिक सत्ताधारी	कुल
2014-2015	235	566	801
2015-2016	234	459	693
2016-2017	272	472	744
2017-2018	274	490	765
2018-2019	**336**	**630**	**966**

अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों की विगत पाँच वर्षों की प्रवृत्ति

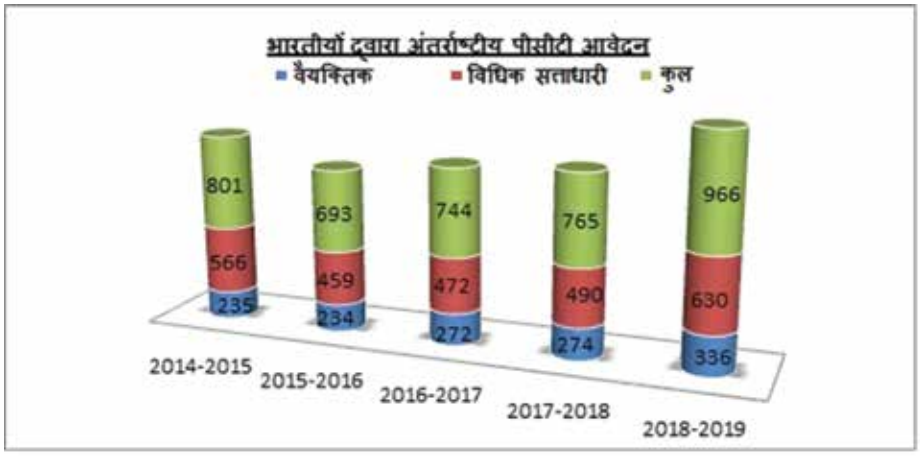

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान पीसीटी अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों के सर्वप्रमुख अंशदाता थे – वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी मद्रास), सिपला लिमिटेड, हीरो मोटोकोर्प लिमिटेड व भारतीय विज्ञान संस्थान।

8. पेटेंट अधिनियम व नियमों के तहत विविध कार्यवाहियाँ:

(क) **परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आविष्कार:** वर्ष के दौरान, पेटेंट अधिनियम की धारा 4 के तहत **144** आवेदन परमाणु ऊर्जा विभाग को प्रेषित किए गए जिनमें से **2** आवेदन परमाणु ऊर्जा से संबद्ध पाए गए, जबकि **15** आवेदन सामान्य शासकीय कार्यवाही के तहत प्रक्रियागत करने के लिए अनुमत्त हुए तथा वर्ष के अंत तक **127** आवेदन परमाणु ऊर्जा विभाग के समक्ष विचारार्थ लंबित रहे।

(ख) **धारा 11(क) के तहत पेटेंट आवेदनों का प्रकाशन:** वर्ष के दौरान धारा 11(क) के तहत **46345** आवेदन प्रकाशित किए गए जिनमें वैसे **4,064** आवेदन शामिल हैं जिनके लिए शीघ्र प्रकाशन हेतु अनुरोध प्राप्त किए गए थे। विगत पाँच वर्षों के दौरान प्रकाशित पेटेंट आवेदनों की संख्या संबंधी वर्षानुसार विवरण निम्नवत है:

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
धारा 11 क के तहत प्रकाशन	25,358	41,752	84,300	43,402	**42,281**
शीघ्र प्रकाशन	1,576	2,316	2,466	3,497	**4,064**
कुल	**26,934**	**44,068**	**86,766**	**46,899**	**46,345**

(ग) **अनुदानपूर्व आपत्ति [धारा 25(1) के तहत]:** वर्ष के दौरान अनुदानपूर्व आपत्ति के रूप में **426** आवेदन प्राप्त हुए व 399 अनुदानपूर्व आपत्तियों का निष्पादन वर्ष के दौरान कर दिया गया।

(घ) **अनुदानोत्तर आपत्ति [धारा 25(2) के तहत]:** वर्ष के दौरान, **28** अनुदानोत्तर आपत्तियाँ दाखिल की गईं। **(5)** अनुदानोत्तर आपत्तियों का निष्पादन वर्ष के दौरान कर दिया गया और प्रतिवेदन वर्ष के अंत तक **193** अनुदानोत्तर आपत्तियाँ निष्पादन हेतु लंबित रहीं।

(ङ) **गोपनीयता निदेश (धारा 35 के तहत):** वर्ष के दौरान **98** पेटेंट आवेदन भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) को उन आविष्कारों के रक्षा उद्देश्य से संबद्ध होने विषयक विचार देने हेतु प्रेषित किए गए। **59** आवेदनों को वर्ष के दौरान सामान्य कार्यवाही हेतु अनुमत्त किया गया, जबकि वर्ष के अंत तक **39** आवेदन डीआरडीओ में लंबित रहे।

(च) **देश से बाहर आवेदन करने की अनुमति (धारा 39 के तहत):** वर्ष के दौरान, भारत के बाहर पेटेंट आवेदन दाखिल करने की अनुमति का अनुरोध करते हुए **5,852** आवेदन फॉर्म 25 पर प्राप्त हुए, जबकि **5,713** आवेदनों के संदर्भ में अनुमति प्रदान की गई।

(छ) **व्यपगत पेटेंट का प्रत्यावर्तन (धारा 60 के तहत):** पेटेंट के प्रत्यावर्तन के लिए 141 आवेदन प्राप्त हुए व **84** प्रत्यावर्तित किए गए।

(ज) **समनुदेशन, मोर्गेज, लाइसेंस आदि (धारा 68 तथा 69 के तहत):** इस धारा के तहत दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए **1558** मामले प्राप्त किए गए व प्रतिवेदन वर्ष के दौरान **1300** आवेदनों का निपटान कर दिया गया।

(झ) **जारी पेटेंट (धारा 146 के तहत):** प्रतिवेदन वर्ष के दौरान फॉर्म–27 पर जारी पेटेंट के **51,104** कथन प्राप्त किए गए जिनमें से **14,277** पेटेंट को जारी रहने के रूप में दर्शाया गया था। विगत पाँच वर्षों के दौरान प्राप्त सूचना का विवरण निम्न सारणी में दिया गया है:

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
प्रवृत्त पेटेंट	43,256	44,524	48,765	56,764	**64,686**
प्राप्त फॉर्म–27	31,990	39,507	42,870	46,618	**51,104**
जारी रहने के रूप में दर्शाया हुआ	7,900	8,589	11,318	12,246	**14,277**

(ञ) **अनिवार्य लाइसेंस (धारा 84, 92 तथा 92–क के तहत):** प्रतिवेदन वर्ष के दौरान अनिवार्य लाइसेंस के अनुदान हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

(ट) **सूचना (धारा 153 के तहत):** वर्ष के दौरान पेटेंट नियम, 2003 के नियम 134 में यथा प्रदत्त इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत पेटेंट संबंधी सूचना की आपूर्ति करने के लिए पेटेंट कार्यालय ने **56** अनुरोध प्राप्त किए।

(ठ) **अनुलिपि पेटेंट प्रमाण पत्र (धारा 154 के तहत):** वर्ष के दौरान **5** अनुरोध प्राप्त हुए व उनका निपटान किया गया।

(ड) **पेटेंट अभिकर्ताओं का पंजीकरण:** वर्ष के दौरान **3** नए पेटेंट अभिकर्ताओं का पंजीकरण किया गया। 31 मार्च 2019 तक पंजीकृत पेटेंट अभिकर्त्ताओं की कुल संख्या **2,829** थी।

9. राजस्व एवं व्यय:

पेटेंट कार्यालय ने अधिनियम और नियमों के तहत विभिन्न कार्यवाहियों के लिए शुल्क के माध्यम से लगभग रु. **514.63** करोड़ का राजस्व अर्जित किया। पेटेंट पर एकत्रित शुल्क का विवरण परिशिष्ठ – छ में दिया गया है।

10. सामान्य सूचना:

पेटेंट कार्यालय, कोलकाता, मुम्बई, दिल्ली एवं चेन्नई के वैज्ञानिक तथा तकनीकी पुस्तकालय

जनता को परामर्श तथा संदर्भ कार्य के लिए सुविधा प्रदान करते रहे। इन सुविधाओं का विभिन्न अनुसंधान व औद्योगिक संस्थानों के आविष्कारक तथा अन्य जनता के साथ–साथ विभिन्न विश्वविद्यालयों में अनुसंधानरत विद्वानों ने उपयोग किया।

वर्तमान में पेटेंट कार्यालय, सीडी–रोम्स, पुस्तकें और जर्नल के अतिरिक्त वैज्ञानिक और तकनीकी ई–जर्नल प्राप्त करता है। भारत और विदेश में पेटेंट कार्यालयों के पेटेंट विनिर्देश और अन्य प्रकाशनों के माध्यम से अन्वेषण संचालित करने हेतु हजारों लोगों ने पेटेंट कार्यालय के पुस्तकालयों का दौरा किया।

पेटेंट कार्यालय द्वारा अपनी वेबसाइट www.ipindia.nic.in पर प्रदत्त निःशुल्क ऑनलाइन इंटरनेट खोज सुविधा का हितधारकों और सर्वसाधारण ने भी व्यापक लाभ उठाया।

11. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचनाः

वर्ष के दौरान, सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध कराने के लिए **142** अनुरोध प्राप्त किए गए और अधिनियम के तहत प्रदत्त समय–सीमा के अनुसार सभी अनुरोधों पर उपयुक्त कार्यवाही की गई।

परिशिष्ट–क

परीक्षक एकस्व का विषयवार वितरण

क्र.सं.	विषय	परीक्षकों की संख्या
1	जैवरसायन	10
2	जैव प्रौद्योगिकी	26
3	बायोमेडिकल अभियंत्रणा	15
4	रसायन	75
5	सिविल अभियंत्रणा	11
6	कम्प्यूटर एवं आई टी अभियंत्रणा	17
7	वैद्युतिक व इलेक्ट्रॉनिक्स	91
8	यांत्रिकी	131
9	धातुकर्म	7
10	भौतिकी	46
11	पॉलीमर	14
12	वस्त्र	6
	कुल	**449**

परिशिष्ट ''ख''

उद्गम राज्य के अनुसार वर्ष 2017–18 की तुलना में 2018–19 में दाखिल किए गए पेटेंट आवेदन

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	साधारण आवेदन		कन्वेंशन आवेदन		राष्ट्रीय फेज आवेदन	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
अंडमान & निकोबार	2	3	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	321	271	1	0	1	5
अरुणाचल प्रदेश	5	5	0	0	0	0
असम	109	71	0	0	0	0
बिहार	48	63	0	0	1	0
चंडीगढ़	76	33	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	38	48	4	2	0	0
दादरा & नागर हवेली	2	0	0	0	0	0
दमन & दीव	2	4	0	0	0	0
दिल्ली	1300	1419	4	2	18	13
गोवा	44	21	0	0	0	1
गुजरात	858	702	0	1	10	9
हरियाणा	507	444	7	0	6	5
हिमाचल प्रदेश	193	110	0	0	0	0
जम्मू & कश्मीर	40	34	0	0	0	0
झारखंड	158	168	1	0	2	0
कर्नाटक	2138	1971	16	8	31	43
केरल	272	308	1	1	4	3
मध्य प्रदेश	194	190	0	1	1	0
महाराष्ट्र	4197	3744	6	8	54	68
मणिपुर	7	1	0	0	0	0
मेघालय	6	4	0	0	0	0
मिजोरम	25	0	0	0	0	0
नागालैंड	5	3	0	0	0	0

उड़ीसा	164	164	0	0	0	2
पाण्डिचेरी	55	23	0	0	0	1
पंजाब	660	247	0	0	1	0
राजस्थान	305	186	0	1	0	3
सिक्किम	4	4	0	0	0	0
तमिलनाडु	2382	2737	1	4	8	1
तेलंगाना	1011	974	1	4	33	21
त्रिपुरा	9	4	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	967	719	0	0	5	2
उत्तरांचल	154	128	0	0	1	0
पश्चिम बंगाल	522	533	2	2	5	3
कुल योग	**16780**	**15336**	**44**	**34**	**181**	**180**

परिशिष्ट–ख1

राष्ट्रमंडल देश

देश	**साधारण आवेदन**		**कन्वेंशन आवेदन**		**राष्ट्रीय फेज आवेदन**	
	2018-19	**2017-18**	**2018-19**	**2017-18**	**2018-19**	**2017-18**
यू.के.	25	66	47	53	1025	1017
आस्ट्रेलिया	19	6	8	6	263	237
कनाडा	5	6	17	11	292	278
श्रीलंका	0	0	0	0	3	0
आयरलैंड	119	70	55	28	70	88
न्यूजीलैंड	1	0	0	0	51	49
समोआ	0	0	2	0	2	1
कुल	**169**	**148**	**129**	**98**	**1706**	**1670**

उत्तर व दक्षिण अमरीका

देश	साधारण आवेदन		कन्वेंशन आवेदन		राष्ट्रीय फेज आवेदन	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
यू.एस.ए.	1192	948	568	612	8199	8619
मैक्सिको	0	0	0	3	36	21
ब्राजील	0	1	5	13	30	35
बरमूडा	0	0	0	0	10	2
केमेन आइलैंड	3	0	3	6	178	127
वर्जिन आइलैंड	0	1	0	0	10	5
क्यूबा	0	0	0	0	2	0
कोलंबिया	0	0	1	0	4	4
अर्जेन्टीना	0	0	0	0	6	5
चिली	0	0	0	0	14	16
बहामास	0	0	0	0	2	2
बारबाडोस	0	0	1	0	9	5
पेरू	0	0	0	0	3	3
उरूग्वे	0	0	0	0	3	2
उत्तर और दक्षिण अमेरिका के अन्य देश	0	3	7	3	41	14
कुल	**1195**	**953**	**585**	**637**	**8547**	**8860**

परिशिष्ट– ख1 जारी

यूरोप

देश	साधारण आवेदन		कन्वेंशन आवेदन		राष्ट्रीय फेज आवेदन	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
इटली	12	8	67	82	507	487
जर्मनी	236	223	367	384	2099	2166
बेल्जियम	3	1	2	13	305	285
फ्रांस	70	62	194	169	949	953
स्पेन	3	14	18	31	164	139
स्विट्जरलैंड	180	144	167	177	983	947

फिनलैंड	70	34	18	11	237	175
आस्ट्रिया	1	2	40	18	234	221
नीदरलैंड्स	39	40	12	16	1079	1331
स्वीडन	28	13	8	11	1008	1001
डेनमार्क	18	12	9	16	329	312
पुर्तगाल	0	0	0	0	14	15
हंगरी	0	1	1	0	26	14
लग्जमबर्ग	0	0	4	4	83	93
रूस	0	1	4	3	61	89
रोमानिया	0	0	0	0	2	2
तुर्की	1	3	0	2	32	24
स्लोवेनिया	0	0	0	0	4	4
नार्वे	0	1	2	0	123	71
साइप्रस	0	1	0	0	10	8
पोलैंड	0	0	9	7	44	41
बुल्गारिया	0	0	0	0	4	6
आइस लैंड	0	0	0	0	2	3
चेक गणराज्य	0	0	0	5	17	17
लिक्टन्स्टाइन	0	0	0	0	8	11
यूक्रेन	0	0	0	0	10	12
स्लोवाकिया	0	0	1	0	8	4
ग्रीस	1	0	0	0	14	15
माल्टा	4	0	1	0	12	11
इस्टोनिया	0	0	0	0	4	3
मोनाको	0	0	1	0	4	1
अन्य यूरोपीय देश	0	5	2	2	28	24
कुल	666	565	927	951	8404	8485

अफ्रीका

देश	साधारण आवेदन		कन्वेंशन आवेदन		राष्ट्रीय फेज आवेदन	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
दक्षिण अफ्रीका	0	2	1	5	38	39
मॉरिशस	6	1	0	0	3	1
सेशेल्स	0	1	0	1	1	1
स्वाजीलैंड	0	0	1	0	1	0
कीनिया	0	0	0	0	3	2
इजिप्ट	0	0	0	0	5	1
साओ तोम एंड प्रिंसिपे	1	1	0	0	0	0
जाम्बिया	0	0	0	0	1	1
मोरक्को	0	0	0	0	5	2
अन्य अफ्रीकी देश	2	0	0	2	5	5
कुल	**9**	**5**	**2**	**8**	**62**	**52**

एशिया

देश	साधारण आवेदन		कन्वेंशन आवेदन		राष्ट्रीय फेज आवेदन	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
जापान	66	57	1025	893	3607	3537
अफगानिस्तान	2	2	0	0	1	2
आजर्बेजान	0	1	0	0	1	0
कजाखिस्तान	0	0	0	1	1	3
नेपाल	1	0	2	0	0	1
ओमान	3	0	0	0	1	1
बाहरीन	0	0	0	0	2	3
कोरिया गणराज्य	498	406	416	226	1492	1104
चीन	58	22	424	435	2601	2115
इजराइल	13	9	21	31	310	296
ताइवान	48	45	340	304	33	40
इंडोनेशिया	0	1	0	0	1	1
वियतनाम	0	0	0	0	3	3

सिंगापुर	39	41	9	9	91	101
मलेशिया	1	4	5	4	20	33
यू.ए.ई	5	14	2	0	12	20
थाइलैंड	2	2	3	3	41	18
हाँग–काँग(चीन)	1	9	16	6	15	14
सउदी अरब	0	2	0	0	7	32
ईरान	1	1	0	0	0	2
अन्य एशियाई देश	0	3	5	5	8	11
कुल	**738**	**619**	**2268**	**1916**	**8247**	**7337**
कुल योग	**19557**	**17626**	**3955**	**3644**	**27147**	**26584**

परिशिष्ट ''ग''

पिछले 10 वर्षों में प्रवासी और भारत में रहने वाले द्वारा विभिन्न माध्यमों से दाखिल आवेदन

आवेदक	2009- 10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
भारत में रहने वाले	7044	8312	8921	9911	10941	12071	13066	13219	15550	**17005**
प्रवासी										
साधारण	826	816	1031	1144	1228	1461	1915	2084	2290	**2777**
कन्वेंशन	2986	3728	4280	4184	3704	3174	3675	3649	3610	**3911**
पीसीटी के तहत राष्ट्रीय फेज आवेदन	23431	26544	28965	28435	27078	26057	28248	26492	26404	**26966**
कुल योग	**34287**	**39400**	**43197**	**43674**	**42951**	**42763**	**46904**	**45444**	**47854**	**50659**

वर्ष 2009-20010 से 2018-2019 की अवधि के दौरान पेटेंट संबंधी विविध सूचना

वर्ष	दाखिल आवेदनों की संख्या	परीक्षण के लिए अनुरोधों की संख्या	पूर्ण विनिर्देश दाखिल नहीं करने के कारण परित्यक्त मान लिए गए आवेदनों की संख्या धारा 9 (1)	धारा 21 (1) के तहत अननुपालन के कारण परित्यक्त समझे गए आवेदनों की कुल संख्या	अनुदत्त पेटेंट की संख्या		प्रवृत्त पेटेंट की संख्या	
					भारतीय पेटेंट	विदेशी पेटेंट	भारतीय पेटेंट	विदेशी पेटेंट
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2009-10	34287	28653	2720	5171	1725	4443	6781	30553
2010-11	39400	31493	185	5186	1273	6236	7301	32293
2011-12	43197	33811	698	3800	699	3682	7545	32444
2012-13	43674	36247	361	4559	716	3410	8308	35612
2013-14	42951	37474	224	6418	634	3592	7464	35168
2014-15	42763	34958	12	6970	684	5294	7561	35695
2015-16	46904	35960	1226	12782	918	5408	7306	37218
2016-17	45444	38578	4357	10408	1315	8532	7660	41105
2017-18	47854	37208	184	24992	1937	11108	8830	47934
2018-19	**50659**	**38665**	**3779**	**30458**	**2511**	**12772**	**9787**	**54899**

परिशिष्ट- ङ

आविष्कार के प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत 2014–2015 से 2018–2019 तक दाखिल पेटेंट आवेदनों की संख्या

आविष्कार का क्षेत्र/ वर्ष	रसायन	औषध	पॉलीमर विज्ञान व प्रौद्योगिकी	कंप्यूटर/ इलेक्ट्रॉनिक्स	संचार	वैद्युतिक	भौतिकी	जैव- चिकित्सा	यांत्रिकी	अन्य क्षेत्र (परिशिष्ट- ङ1 देखें)	कुल
2014-2015	6454	2640	1059	4285	4380	4031	2529	1669	10031	5685	42763
2015-2016	6463	2966	1230	5988	5770	4102	2852	1579	10164	5790	46904
2016-2017	5911	2122	1158	6443	5315	4141	2693	1048	10715	5898	45444
2017-2018	6343	2741	1116	6089	5486	4278	2996	1095	11573	6137	47854
2018-2019	**6560**	**2683**	**1100**	**5540**	**6308**	**4703**	**3659**	**812**	**12414**	**6880**	**50659**

परिशिष्ट-ङ 1

आविष्कार के अन्य विविध क्षेत्रों के अंतर्गत 2014–15 से 2018–2019 तक दाखिल पेटेंट आवेदनों की संख्या

आविष्कार का क्षेत्र/वर्ष	जैव- प्रौद्योगिकी	जैव- रसायन	खाद्य	माइक्रो- बायोलॉजी	धातुकर्म/ सामग्री विज्ञान	वस्त्र	सिविल	सामान्य अभियंत्रणा	एग्रो- केमिकल	कृषि अभियंत्रणा	पारंपरिक ज्ञान
2014-2015	1035	384	395	308	740	629	704	775	418	229	68
2015-2016	887	372	387	316	727	734	749	757	479	268	114
2016-2017	876	258	283	253	777	837	741	1225	319	245	84
2017-2018	992	331	344	297	713	795	779	1032	429	338	87
2018-2019	**882**	**282**	**430**	**301**	**734**	**881**	**956**	**1537**	**392**	**411**	**74**

परिशिष्ट – च

आविष्कार के प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत वर्ष 2014–15 से 2018–19 तक अनुदानित पेटेंट की संख्या

आविष्कार का क्षेत्र/ वर्ष	रसायन	औषध	पॉलीमर विज्ञान व प्रौद्योगिकी	कंप्यूटर/ इलेक्ट्रॉनिक्स	संचार	वैद्युतिक	भौतिकी	जैव–चिकित्सा	यांत्रिकी	अन्य क्षेत्र (परिशिष्ट–च1 देखें)	कुल
2014-2015	1533	389	295	835	538	376	142	70	1047	753	5978
2015-2016	1683	370	279	810	414	362	175	69	1414	750	6326
2016-2017	2673	551	562	1049	805	579	260	167	1939	1262	9847
2017-2018	3376	733	747	1028	1031	818	568	150	2514	2080	13045
2018-2019	**4242**	**761**	**701**	**1074**	**1414**	**1253**	**703**	**290**	**2857**	**1988**	**15283**

परिशिष्ट – च 1

आविष्कार के अन्य विविध क्षेत्रों के अंतर्गत 2014–15 से 2018–19 तक अनुदानित पेटेंट की संख्या

आविष्कार का क्षेत्र/ वर्ष	जैव–प्रौद्योगिकी	जैव–रसायन	खाद्य	माइक्रो–बायोलॉजी	धातुकर्म व सामग्री विज्ञान	वस्त्र	सिविल	सामान्य अभियंत्रणा	एग्रो–केमिकल	कृषि अभियंत्रणा
2014-2015	262	66	48	41	53	74	38	145	24	2
2015-2016	185	52	32	44	94	94	60	142	45	2
2016-2017	333	73	71	81	182	93	100	228	97	4
2017-2018	546	142	106	108	429	179	124	297	125	24
2018-2019	**457**	**161**	**76**	**104**	**272**	**212**	**155**	**303**	**215**	**33**

अधिनियम व नियम के तहत विभिन्न कार्यवाहियों के संदर्भ में वर्ष 2018–19 के दौरान प्राप्त शुल्क

क्र.सं.	एकत्रित शुल्क का संदर्भ	प्राप्त कुल राशि (रू.)
1	अनंतिम/पूर्ण विनिर्देश के साथ पेटेंट के लिए नया आवेदन	1682850010
2	अनंतिम विनिर्देश के बाद पूर्ण – फॉर्म 2	26407700
3	कथन व वचन– फॉर्म 3	4000
4	धारा 53(2) व 142(4) नियम 13(6), 80(1क) व 130 के अंतर्गत समय विस्तार हेतु अनुरोध – फॉर्म 4	7741030
5	नियम 24 ख (5) के अंतर्गत समय विस्तार हेतु अनुरोध – फॉर्म 4	72383900
6	उत्तर दिनांकन के लिए आवेदन	1561040
7	आवेदक का प्रतिस्थापन/परिवर्तन – फॉर्म 6	17294760
8	उत्तरजीवी/अन्य पक्ष के नाम पर कार्यवाही करने का अनुरोध	96000
9	विरोध की सूचना – फॉर्म 7	327600
10	सुनवाई में उपस्थिति हेतु सूचना	58500
11	किसी पेटेंट में आविष्कारक के रूप में उल्लेख – फॉर्म 8	1923520
12	शीघ्र प्रकाशन हेतु अनुरोध – फॉर्म 9	22662600
13	पेटेंट में संशोधन हेतु आवेदन – फॉर्म 10	6000
14	तीसरे वर्ष से बीसवें वर्ष तक पेटेंट का नवीकरण	2093518220
15	अनुदान पूर्व आवेदन का संशोधन – फॉर्म 13	32254240
16	अनुदानोत्तर आवेदन का संशोधन – फॉर्म 13	338700
17	नाम/पता/राष्ट्रीयता/सेवार्थ पते में संशोधन – फॉर्म 13	22341950
18	संशोधन/प्रत्यावर्तन/परित्याग का विरोध – फॉर्म 14	24000
19	पेटेंट का प्रत्यावर्तन – फॉर्म 15	1338050
20	प्रत्यावर्तन हेतु अतिरिक्त शुल्क	1975300
21	पेटेंट परित्याग का प्रस्ताव	1000
22	पेटेंट रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए – फॉर्म 16	12429400
23	पेटेंट रजिस्टर में प्रविष्टि के बदलाव के लिए	2883540
24	अतिरिक्त सेवार्थ पते की प्रविष्टि हेतु	88800
25	18 महीने के प्रकाशन के उपरांत परीक्षण हेतु अनुरोध – फॉर्म 18	666832000
26	त्वरित परीक्षण हेतु अनुरोध – फॉर्म 18	36192800

27	पेटेंट अभिकर्ता के रूप में पंजीकरण – फॉर्म 22	2994000
28	अभिकर्ता परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अनुरोध	7004820
29	रजिस्टर में अभिकर्ता नाम जारी रखना – प्रथम वर्ष	750160
30	रजिस्टर में अभिकर्ता नाम जारी रखना – द्वितीय वर्ष से	2785286
31	पेटेंट अभिकर्ता के लिए अनुलिपि प्रमाण पत्र	2000
32	रजिस्टर में अभिकर्ता के नाम का प्रत्यावर्तन – फॉर्म 23	219450
33	लिपिकीय त्रुटियों का सुधार	1562080
34	नियंत्रक के निर्णय की समीक्षा हेतु आवेदन – फॉर्म 24	417750
35	भारत के बाहर पेटेंट आवेदन करने हेतु अनुमति – फॉर्म 25	22743200
36	अनुलिपि पेटेंट के लिए आवेदन (एल पी)	33600
37	धारा 72 के अधीन सत्यापित प्रति अथवा धारा 147 व नियम 133(1) के अधीन प्रमाण पत्र की आपूर्ति	28147735
38	कार्यालय प्रतियों के प्रमाणन हेतु	52000
39	रजिस्टर की जांच हेतु अनुरोध	67270
40	सूचना हेतु अनुरोध	114290
41	प्रायिकता दस्तावेज दाखिल करने में देरी/अनियमितता ठीक करने/विलंब क्षमा करने हेतु याचिका	269289400
42	दस्तावेज की छाया प्रति की आपूर्ति	39410
43	अंतर्राष्ट्रीय आवेदन हेतु पारेषण शुल्क	9946300
44	पूर्विक्ता दस्तावेज की सत्यापित प्रति तैयार करना	7749215
45	फॉर्म 30 – विविध	3595070
46	सूचना अधिकार	610
47	नियम 24(ग) के उप नियम 11 के अंतर्गत समय के विस्तार हेतु अनुरोध – फॉर्म 4	784000
48	नियम 24 ख के अधीन परीक्षण हेतु अनुरोध का शीघ्र परीक्षण में परिवर्तन – फॉर्म 18 क	9380000
49	नियम 129 क के अंतर्गत सुनवाई के स्थगन हेतु अनुरोध	11333600
50	धारा 72 के अधीन सत्यापित प्रतियाँ अथवा धारा 147 व नियम 133 (2) के अंतर्गत प्रमाण पत्र	8438570
51	आवेदक के प्रकार में परिवर्तन से संबन्धित बकाया शुल्क	9358684
52	दावे, पृष्ठ, संशोधन के उपरांत सीक्वेंस लिस्टिंग में वृद्धि से संबन्धित शुल्क	42618142
53	विरोधी का लिखित कथन एवं साक्ष्य/हलफनामा (चौथी अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 6 में देय शुल्क)	52200

54	पेटेंटी का लिखित कथन एवं साक्ष्य/हलफनामा (चौथी अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 6 में देय शुल्क)	109000
55	अन्य प्राप्तियाँ	352452
56	गैर–राजस्व	2181674
57	गैर–राजस्व (वेतन गैर–योजना)	232711
58	गैर–राजस्व (वेतन योजना)	254522
59	गैर–राजस्व (चिकित्सा)	65349
60	गैर राजस्व (यात्रा व्यय)	16770
61	गैर–राजस्व (कार्यालय व्यय गैर–योजना)	123852
62	गैर–राजस्व (कार्यालय व्यय योजना)	13580
63	आईबी से प्राप्त आईएसए शुल्क	5440000
	कुल	**5151803412**

4. पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी)

परिचयः

7 सितंबर, 1998 को, भारत ने जिनेवा में वायपो के साथ दो अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अधिमिलन प्रपत्र जमा किया। ये दो संधियां नामतः औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन तथा पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) 7 दिसम्बर, 1998 से भारत पर बाध्य हैं।

पीसीटी एक ही भाषा में एक ही अंतर्राष्ट्रीय आवेदन पत्र दाखिल करने का प्रावधान है, जिसका प्रभाव प्रत्येक उस देश पर है जो पीसीटी का सदस्य है और जिसे आवेदक पेटेंट के लिए अपने आवेदन में निर्दिष्ट करता है। पीसीटी द्वारा प्रस्तावित सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह प्रक्रियाओं को सरल करता है और कई देशों में पेटेंट संरक्षण की लागत कम करता है।

पीसीटी को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) द्वारा प्रशासित किया जाता है, जो सदस्य देशों के आवेदकों को दुनिया के 152 देशों में पेटेंट अनुदान हेतु एकल अंतर्राष्ट्रीय आवेदन दाखिल करने की सुविधा प्रदान करता है। इसका एक और लाभ यह है कि यह प्रत्येक देश में राष्ट्रीय चरण में प्रवेश करने से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खोज रिपोर्ट (आईएसआर) और अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण रिपोर्ट (आईपीईआर) प्रदान करता है। आईएसआर और आईपीईआर को विश्व के पेटेंट कार्यालयों में से एक द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनियमित मानकों के अनुसार स्थापित किया जाता है, जो पेटेंट आवेदनों की जांच करने में अत्यधिक अनुभवी है और जिसे विशेष रूप से वायपो द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खोज और प्रारंभिक परीक्षण के लिए नियुक्त किया गया है।

1. पीसीटी के तहत प्राप्तकर्ता कार्यालय के रूप में भारतीय पेटेंट कार्यालय :

भारत पीसीटी का सदस्य बना व भारतीय पेटेंट कार्यालय (आईपीओ) ने 1998 से प्राप्तकर्ता कार्यालय के रूप में कार्य प्रारम्भ किया है। पीसीटी के तहत, एक आवेदक जो भारत का नागरिक है अथवा प्रवासी है, वह पीसीटी के तहत प्राप्तकर्ता कार्यालय (रिसीविंग ऑफिस) – इंडिया (आरओ / आईएन) या वायपो (डब्ल्यूआईपीओ) के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो (आरओ / आईबी) के रिसीविंग ऑफिस के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय आवेदन दाखिल कर सकता है।

क) आरओ/आईएन और आरओ/आईबी के माध्यम से भारत के नागरिकों / प्रवासियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आवेदन दाखिल करने की प्रवृत्तिः

	आरओ/आईएन			आरओ/आईबी			कुल योग
वर्ष	वैयक्तिक	विधिक सत्ताधारी	कुल	वैयक्तिक	विधिक सत्ताधारी	कुल	(आरओ/आईएन व आरओ/आईबी)
2013-14	248	568	816	134	427	561	1377
2014-15	235	566	801	145	469	614	1415
2015-16	234	459	693	226	485	711	1404
2016-17	472	272	744	276	523	799	1543
2017-18	274	490	765	360	577	937	1701
2018-19	336	630	966	503	558	1061	2027

ख) ईपीसीटी के माध्यम से दाखिल आवेदनः

आरओ/आईएन, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता के पेटेंट कार्यालयों के काउंटर पर अथवा वायपो द्वारा प्रस्तुत ईपीसीटी फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवेदन करने की सुविधा प्रदान करता है। आरओ / आईबी के माध्यम से भी कागज पर या इलेक्ट्रॉनिक रूप से ईपीसीटी का उपयोग करके आवेदन दाखिल किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से ईपीसीटी के माध्यम से आरओ/आईएन में अंतर्राष्ट्रीय आवेदन दाखिल करने की सुविधा 15 नवंबर 2014 से प्रारम्भ की गयी है।

इलेक्ट्रॉनिक रूप से ईपीसीटी के माध्यम से आरओ/आईएन में दाखिल अंतर्राष्ट्रीय आवेदनः

वर्ष	संख्या	आरओ/आईएन में कुल दाखिल का प्रतिशत
2014-15	215	27 %
2015-16	308	44 %
2016-17	473	64 %
2017-18	669	88 %
2018-19	916	95%

ग) इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाही व समयबद्धताः

आरओ/आईएन अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों पर आगे की कार्यवाही के लिए ईपीसीटी का उपयोग करता है और ईपीसीटी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड प्रतियां और खोज प्रतियां प्रेषित करता है। अप्रैल 2017 से इन कार्यों को आईपीओ दिल्ली में केंद्रीकृत किया गया है। ईसर्च प्रतियां आरओ/आईएन द्वारा 7 में से 6 आईएसए को प्रेषित की जाती हैं जिन्हें भारतीय आवेदकों के लिए सक्षम घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय फाइलिंग तिथि से 4 सप्ताह की निर्धारित समय सीमा के भीतर वायपो के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो में रिकॉर्ड प्रतियां

भेजने में समयबद्धता में 2016–17 में 66% से 2017–18 में 96% व 2018–19 में 100% तक का उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

2018-19 में भारतीय आवेदकों (आरओ / आईएन) द्वारा शीर्ष दस पीसीटी फाइलिंग

क्र. सं.	आवेदक का नाम	कुल दाखिल
1	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद	53
2	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	48
3	टेलीफोनाक्टीबोलागेट एलएम एरिक्सन [पीयूबीएल]	45
4	भारतीय विज्ञान संस्थान	17
5	मेरिल लाइफ साइनसेज प्राइवेट लिमिटेड	15
6	सिपला लिमिटेड	14
7	एमएसएन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, आर & डी सेंटर	13
8	सेंट–गोबेन ग्लास फ्रांस	11
9	मुनियाल आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर	10
10	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड/मिलन लेबोरेटरीज लिमिटेड	8

2. भारतीय पेटेंट कार्यालय (आईपीओ) पीसीटी के तहत अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण (आईएसए) व अंतर्राष्ट्रीय प्रारम्भिक परीक्षण प्राधिकरण (आईपीईए)

भारतीय पेटेंट कार्यालय ने वायपो (डब्ल्यूआईपीओ) द्वारा पीसीटी के तहत अंतर्राष्ट्रीय खोज और प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए मान्यता प्राप्त की और 15 अक्टूबर 2013 से कार्य करना शुरू किया। वर्तमान में, आईपीओ पीसीटी आवेदक जो भारतीय नागरिक / प्रवासी हैं और ईरान के निवासी हैं, उनसे खोज प्रतियाँ और मांगें प्राप्त करता है। प्राप्त खोज प्रतियों की संख्या के संबंध में, आईपीओ वर्ष 2018–19 के दौरान पीसीटी के तहत आईएसए / आईपीईए के रूप में कार्य करने वाले 23 पेटेंट कार्यालयों में 12वें स्थान से 9वें स्थान पर पहुंचा। वायपो–आईपी सांख्यिकी डेटाबेस के अनुसार, भारतीय आवेदकों में से 74% ने वर्ष के दौरान भारतीय पेटेंट कार्यालय का आईएसए के रूप में चयन किया, हालांकि आरओ/आईएन ने 6 अन्य आईएसए/आईपीईए को भारतीय आवेदकों के लिए आईएसए/आईपीईए के रूप में सक्षम घोषित किया है।

क) आईएसए/आईएन में प्राप्त खोज प्रतियों का विवरण

वर्ष	दाखिल	निपटान	आहरित	लंबित
2013-14	135	18	1	116
2014-15	519	502	4	129

2015-16	711	621	1	218
2016-17	940	983	0	175
2017-18	1213	1156	1	231
2018-19	1738	1639	3	327

ख) आईपीईए/आईएन में प्राप्त मांगों का विवरण:

वर्ष	दाखिल	निपटान	आहरित	लंबित
2013-14	0	0	0	0
2014-15	11	0	1	10
2015-16	24	14	1	19
2016-17	30	28	1	20
2017-18	49	29	0	40
2018-19	61	54	1	46

ग) आईएसए / आईपीईए में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली:

आईपीओ ने पीसीटी के तहत अंतर्राष्ट्रीय खोज और प्रारंभिक परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार आईएसए/आईपीईए के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की स्थापना की है। वर्ष 2018–19 के दौरान, आईपीओ ने रिपोर्ट की बेहतर गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्यों को और मजबूत किया। आईएसए/आईपीईए के गुणवत्ता सैल में विभिन्न विषय के विशेषज्ञ परीक्षक व नियंत्रक शामिल हैं जो रिपोर्ट की स्थापना व आवेदक तथा वायपो को रिपोर्ट प्रेषित करने से पूर्व रिपोर्ट की गुणवत्ता की जाँच करते हैं।

घ) समयबद्धता:

वर्ष के दौरान रिपोर्ट स्थापित करने में समयबद्धता 99–100% रही। 2018–19 के दौरान स्थापित की गईं कुल 1639 रिपोर्ट में से 1634 रिपोर्ट वायपो द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर स्थापित की गईं। कुछ रिपोर्ट, जो आविष्कार की एकरूपता की कमी या अन्य अप्रत्याशित कारणों के कारण समयसीमा को पार कर गई थीं, उन्हें भी निर्धारित समय सीमा से परे कुछ हफ्तों के समय में स्थापित किया गया ताकि रिपोर्ट वायपो द्वारा 18 माह के प्रकाशन से पूर्व आवेदक को उपलब्ध हो सके। यदि आवेदकों द्वारा ईमेल उपलब्ध कराया गया है तो आईपीओ ईमेल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खोज और प्रारम्भिक परीक्षण रिपोर्ट प्रेषित करता है और वायपो के साथ स्थापित सुरक्षित ट्रांसमिशन चौनल पीसीटी–ईडीआई के माध्यम से वायपो को रिपोर्ट प्रसारित करता है। रिपोर्ट की स्थापना की तारीख पर तुरंत आवेदकों को रिपोर्ट सूचित की जाती है।

ङ) खोज रणनीतियों का प्रकाशन:

आईपीओ ने अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों के लिए डब्ल्यूआईपीओ के पेटेंट्सस्कोप सर्च पोर्टल पर

प्रकाशन के लिए खोज रणनीतियों को साझा करना प्रारम्भ किया है, जिसके लिए 1 जनवरी, 2018 से रिपोर्ट स्थापित की गई हैं। भारत इस सेवा को प्रारम्भ करने वाले 23 प्राधिकरणों में सातवां अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण है। पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में यह आईपीओ द्वारा महत्वपूर्ण कदम है जो आईपीओ द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में आवेदकों का विश्वास पैदा करता है। पूर्ण खोज रणनीतियाँ आवेदक के साथ–साथ अन्य कार्यालयों के परीक्षकों के लिए भी उपयोगी हैं ताकि उद्धरणों को खोजने के लिए आईएसए के परीक्षक द्वारा किए गए प्रयास के स्तर का मूल्यांकन किया जा सके।

च) आईएसए/आईपीईए में आवेदक:

पीसीटी अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों के आवेदक जो भारत और ईरान के नागरिक/प्रवासी हैं, भारतीय पेटेंट कार्यालय को आईएसए/आईपीईए के रूप में चुन सकते हैं। आईएसए/आईपीईए के रूप में आईपीओ चुनने वाले भारतीय आवेदकों के प्रकार में वैयक्तिक आविष्कारक, स्टार्ट अप, प्रीमियर अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय, भारतीय बहु–राष्ट्रीय समूह, विदेशी बहु–राष्ट्रीय फर्मों की भारतीय इकाइयाँ और भारतीय आविष्कारक या भारतीय कंपनियों के साथ विदेशी फर्म शामिल हैं। आईएसए/आईएन को चुनने वाली प्रमुख कंपनियों में से कुछ हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, टेलीफोनाक्टीबोलागेट एलएमएलएम(पीयूबीएल), भारतीय विज्ञान संस्थान, टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, रिलाइन्स ग्रुप, डॉ. रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड, एमएसएन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड व लारसन एंड टूब्रो ग्रुप।

2018–19 के दौरान आईएसए / आईएन में फाइल करने वाली शीर्ष 10 कंपनी :

क्र. सं.	आवेदक का नाम	आवेदनों की संख्या
1	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	58
2	टेलीफोनाक्टीबोलागेट एलएमएलएम(पीयूबीएल)	50
3	भारतीय विज्ञान संस्थान	32
4	टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड	29
5	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद	24
6	रिलाइन्स ग्रुप	23
7	डॉ. रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड	17
8	एमएसएन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड	13
9	एल एंड टी ग्रुप	13
10	मेरिल लाइफ साइनसेज प्राइवेट लिमिटेड	12

11	सेंट गोबेन	10
12	ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	10
13	हीरो मोटोकोर्प लिमिटेड	10
14	टाटा ग्रुप	10

छ) ईरान से प्राप्त खोज प्रतियां व मांगें :

वर्ष 2018–19 के दौरान, वे आवेदक जो ईरान के नागरिक/प्रवासी हैं, उनसे आईएसए/आईएन ने 138 खोज प्रतियां प्राप्त कीं और आईपीईए/आईएन ने 3 मांग प्राप्त कीं।

आईएसए में आईआर से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक प्राप्त खोज प्रतियां	
वर्ष	**कुल**
2013-2014	0
2014-2015	8
2015-2016	34
2016-2017	24
2017-2018	86
2018-2019	138
कुल	290

5. डिजाइन

परिचय

भारत में औद्योगिक डिजाइन का पंजीकरण और संरक्षा डिजाइन अधिनियम, 2000 (1911 के अपने पूर्ववर्ती अधिनियम को निरस्त कर) और तत्संबंधी डिजाइन नियम 2001 द्वारा प्रशासित होता है, जो 11 मई, 2001 को प्रभावी हुए। डिजाइन नियम, 2001 डिजाइन (संशोधन) नियम, 2008 व डिजाइन (संशोधन) नियम, 2014 द्वारा संशोधित किया गया। डिजाइन नियम का अंतिम संशोधन 30 दिसंबर 2014 से प्रभावी हुआ, जिसमें प्रकृत व्यक्ति व प्रकृत व्यक्ति के सिवाय अन्य के साथ लघु अस्तित्व की नई श्रेणी को शामिल किया गया।

औद्योगिक डिजाइन पृष्ठ के ढंग तथा साज–सज्जा तथा पंक्तियों एवं रंग के संयोजन के साथ–साथ नये आकार व संरचनाओं के वैशिष्ठ्य का सृजन तथा दृष्टिगत अनुरोध के संवर्धन हेतु वस्तुओं में प्रयुक्त अलंकरण को प्रमाणित करते हैं।

डिजाइन पंजीकरण के आवेदनों को डिजाइन नियम, 2001 की तृतीय अनुसूची के अनुरूप वर्गीकृत किया जाता है। यह मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण प्रणाली पर आधारित है जिसे लोकार्नो वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है।

1. दाखिल एवं पंजीकृत डिजाइन आवेदन

i. वर्ष के दौरान, डिजाइन पंजीकरण हेतु दाखिल किए गए आवेदनों की संख्या 12585 रही 9483 डिजाइन पंजीकृत किए गए।

डिजाइन आवेदन दाखिल करने एवं उनके पंजीकरण की प्रवृत्ति नीचे प्रदर्शित की गयी है (परिशिष्ठ ख भी देखें):

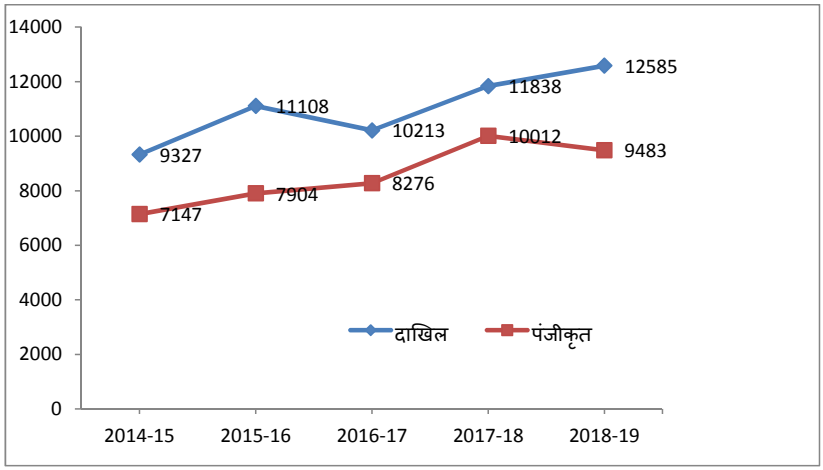

ii. **भारतीय एवं विदेशी नागरिकों द्वारा दाखिल आवेदन :**

भारत में उद्गमित आवेदनों की संख्या 8864 थी जबकि 3721 आवेदन विदेशों से प्राप्त हुए। कुल दाखिल आवेदनों में से भारत से उद्गमित आवेदन लगभग 70% थे।

भारतीय और विदेशी उद्गम के आवेदन प्रवृत्ति निम्नवत है **(परिशिष्ठ ग भी देखें)**:

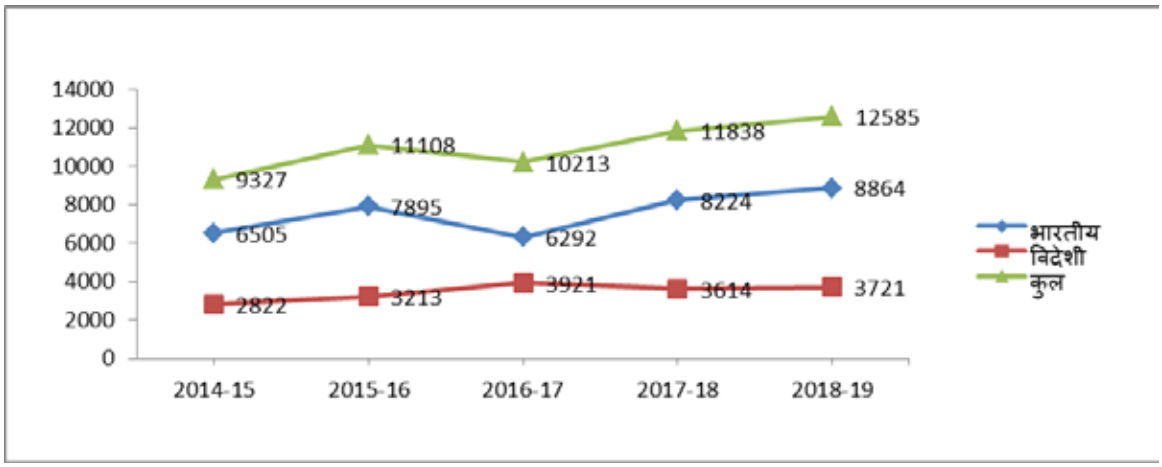

वर्ष के दौरान भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों की कुल संख्या में से, इस वर्ष भी 2197 आवेदनों के साथ महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर बना रहा। दिल्ली 1539 आवेदनों के साथ द्वितीय स्थान पर रहा जबकि 1191 आवेदनों के साथ गुजरात तीसरे स्थान पर रहा। दाखिल करने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का ग्राफीय वर्णन नीचे दिया गया है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार विवरण परिशिष्ट घ में प्रदर्शित किया गया है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार डिजाइन आवेदन दाखिल करने का विवरण परिशिष्ट घ में प्रदर्शित किया गया है:

भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदन (राज्यवार)

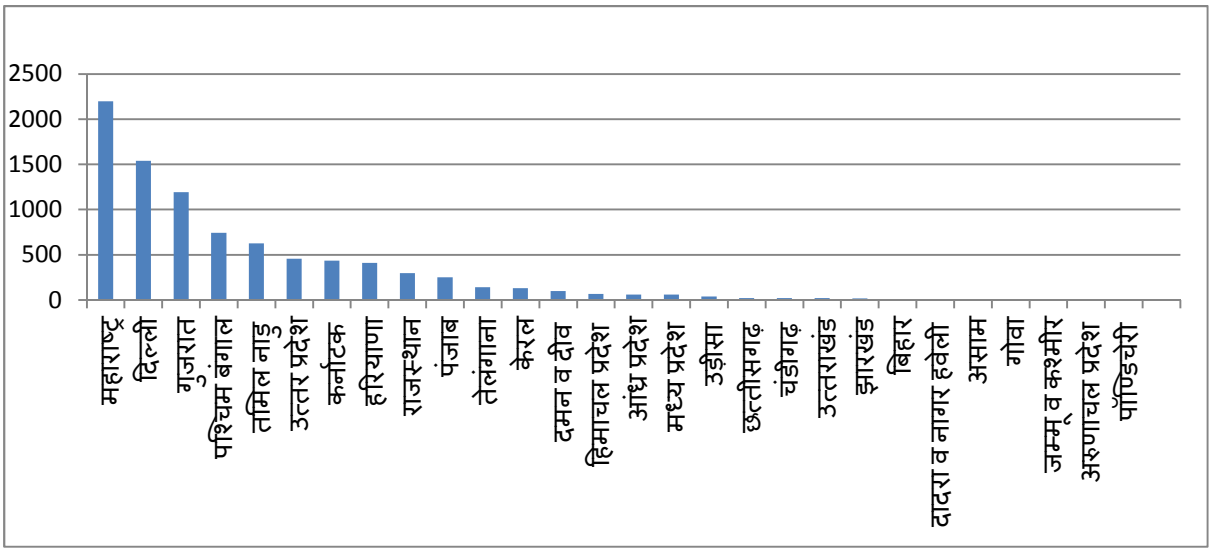

इसी प्रकार अग्रणी भारतीय आवेदक रहे – साब्यसाची कोट्यूर (467), बीबा अपारेल्स प्राइवेट लिमिटेड (250), सिद्धि विनायक नोट्स एंड प्रिंट्स प्र. लि.(240), मिस्टर खेमचंद खत्री (123), रिलेक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड (116), मा डिजाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (93), रिनौल्ट एस.ए.एस. (74), नयासा सुपरप्लास्ट (65), हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेड (64), सिद्धार्थ बिंद्रा (40), इत्यादि।

विदेशों से उद्गमित आवेदनों के संदर्भ में यू.एस.ए. अधिकतम आवेदनों की संख्या (974) के साथ अग्रणी रहा जिसके बाद क्रमशः चीन (507), जापान (421), कोरिया गणराज्य (322), जर्मनी (221), फ्रांस (184), नीदरलैंड (170), यू.के. (156), स्विट्जरलैंड (148) व इटली (93) का स्थान रहा। डिजाइन अधिनियम, 2000 की धारा 44 के अंतर्गत भारत एवं अन्य कन्वेंशन देशों के बीच पारस्परिक व्यवस्था के तहत 3144 आवेदनों ने पूर्विक्ता का दावा किया। विदेशों से उद्गमित 3144 आवेदनों में से (20) शीर्ष दाखिल करने वाले विदेशों का ग्राफीय वर्णन नीचे दिया गया है। देश के अनुसार विवरण परिशिष्ट ङ में प्रदर्शित किया गया है।

विदेशी उद्गम द्वारा दाखिल आवेदन

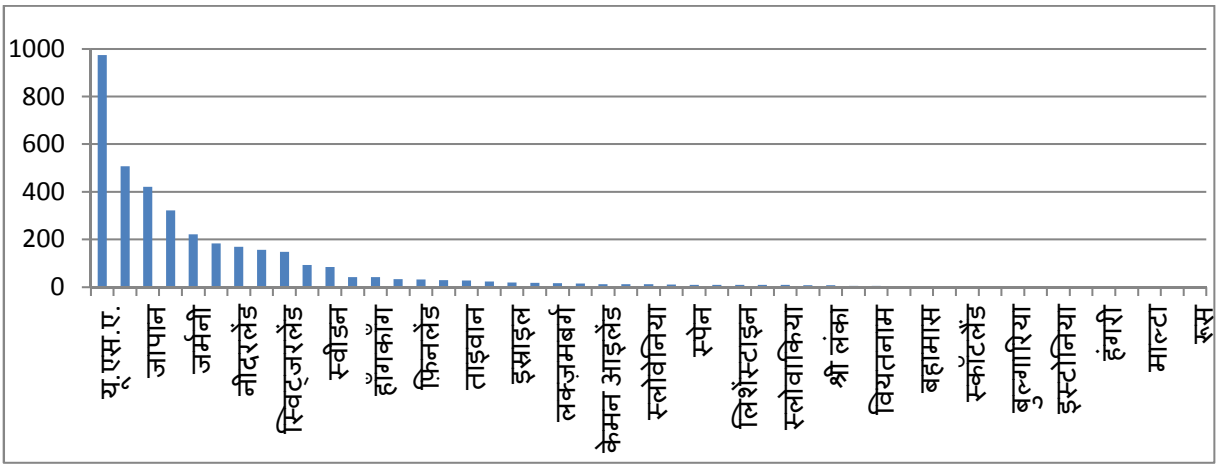

अग्रणी विदेशी आवेदक जिन्होंने आवेदन दाखिल किए वे थे – सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक कं. लि. (166), कोनिंकलिके फिलिप्स एन.वी. (120), हुआवी टेक्नोलोजीस कं. लिमिटेड (77), बीजिंग शाओमि मोबाईल सॉफ्टवेअर कं. लिमिटेड (75), एथीकोन एलएलसी (60), एप्पल इंक. (41), जूल लैब्स इंक. (39), गुआंगोंग ओप्पो मोबाईल टेलिकम्युनिकेशंस कॉर्प. लिमिटेड (38), होंडा मोटर कम्पनी लिमिटेड (37) , एसएमसी कोरपोरेशन (36) आदि।

2. वर्गीकरण के अनुसार दाखिल डिजाइन आवेदन

भारत से उद्गमित आवेदनों में से, 1123 आवेदन वर्ग 02 (वस्त्र वस्तु व बिसाती वस्तु) के

अंतर्गत दाखिल किए गए जिसके बाद वर्ग 09 (पैकेज या कंटेनर) के अंतर्गत 924, वर्ग 12 (यातायात या उत्तोलन के साधन) के अंतर्गत 874, वर्ग 05 (वस्त्र अंश वस्तुएं, कृत्रिम और प्राकृतिक शीट पदार्थ) के अंतर्गत 743, वर्ग 07 (घरेलू सामान जो कहीं अन्य विनिर्दिष्ट नहीं है) के अंतर्गत 650 इत्यादि आवेदन थे। दूसरी तरफ, विदेशों से उद्गमित आवेदन वर्गानुसार यह प्रवृत्ति दर्शाते हैं – वर्ग 14 (रिकॉर्डिंग, संचार या संचार प्राप्ति उपकरण) के अंतर्गत 539, वर्ग 12 (यातायात या उत्तोलन के साधन) के अंतर्गत 435, वर्ग 24 (चिकित्सा और प्रयोगशाला उपकरण) के अंतर्गत 335, वर्ग 23 (द्रव वितरण उपकरण आदि) के अंतर्गत 272, वर्ग 15 (मशीन) के अंतर्गत 254। शेष आवेदन अन्य वर्गों में दाखिल किए गए। भारतीय और विदेशी आवेदकों की ओर से दाखिल आवेदनों की वर्गानुसार प्रवृत्ति नीचे प्रदर्शित की गई है:

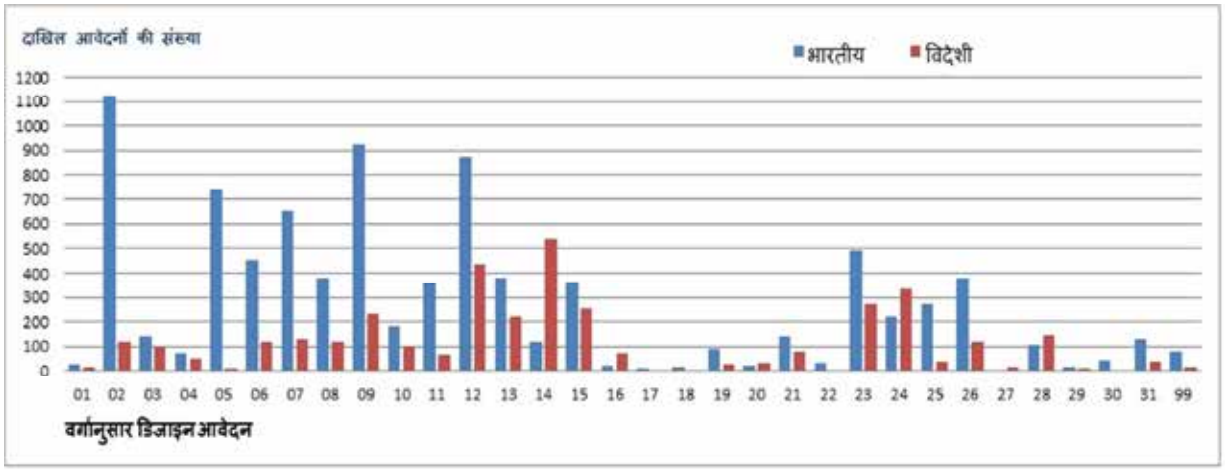

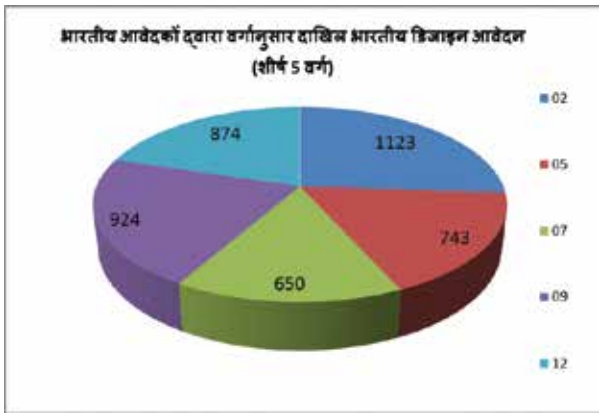

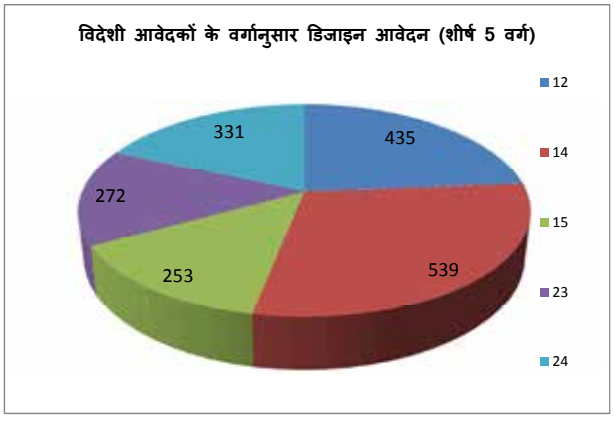

3. भारत व विदेशी उद्गम द्वारा डिजाइन पंजीकरण

कुल पंजीकृत 9483 डिजाइन में से, भारत से उद्गमित पंजीकरणों की संख्या 6589 रही जबकि विदेशों से उद्गमित पंजीकरणों की संख्या 2894 रही। भारत व विदेशों से उद्गमित पंजीकरणों की प्रवृत्ति नीचे दर्शाई गयी है:

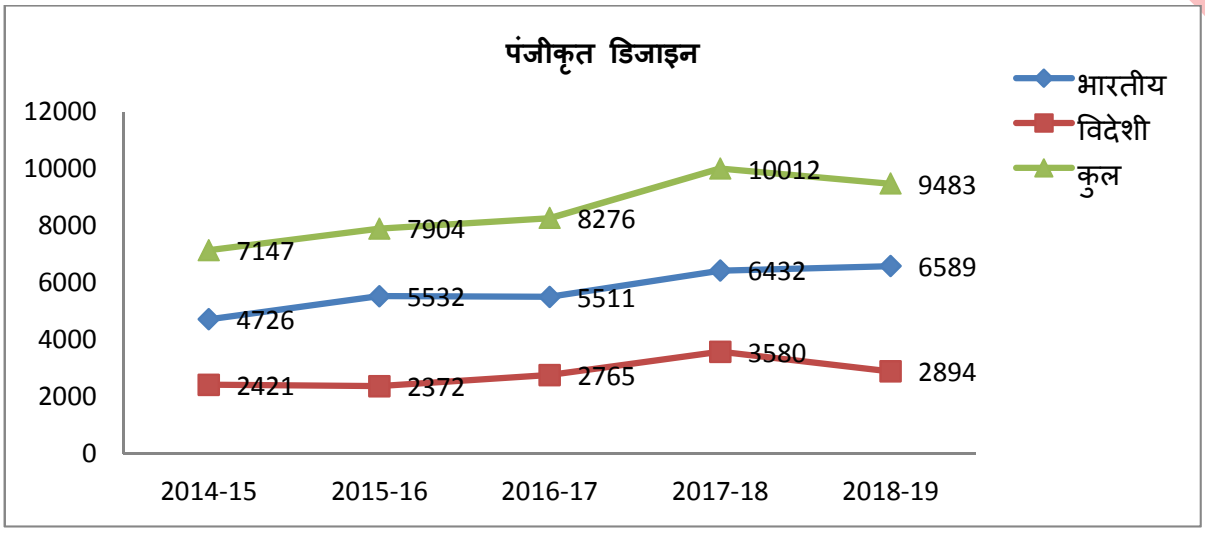

वर्ष के दौरान भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों की कुल संख्या में, इस वर्ष भी 1575 आवेदनों के साथ महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर बना रहा। दिल्ली 1222 आवेदनों के साथ द्वि तीय स्थान पर रहा जबकि गुजरात 1054 आवेदनों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। दाखिल करने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का ग्राफीय वर्णन नीचे दिया गया है। राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार विवरण परिशिष्ट च में प्रदर्शित किया गया है।

पंजीकृत डिजाइन – राज्यानुसार

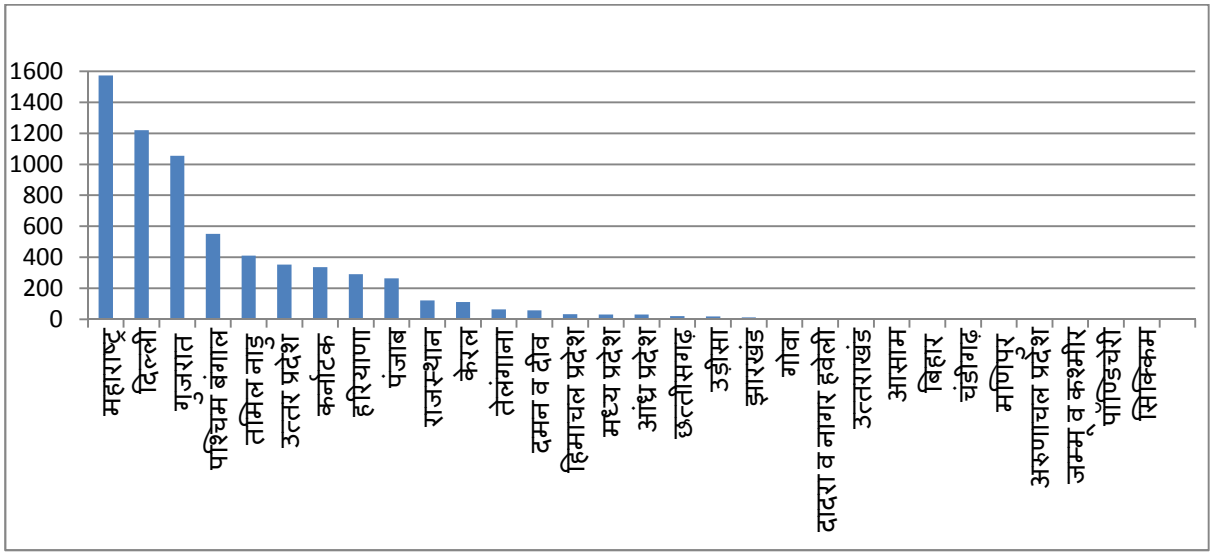

विदेशों से उद्गमित पंजीकृत आवेदनों के क्षेत्र में यू.एस.ए. पंजीकरणों की अधिकतम संख्या (687) के साथ अग्रणी रहा जिसके बाद क्रमशः जापान (357), कोरिया गणतंत्र (327), जर्मनी (239), यू.के. (226), चीन (197), नीदरलैंड (111), फ्रांस (105), स्विट्जरलैंड (96) तथा स्वीडन (92) का स्थान रहा। विदेशों से उद्गमित कुल 2894 पंजीकरणों में से पंजीकृत

डिजाइन वाले (20) शीर्ष देशों का ग्राफीय वर्णन नीचे दिया गया है। देश के अनुसार विवरण परिशिष्ट ङ में प्रदर्शित किया गया है।

पंजीकृत डिजाइन – देशानुसार

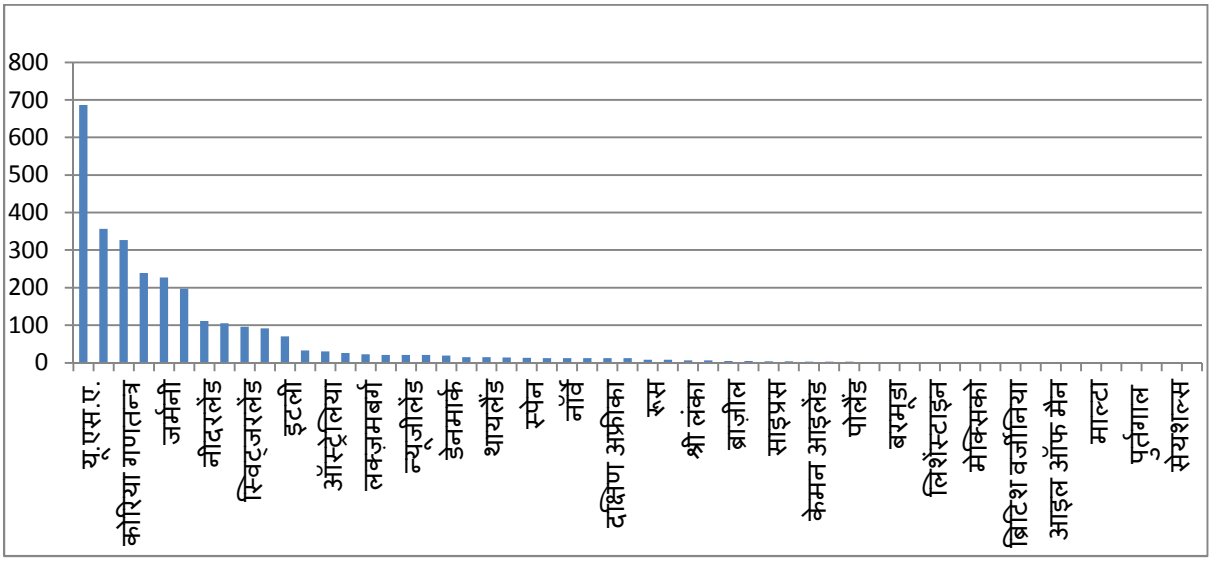

अग्रणी विदेशी कम्पनियाँ जिन्होंने डिजाइन आवेदन पंजीकृत किए वे थीं – सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक कं. लि.(107), कोनिंकलिके फिलिप्स एन.वी. (61), एलजी इलेक्ट्रोनिक्स इंक. (55), स्कैनिया सीवी एबी (47) तथा जिलेट कंपनी एलएलसी (36) आदि।

और, अग्रणी भारतीय कम्पनियाँ जिन्होंने डिजाइन आवेदन पंजीकृत किए वे थीं – साब्यसाची कोट्चूर (350), सिद्धि विनायक नोट्स एंड प्रिंट्स प्र. लि.(219), रिलेक्सो फुटवेयर लिमिटेड (130), मा डिजाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (97), हेमिल्टन हाउसवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड (64), मिस्टर दीपक कुमार क कजावाडारा (53), हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेड (46), एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंक (44), फ्लेक्सस्टोन इंक. (42), तथा मिस्टर सिद्धार्थ बिन्द्रा (39) इत्यादि।

4. वर्गीकरण के अनुसार पंजीकृत डिजाइन आवेदन

इसी प्रकार, भारतीय उद्गम के पंजीकृत डिजाइन के वर्गानुसार वितरण में वर्ग 02 (वस्त्र वस्तु व बिसाती वस्तु) के अंतर्गत 915, वर्ग 09 (माल के परिवहन और उसकी उठाई–धराई के लिए पैकेज और आधान) के अंतर्गत 680, वर्ग 12 (परिवहन या उत्तोलन के साधन) के अंतर्गत 623, वर्ग 05 (वस्त्र अंश वस्तुएं, कृत्रिम और प्राकृतिक शीट पदार्थ) के अंतर्गत 490, तथा वर्ग 07 (घरेलू सामान) के अंतर्गत 477 हैं। जबकि, विदेशी उद्गम के संदर्भ में पंजीकृत डिजाइन के वर्गानुसार वितरण में वर्ग 12 (परिवहन या उत्तोलन के साधन) के अंतर्गत 386, वर्ग 23 (तरल वितरण उपस्कर) के अंतर्गत 243, वर्ग 09 (पैकेज या कंटेनर)

के अंतर्गत 226, वर्ग 15 (मशीन) के अंतर्गत 224, वर्ग 24 (चिकित्सा और प्रयोगशाला उपकरण) के अंतर्गत 223 इत्यादि हैं। भारतीय उद्गम के साथ साथ विदेशी आवेदनों के पंजीकरण का वर्गानुसार वितरण नीचे प्रदर्शित किया गया है:

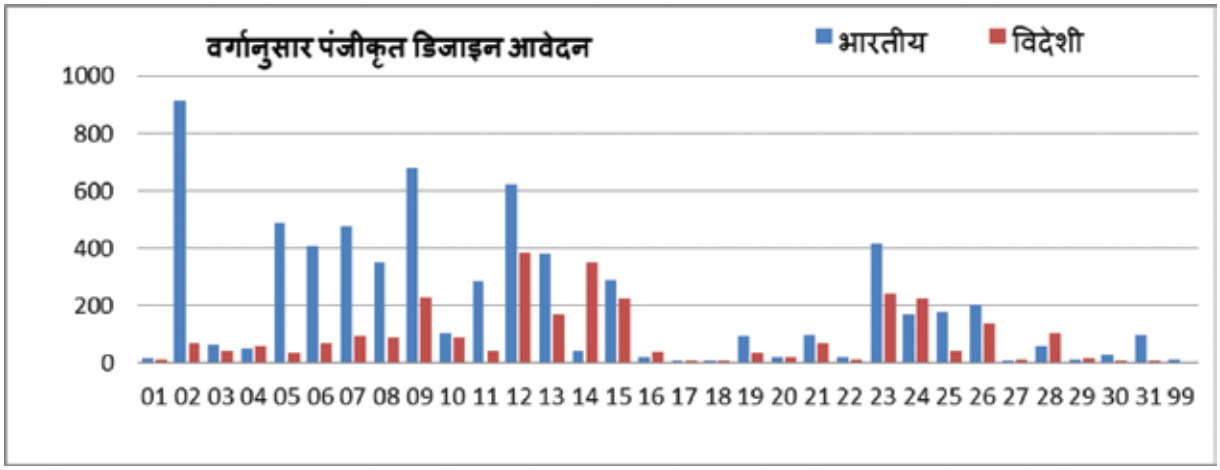

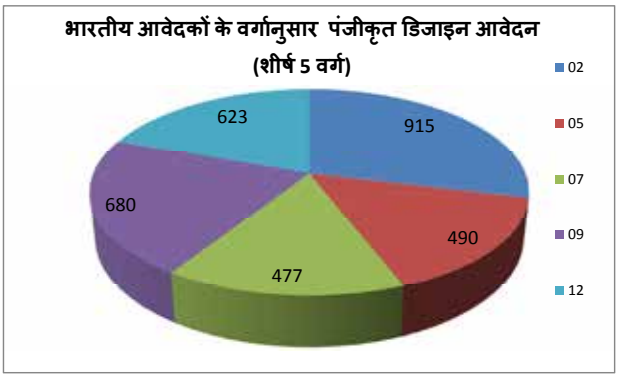

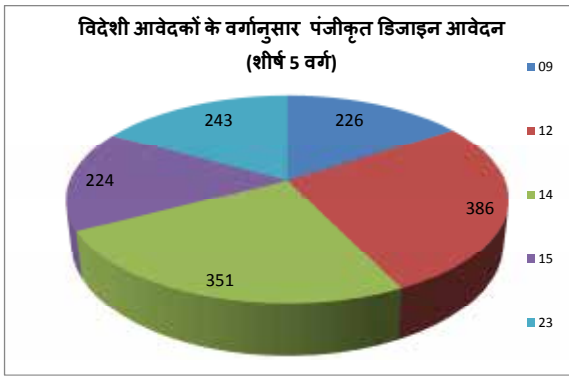

5. डिजाइन आवेदनों का परीक्षण –

वर्ष के दौरान, डिजाइन के पंजीकरण हेतु 12889 आवेदनों का परीक्षण किया गया जिनमें से 10895 आवेदनों की प्रथम परीक्षण रिपोर्ट भेजने की आवश्यकता थी। वर्ष के दौरान पंजीकृत डिजाइन की संख्या 9483 रही। पंजीकरण के अलावा, 199 आवेदनों को अस्वीकृत किया गया तथा 1650 आवेदन परित्यक्त किए गए।

6. प्रतिलिप्यधिकार विस्तार [धारा 11(2) के तहत]

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, पंजीकृत डिजाइन में प्रतिलिप्यधिकार विस्तार के लिए 1,632 आवेदन प्राप्त किए गए। 1093 पंजीकृत डिजाइन का आगामी 5 वर्षों के लिए नवीकरण किया गया। हालाँकि, शेष मामलों पर कार्यवाही प्रारंभ की गई है। वर्ष के दौरान डिजाइन के प्रत्यावर्तन के लिए 87 आवेदन दाखिल किए गए जिनमें से 64 आवेदनों का प्रत्यावर्तन कर दिया गया।

7. विविध कार्यवाहियाँ

क) **पंजीकृत डिजाइन का निरस्तीकरण (धारा 19 के तहत):** वर्ष के दौरान, पंजीकृत डिजाइन के निरस्तीकरण के लिए 74 आवेदन दाखिल हुए। 10 निर्णय जारी किए गए जिनमें से 03 मामलों पर याचिका अनुमत की गई और 07 मामलों में याचिका खारिज कर दी गई।

ख) **जनता द्वारा निरीक्षण (नियम 38 के तहत):** पंजीकृत डिजाइन आवेदनों के निरीक्षण हेतु 55 याचिका प्राप्त की गईं।

ग) **नाम और पते आदि में परिवर्तन [नियम 31 के तहत]:** वर्ष के दौरान नाम, पते एवं सेवार्थ पते में परिवर्तन हेतु 1139 अनुरोध प्राप्त हुए, जिनमें से 792 मामलों का निपटान कर आदेश जारी किया गया। शेष मामलों पर कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

घ) **लिपिकीय त्रुटि का परिमार्जन [नियम 29 के तहत]:**

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान लिपिकीय त्रुटि के परिमार्जन हेतु 36 अनुरोध प्राप्त हुए और सभी का निपटान वर्ष के दौरान ही कर दिया गया।

ङ) **नियम 41 तथा धारा 17 (2) के तहत सत्यापित प्रतियां:**

वर्ष के दौरान, 576 अनुरोध दाखिल किए गए व वर्ष के दौरान सभी का निपटान कर दिया गया।

8. राजस्व

वर्ष के दौरान, सभी पेटेंट कार्यालयों (कोलकाता, दिल्ली, मुंबई व चेन्नई) में डिजाइन अधिनियम 2000 और उसके अधीन बने नियमों के तहत वित्त वर्ष 2018–19 रु. 6,08,35,447 का कुल राजस्व अर्जित किया (परिशिष्ट क)।

9. प्रवृत्त डिजाइन

प्रतिवेदन वर्ष के अंत तक प्रवृत्त पंजीकृत डिजाइन की संख्या 86288 रही।

परिशिष्ट– क

2018–19 के दौरान डिजाइन द्वारा अर्जित राजस्व

प्रलेखों का विवरण	संख्या	शुल्क (रू.)	राशि (रू.)
डिजाइन अधिनियम, 2000 धारा 5 एवं 44 के तहत डिजाइन पंजीकरण हेतु आवेदन (दिल्ली, मुंबई एवं चेन्नई पेटेंट कार्यालयों में प्राप्त आवेदनों सहित)	12585	1000, 2000, 4000	3,80,58000
धारा 11(2) के तहत प्रतिलिप्याधिकार के विस्तार हेतु आवेदन	1632	2000, 4000, 8000	1,25,86000
धारा 12(2) के तहत व्यपगत डिजाइन का प्रत्यावर्तन	87	1000, 2000,4000	3,76,002
धारा 19 के तहत डिजाइन का निरस्तीकरण	74	1500, 3000, 6000	3,90,000
धारा 26 और 17(2) के तहत सत्यापित प्रति	576	500, 1000, 2000	15,76,500
डिजाइन अधिनियम, 2000 व डिजाइन नियम 2001 के तहत अन्य विविध शुल्क (दिल्ली, मुंबई एवं चेन्नई पेटेंट कार्यालयों में प्राप्त आवेदनों सहित)		प्रथम अनुसूची के अनुसार	78,48,945
कुल योग			**6,08,35,447**

परिशिष्ट– ख

दाखिल एवं पंजीकृत आवेदनों की प्रवृत्ति

वर्ष	दाखिल	पंजीकृत
2014-2015	9327	7147
2015-2016	11108	7904
2016-2017	10213	8276
2017-2018	11838	10012
2018-2019	12585	9512

परिशिष्ट– ग

दाखिल एवं पंजीकृत आवेदनों की उद्गम के अनुसार प्रवृत्ति

वर्ष	दाखिल		पंजीकृत	
	भारतीय	विदेशी	भारतीय	विदेशी
2014-2015	6505	2822	4726	2421
2015-2016	7895	3213	5532	2372
2016-2017	6292	3921	5511	2765
2017-2018	8224	3614	6432	3580
2018-2019	8864	3721	6587	2896

दाखिल डिजाइन आवेदन – राज्यानुसार

राज्य का नाम	आवेदनों की संख्या
आंध्र प्रदेश	62
अरुणाचल प्रदेश	1
असम	6
बिहार	10
चंडीगढ़	20
छत्तीसगढ़	21
दादरा – नागर हवेली	8
दमन – दीव	98
दिल्ली	1539
गोवा	5
गुजरात	1191
हरियाणा	411
हिमाचल प्रदेश	66
जम्मू – कश्मीर	3
झारखंड	17
कर्नाटक	437
केरल	132
मध्य प्रदेश	62
महाराष्ट्र	2197
उड़ीसा	39
पांडेचरी	1
पंजाब	251
राजस्थान	299
तमिल नाडु	628
तेलंगाना	140
उत्तर प्रदेश	458
उत्तराखंड	20
पश्चिम बंगाल	742
कुल	**8864**

दाखिल विदेशी डिजाइन आवेदन – देशवार

देश	आवेदनों की संख्या
अफगानिस्तान	1
ऑस्ट्रेलिया	42
ऑस्ट्रीया	34
बेल्जियम	15
बरमूडा	2
ब्राजील	0
ब्रिटिश आइल्स	0
ब्रिटिश वर्जीनिया	0
बुल्गारिया	1
बहामास	2
बाहरीन	0
कनाडा	30
केमन आइलैंड	13
चीन	507
चेक गणराज्य	0
साइप्रस	1
डेनमार्क	12
इस्टोनिया	1
फिनलैंड	32
फ्रांस	184
जर्मनी	221
गर्नसी	1
हाँग काँग	42
हंगरी	1
आइल ऑफ मैन	0
इस्राइल	19
इटली	93
जापान	421
लिक्टन्स्टाइन	9
लिथुआनिया	1
लक्जम्बर्ग	16

देश	आवेदनों की संख्या
मलेशिया	4
मेक्सिको	1
माल्टा	1
नीदरलैंड्स	170
न्यूजीलैंड	23
नॉर्वे	9
पोलैंड	0
पुर्तगाल	0
कोरिया गणराज्य	322
रूस	1
सिंगापुर	18
स्लोवाकिया	9
स्लोवेनिया	12
दक्षिण अफ्रीका	8
स्पेन	10
श्री लंका	8
स्वीडन	84
स्विट्जरलैंड	148
स्कॉटलैंड	2
सेशल्स	0
ताइवान	28
थायलैंड	11
तुर्की	10
यू.ए.ई.	6
यू.के.	156
यू.एस.ए.	974
यूक्रेन	0
वियतनाम	5
कुल	**3721**

डिजाइन का पंजीकरण – राज्यवार

राज्य का नाम	आवेदनों की संख्या
आंध्र प्रदेश	30
अरुणाचल प्रदेश	1
असम	3
बिहार	3
चंडीगढ़	3
छत्तीसगढ़	20
दादरा – नागर हवेली	6
दमन – दीव	57
दिल्ली	1221
गोवा	8
गुजरात	1054
हरियाणा	291
हिमाचल प्रदेश	32
जम्मू – कश्मीर	1
झारखंड	13
कर्नाटक	336
केरल	112
मध्य प्रदेश	31
महाराष्ट्र	1574
मणिपुर	3
उड़ीसा	19
पांडेचरी	1
पंजाब	264
राजस्थान	122
सिक्किम	1
तमिलनाडु	411
तेलंगाना	64
उत्तर प्रदेश	352
उत्तराखंड	4
पश्चिम बंगाल	550
योग	**6587**

डिजाइन का पंजीकरण–देशवार

देश का नाम	आवेदनों की संख्या
अफगानिस्तान	1
ऑस्ट्रेलिया	30
ऑस्ट्रीया	12
बेल्जियम	22
बहामास	0
बाहरीन	1
बरमूडा	2
ब्राजील	5
ब्रिटिश वर्जीनिया	1
ब्रिटिश आइल्स	2
बुल्गारिया	1
कनाडा	14
चीन	197
साइप्रस	4
चेक गणराज्य	3
डेनमार्क	18
इस्टोनिया	0
यूरोपियन यूनियन	1
फिनलैंड	33
फ्रांस	105
जर्मनी	239
गर्नसी	0
हाँग काँग	26
हंगरी	1
आइल ऑफ मैन	1
इस्राइल	15
इटली	70
जापान	357
लिक्टन्स्टाइन	2
लक्जम्बर्ग	23
लिथुआनिया	1
मलेशिया	2

मेक्सिको	2
माल्टा	1
नीदरलैंड्स	111
न्यूजीलैंड	21
नॉर्वे	12
पोलैंड	3
पुर्तगाल	1
पनामा	1
कोरिया गणराज्य	327
रूस	8
स्कॉटलैंड	1
सिंगापुर	12
स्लोवाकिया	4
स्लोवेनिया	5
दक्षिण अफ्रीका	12
स्पेन	13
श्री लंका	6
स्वीडन	92
स्विट्जरलैंड	96
सेशल्स	1
ताइवान	21
थायलैंड	15
तुर्की	8
यू.ए.ई.	12
यू.के.	226
यू.एस.ए.	687
यूक्रेन	1
वियतनाम	6
कुल	**2894**

6. व्यापार चिह्न

यह अध्याय व्यापार चिह्न रजिस्ट्री द्वारा निष्पादित गतिविधियों से संबंधित 60वाँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।

व्यापार चिह्न अधिनियम लागू होने का उद्देश्य देश में वाणिज्य वस्तु पर नकली व्यापार चिह्न के उपयोग को रोकने के लिए वस्तुओं व सेवाओं के व्यापार चिह्न का पंजीकरण व उन्हें संरक्षण प्रदान करना है। व्यापार चिह्न का पंजीकरण पंजीकृत स्वत्वधारी को कतिपय सांविधिक अधिकार प्रदान करता है, जो उसे व्यापार चिह्न के अतिलंघन करने वाले के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हेतु सक्षम बनाता है, चाहे वह व्यापार चिह्न प्रयोग में हो या नहीं। यह उन सामान्य कानून अधिकार के अतिरिक्त है जहां पासिंग ऑफ के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है।

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 तथा व्यापार चिह्न नियम, 2002, 15 सितंबर, 2003 से प्रभावी हुए। व्यापार चिह्न नियम, 2002 को 6 मार्च 2017 से व्यापार चिह्न नियम 2017 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

रजिस्ट्री का मुख्यालय मुंबई में है तथा इसकी शाखाएं दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में स्थित हैं।

देश में बौद्धिक सम्पदा अधिकार के विषय में सामान्य रूप से तथा व्यापार चिह्न के संबंध में विशेष रूप से बढ़ती जागरुकता के कारण व्यापार चिह्न रजिस्ट्री की गतिविधि तथा उत्तरदायित्व में लगातार वृद्धि हो रही है। व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के अधीन और व्यापार चिह्न के अंतर्राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के लिए मैड्रिड प्रोटोकॉल से भारत के संबद्ध होने के बाद सेवा चिह्न, सुविख्यात चिह्न, सामूहिक चिह्न की संरक्षा तथा बहुवर्ग मल्टी क्लास आवेदनों हेतु प्रावधान इत्यादि को शामिल किए जाने से इस भूमिका में और बढ़ोतरी हुई है।

1. 2018–19 के दौरान गतिविधियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2018–19 के दौरान व्यापार चिह्न रजिस्ट्री द्वारा की गई विविध गतिविधियों संबंधी जानकारी निम्नलिखित सारणी में प्रदान की गई है। आवेदन दाखिल करने की प्रवृत्ति यह इंगित करती है

कि इस वर्ष में दाखिल आवेदनों की संख्या 272974 से बढ़ कर 323798 हो गयी तथा व्यापार चिह्न के पंजीकरण में 5% की वृद्धि देखी गयी है– 300913 से 316798 तक। दाखिल, परीक्षित एवं पंजीकृत आवेदनों की संख्या के संबंध में गतिविधियों का विवरण परिशिष्ट–I में दिया गया है।

क्रम संख्या	गतिविधियाँ	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	पंजीकरण के लिए दाखिल किए गए आवेदन	283060	278170	272974	**323798**
2.	व्यापार चिह्न जर्नल में विज्ञापित आवेदनों की संख्या	117408	333673	423030	**396063**
3.	पंजीकृत व्यापार चिह्न की संख्या	65045	250070	300913	**316798**
4	पंजीकरण के अतिरिक्त अन्यथा रूप में (अस्वीकृति, परित्याग और आहरण द्वारा) निष्पादित उत्तर–परीक्षण आवेदनों की संख्या	51122	40374	254864	**202387**
5	पंजीकरण का नवीकरण किए जानेवाले चिह्नों की संख्या	58160	56270	64661	**62497**
6.	पंजीकृत व्यापार चिह्न (समनुदेशन सहित) में पंजीकरण के बाद किए गए परिवर्तनों की प्रविष्टि हेतु निष्पादित अनुरोधों की संख्या	11075	13094	73764	**47251**
7.	प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम,1983 की धारा 45(1) के तहत जारी प्रमाण पत्र	8185	9169	1605	**2760**

2. व्यापार चिह्न आवेदन दाखिल करने की प्रवृत्तिः

2018–19 के दौरान, भारत में व्यापार चिह्न के पंजीकरण के लिए दाखिल किए जा रहे आवेदनों की प्रवृत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। 2018–19 में भारतीयों द्वारा दाखिल आवेदनों की संख्या 2017–18 के 272974 से बढ़ कर 323798 हो गयी है तथा विदेशियों द्वारा दाखिल आवेदनों की संख्या 2017–18 के 25307 से घट कर 2018–19 में 13682 हो गयी। हालांकि, वर्ष 2018–19 के दौरान, मैड्रिड प्रणाली के तहत विदेशी आवेदकों के 14778 अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण व्यापार चिह्न के संरक्षण हेतु भारत में नामित किए गए। इन अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरणों का परीक्षण किया जाता है और इन पर राष्ट्रीय आवेदनों के रूप में कार्यवाही की जाती है।

i. **2013–14 से 2018–19 के दौरान दाखिल आवेदनों का प्रवृत्तिः**

वर्ष	भारतीय आवेदक	विदेशी आवेदक	कुल
2013-14	184140	15865	200005
2014-15	202654	7847	210501
2015-16	267390	15670	283060
2016-17	266730	11440	278170
2017-18	247734	25240	272974
2018-19	**310116**	**13682**	**323798**

ii. **भारतीयों द्वारा दाखिल व्यापार चिह्न आवेदन – राज्यानुसारः**

वर्ष के दौरान भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों की कुल संख्या में, 64767 आवेदनों के साथ महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा। दिल्ली 53620 आवेदनों के साथ द्वितीय स्थान पर रहा जबकि 28918 आवेदनों के साथ गुजरात तीसरे स्थान पर रहा। विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से आवेदकों से प्राप्त आवेदनों की संख्या के साथ ग्राफीय वर्णन नीचे प्रदर्शित किया गया है:

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	आवेदनों की संख्या
अंडमान व निकोबार	36
आंध्र प्रदेश	3533
अरुणाचल प्रदेश	27
असम	1284
बिहार	3889
चंडीगढ़	2124
छत्तीसगढ़	1971
दादरा व नागर हवेली	54
दमन व दीव	129
दिल्ली	53674
गोवा	673
गुजरात	28918
हरियाणा	16031
हिमाचल प्रदेश	1075
जम्मू व कश्मीर	1162
झारखंड	1256
कर्नाटक	17761
केरल	9735
मध्य प्रदेश	8803

महाराष्ट्र	64767
मणिपुर	72
मेघालय	68
मिजोरम	14
नागालैंड	29
उड़ीसा	1733
पांडेचेरी	253
पंजाब	12154
राजस्थान	12407
सिक्किम	27
तमिल नाडु	18909
तेलंगाना	10123
त्रिपुरा	69
उत्तर प्रदेश	24034
उत्तराखंड	2466
पश्चिम बंगाल	10856
कुल	**310116**

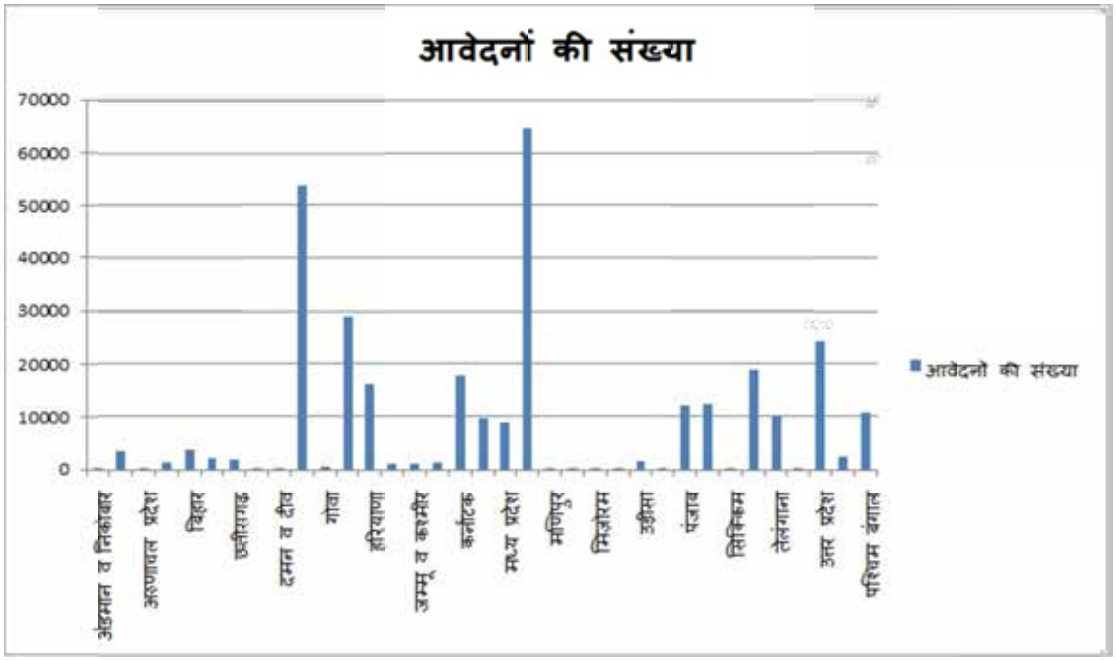

iii. विदेशी आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदन

रजिस्ट्री में दाखिल कुल 323798 आवेदनों में से, वर्ष के दौरान विदेशी आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों की संख्या **13682** रही। (20) शीर्ष दाखिल करने वाले विदेशों का ग्राफीय वर्णन नीचे दिया गया है।

देश का नाम	आवेदनों की संख्या
संयुक्त राज्य अमरीका	4204
चीन	2716
यूनाइटिड किंग्डम	669
जापान	517
कोरिया गणराज्य	472
सिंगापुर	462
जर्मनी	413
हाँग काँग	412
कनाडा	324
संयुक्त अरब अमीरात	318
स्विट्जरलैंड	294
फ्रांस	207
ऑस्ट्रेलिया	199
ताइवान, प्रोविन्स ऑफ चाइना	191
केमन आईलैंड	188
थायलैंड	186
इटली	152
ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड	147
मलेशिया	147
नीदरलैंड्स	107
कुल	12325

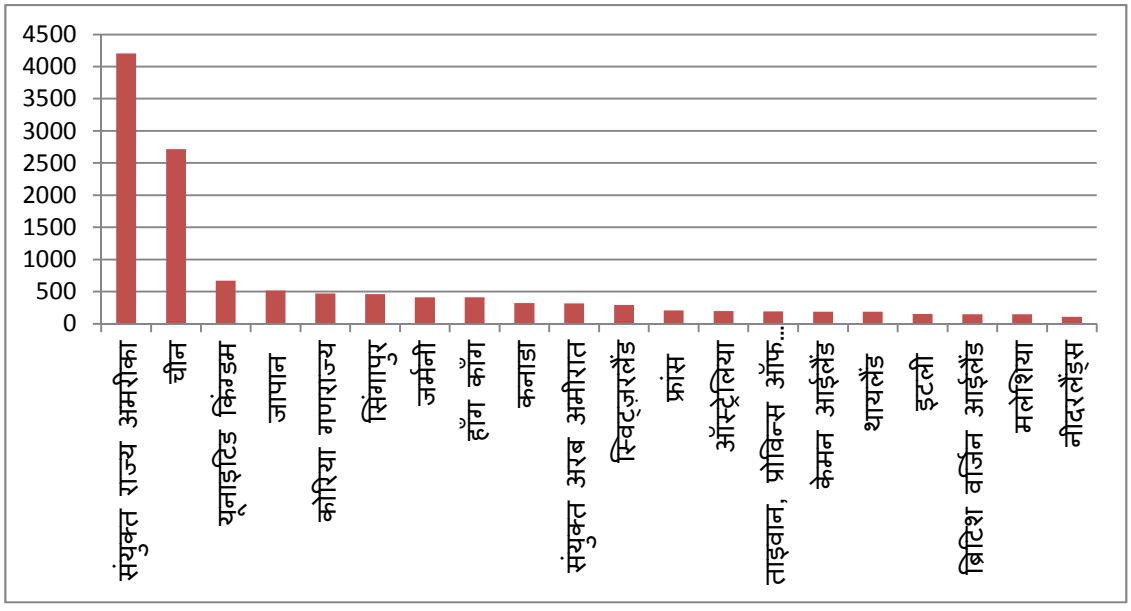

iv. वर्गानुसार दाखिल किए गए आवेदनों की प्रवृत्तिः

वर्ष 2018–19 के दौरान दाखिल किए गए व्यापार चिह्न आवेदनों की वर्गानुसार प्रवृत्ति निम्न प्रदत्त सारणी में दर्शायी गई है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी सबसे ज्यादा आवेदन वर्ग 5 के अंतर्गत की वस्तुओं (औषधी, पशु चिकित्सीय तथा आरोग्यकारक पदार्थों आदि) के लिए प्राप्त हुए हैं। वे वर्ग जिनमें आवेदन दाखिल किए गए थे उनके % भाग के साथ उनका विवरण नीचे दिया गया

व्यापार चिह्न के पंजीकरण हेतु दाखिल आवेदनों के वर्गानुसार वितरण का विवरण

वर्ग	वस्तु एवं सेवाओं का विवरण	आवेदनों की संख्या	किसी विशेष वर्ग के संबंध में दाखिल किए गए आवेदनों का %
1	उद्योग, विज्ञान, फोटोग्राफी, कृषि, उद्यान–कृषि, वानिकी, खाद आदि में उपयोग में लाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ	4887	1.45
2	पेंट और वार्निश	1927	0.57
3	सुगंधित पदार्थ, अंगराग आदि	13997	4.15
4	औद्योगिक तेल और चिकनाइयॉ (खाद्य तेल के अलावा) आदि	1652	0.49
5	औषधीय, भेषजीय, पशु चिकित्सीय और आरोग्यकारक पदार्थ आदि	48563	14.40
6	अन–रॉट और अंशतः रॉट सामान्य धातु एवं उनके मिश्र धातु आदि	4458	1.32
7	मशीन और मशीनी औजार, मोटरें, आदि	6901	2.05
8	हाथ से काम करने के औजार और उपकरण आदि	1546	0.46
9	वैज्ञानिक, नाविक, सर्वे, वैद्युत उपकरण आदि	20487	6.08
10	शाल्यिक, औषधीय, दंत और पशुचिकित्सा उपकरण और यंत्र आदि	2941	0.87
11	प्रकाशन साधित्र, तापक वाष्पजनक आदि	8708	2.58
12	वाहन और उनके पुर्जे, यंत्र, भूमि पर, व्योम में अथवा जल पर चलने के लिए यंत्र आदि	3809	1.13
13	अग्न्यास्त्र, गोला बारूद और क्षेपित्र आदि	234	0.07
14	बहुमूल्य वस्तुएं और उनका मिश्र धातु आदि	4535	1.34
15	संगीत के यंत्र (बोलने वाली मशीन और वायरलेस उपकरण के अतिरिक्त)	282	0.08
16	कागज और कागज की वस्तुएं, लेखन सामग्री, छपी सामग्री आदि	6798	2.02
17	गट्टा पर्चा, भारतीय रबर आदि	2781	0.82
18	चमड़े और कृत्रिम चमड़े आदि	4135	1.23
19	भवन निर्माण सामग्रियां आदि	5712	1.69
20	फर्नीचर, आईने आदि	4483	1.33
21	छोटे घरेलू बर्तन आदि	4537	1.35

22	रस्सी, सुतली आदि	746	0.22
23	सूत और धागे	468	0.14
24	टिशू (खंडित वस्तुएं) आदि	4114	1.22
25	बूट, जूते और स्लीपर सहित पहनने की वस्तुएं	25272	7.49
26	गोटा और कसीदा, फीता और चोटी आदि	930	0.28
27	गलीचे, लोई, चटाइयां आदि	761	0.23
28	खेल और खेलने की चीजें आदि	2867	0.85
29	मांस, मछली, मुर्गी पालन आदि	9735	2.89
30	कॉफी, चाय, कोको आदि	17579	5.21
31	कृषि, बागवानी और वन्य उत्पाद और अनाज जो अन्य वर्गों के अंतर्गत नहीं है	5130	1.52
32	बीयर, एल और पोर्ट, खनिज और वाति जल और अन्य अमद्यसारिक पेय जो अन्य वर्गों के अंतर्गत नहीं है	5382	1.60
33	वाइन स्प्रिट और मद्य पेय	1419	0.42
34	तम्बाकू, कच्चा या निर्मित, धूम्रपान करने वालों के लिए चीजें, दियासलाइयाँ	3313	0.98
35	विज्ञापन, कारोबार प्रबन्ध, कारोबार प्रशासन, कार्यालय कृत्य	34056	10.10
36	बीमा वित्तीय कार्य, आर्थिक कार्य, सम्पदा कार्य	5450	1.62
37	भवन निर्माण, मरम्मत, संस्थापन सेवाएं	4968	1.47
38	दूरसंचार	3680	1.09
39	यातायात, माल की पैकिंग और भंडारण, यात्रा इंतजाम	4477	1.33
40	सामग्री का बहिस्त्राव	1460	0.43
41	शिक्षा, प्रशिक्षण देना, मनोरंजन, क्रीडा और सांस्कृतिक क्रियाकलाप	19255	5.71
42	वैज्ञानिक और तकनीकी सेवाओं तथा उससे संबंधित शोध और अभिकल्प, औद्योगिक विश्लेषण और शोध सेवाएं, कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का डिजाइन और विकास	10549	3.13
43	खाद्य और पेय हेतु सेवाएं; अस्थायी निवास	12438	3.69
44	चिकित्सा सेवाएं; पशुचिकित्सा सेवाएं; मानव या पशुओं के लिए स्वच्छता और सौन्दर्य देखभाल; कृषि, बागवानी तथा वन्य सेवाएं,	6187	1.83
45	विधिक सेवाएं; सम्पत्ति और व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा सेवाएं; व्यक्तियों की आवश्यकता पूर्ति के लिए अन्य लोगों द्वारा प्रदान की जाने वाली व्यक्तिगत और सामाजिक सेवाएं	3597	1.07

v. शाखानुसार दाखिल किए गए आवेदनों की प्रवृत्ति

वर्ष 2018–19 के दौरान, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री की दिल्ली शाखा में अधिकतम संख्या में आवेदन (**121723**) दाखिल किए गए जिसके बाद क्रमशः मुंबई (**78195**), चेन्नई (**62332**), अहमदाबाद (**41720**) एवं कोलकाता (**19828**) का स्थान आता है।

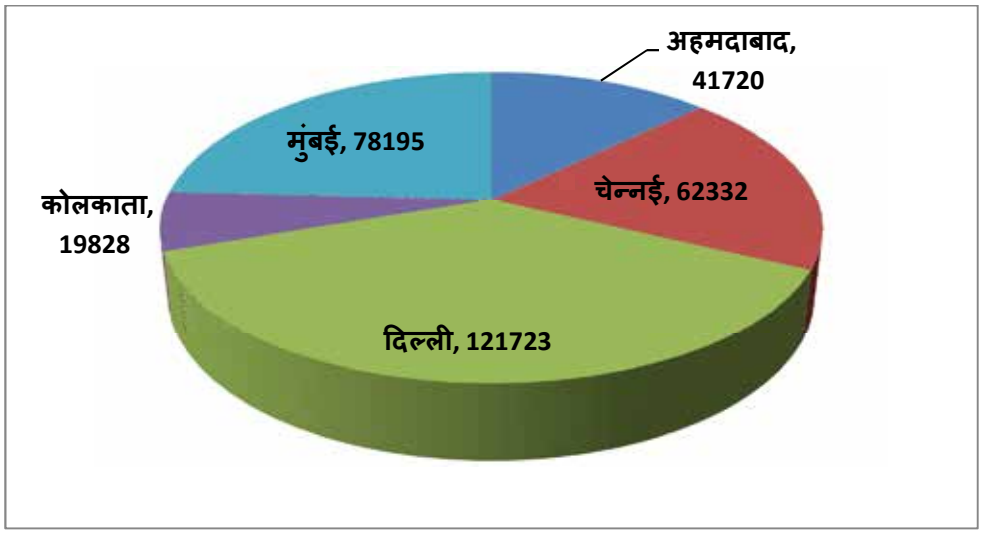

3 व्यापार चिह्न का पंजीकरण एवं अन्य गतिविधियाँ:

वर्ष 2018–19 के दौरान, पंजीकृत व्यापार चिह्न की संख्या 316798 रही जबकि पिछले वर्ष के दौरान 300913 चिह्न पंजीकृत किए गए थे। दिनांक 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत व्यापार चिह्न की कुल संख्या 1831277 थी। वर्ष के दौरान अन्य गतिविधियां निम्नानुसार हैं:

- 62497 पंजीकृत व्यापार चिह्नों का नवीकरण किया गया,
- पंजीकृत व्यापार चिह्न (अन्य व्यक्तियों को उनके समनुदेशन सहित) के संदर्भ में पंजीकरण के उपरांत परिवर्तन हेतु **30299** अनुरोध प्राप्त हुए व **47251** अनुरोध निष्पादित कर दिए गए,
- कानूनी कार्यवाहियों में उपयोग के लिए अथवा विदेशों में पंजीकरण प्राप्त करने हेतु **2144** प्रमाणपत्र जारी किए गए,
- प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 45 (1) के तहत **2670** प्रमाण पत्र प्रतिलिप्यधिकार के रूप में कलात्मक कार्य के पंजीकरण हेतु जारी किए गए।

रजिस्ट्री ने व्यापार चिह्न पंजीकरण के लिए विगत वर्ष के 423030 विज्ञापनों की तुलना में इस वर्ष के दौरान 396063 आवेदन व्यापार चिह्न जर्नल में विज्ञापित किए। पिछले पाँच वर्षों में व्यापार चिह्न जर्नल में प्रकाशित व्यापार चिह्न की प्रवृत्ति **परिशिष्ट II** में दिखाई गई है।

रजिस्ट्री ने अधिनियम और नियम के अधीन विधिक कार्यवाहियाँ भी संचालित की जिनमें मुख्यतः विरोध और परिशोधन की कार्यवाहियाँ थी। वर्ष 2018–19 के दौरान विरोध की सूचना और रजिस्टर के परिशोधन हेतु 33882 आवेदन दाखिल किए गए और ऐसे 50828

मामलों का पूर्णतया निष्पादन कर दिया गया। ऐसे दाखिल और निष्पादित मामलों का विवरण **परिशिष्ट III** में दिया गया है।

4. पंजीकृत व्यापार चिह्न की संख्या का वर्गानुसार विवरण :

निम्न प्रदत्त सारणी वर्ष 2018–19 के दौरान पंजीकृत व्यापार चिह्न का वर्गानुसार विवरण प्रस्तुत करती है। यह देखा गया है कि वर्ग–5 के अंतर्गत पंजीकृत व्यापार चिह्न कुल पंजीकरण का 12.81% है, जिसके बाद वर्ग–35 आता है जो 9.93% है।

वर्ग	वस्तु एवं सेवाओं का विवरण	पंजीकृत आवेदनों की संख्या	वर्ग में % भाग
1	उद्योग, विज्ञान, फोटोग्राफी, कृषि, उद्यान–कृषि, वानिकी, खाद आदि में उपयोग में लाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ	5738	1.70
2	पेंट और वार्निश	2078	0.61
3	सुगंधित पदार्थ, अंगराग आदि	12610	3.73
4	औद्योगिक तेल और चिकनाइयाँ (खाद्य तेल के अलावा) आदि	1772	0.52
5	भेषजीय, पशु चिकित्सीय और आरोग्यकारक पदार्थ आदि	43305	12.81
6	अन–रॉट और अंशतः रॉट सामान्य धातु एवं उनके मिश्र धातु आदि	4777	1.41
7	मशीन और मशीनी औजार, मोटरें, आदि	7830	2.32
8	हाथ से काम करने के औजार और उपकरण आदि	1709	0.51
9	वैज्ञानिक, नाविक, सर्वे, वैद्युत उपकरण आदि	20939	6.20
10	शाल्यिक, औषधीय, दंत और पशुचिकित्सा उपकरण और यंत्र आदि	3563	1.05
11	प्रकाशन साधित्र, तापक आदि	8553	2.53
12	वाहन और उनके पुर्जे, यंत्र, भूमि पर, व्योम में अथवा जल पर चलने के लिए यंत्र आदि	4541	1.34
13	अग्न्यास्त्र, गोला बारूद और क्षेपित्र आदि	311	0.09
14	बहुमूल्य वस्तुएं और उनका मिश्र धातु आदि	4415	1.31
15	संगीत के यंत्र (बोलने वाली मशीन और वायरलेस उपकरण के अतिरिक्त)	376	0.11
16	कागज और कागज की वस्तुएं, लेखन सामग्री, छपी सामग्री आदि	10154	3.00
17	गट्टा पर्चा, भारतीय रबर आदि	3174	0.94
18	चमड़े और कृत्रिम चमड़े से बनी वस्तुएं आदि	4235	1.25
19	भवन निर्माण सामग्रियां आदि	5839	1.73
20	फर्नीचर, आईने आदि	4278	1.27
21	छोटे घरेलू बर्तन आदि	4468	1.32
22	रस्सी, सुतली आदि	815	0.24
23	सूत और धागे	705	0.21

24	टिशू (खंडित वस्तुएं) आदि	4572	1.35
25	बूट, जूते और स्लीपर सहित पहनने की वस्तुएं	21754	6.44
26	गोटा और कसीदा, फीता और चोटी आदि	1169	0.35
27	गलीचे, लोई, चटाइयां आदि	903	0.27
28	खेल और खेलने की चीजें आदि	2940	0.87
29	मांस, मछली, मुर्गी पालन आदि	8145	2.41
30	कॉफी, चाय, कोको आदि	16680	4.94
31	कृषि, बागवानी और वन्य उत्पाद और अनाज जो अन्य वर्गों में अंतर्गत नहीं है	5444	1.61
32	बीयर, एल और पोर्ट, खनिज और वाति जल और अन्य अमद्यसारिक पेय जो अन्य वर्गों के अंतर्गत नहीं है	5545	1.64
33	वाइन, स्प्रिट और मद्य पेय	1788	0.53
34	तम्बाकू, कच्चा या निर्मित, धूम्रपान करने वालों के लिए चीजें, दियासलाइयाँ	2488	0.74
35	विज्ञापन, कारोबार प्रबन्ध, कारोबार प्रशासन, कार्यालय कृत्य	33561	9.93
36	बीमा वित्तीय कार्य, आर्थिक कार्य, सम्पदा कार्य	6531	1.93
37	भवन निर्माण, मरम्मत, संस्थापन सेवाएं	6363	1.88
38	दूरसंचार	4722	1.40
39	यातायात, माल की पैकिंग और भंडारण, यात्रा इंतजाम	4436	1.31
40	सामग्री का बहिस्त्राव	1812	0.54
41	शिक्षा,प्रशिक्षण देना, मनोरंजन, क्रीड़ा और सांस्कृतिक क्रियाकलाप	19888	5.88
42	वैज्ञानिक और तकनीकी सेवाओं तथा उससे संबंधित शोध और अभिकल्प, औद्योगिक विश्लेषण और शोध सेवाएं, कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का डिजाइन और विकास	12752	3.77
43	खाद्य और पेय हेतु सेवाएं; अस्थायी निवास	10175	3.01
44	चिकित्सा सेवाएं; पशुचिकित्सा सेवाएं; मानव या पशुओं के लिए स्वच्छता और सौन्दर्य देखभाल; कृषि, बागवानी तथा वन्य सेवाएं,	6187	1.83
45	विधिक सेवाएं; सम्पत्ति और व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा सेवाएं; व्यक्तियों की आवश्यकता पूर्ति के लिए अन्य लोगों द्वारा प्रदान की जाने वाली व्यक्तिगत और सामाजिक सेवाएं	3947	1.17

टिप्पणी: बहुवर्ग आवेदन दाखिल करने का प्रावधान है व ऐसे आवेदनों के लिए एकल प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। उपरोक्त जानकारी के उद्देश्य से, वर्गानुसार पंजीकरण के संबंध में, बहु–वर्गीय आवेदनों में प्रत्येक वर्ग पर पृथक रूप से विचार किया गया है।

5. राजस्व व व्यय

वर्ष 2018–19 के दौरान व्यापार चिह्न रजिस्ट्री ने रु. 341.20 करोड़ (इसमें मैड्रिड प्रणाली के तहत अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के शुल्क के रूप में आईबी से प्राप्त रु. 29.7 करोड़ रु.

शामिल हैं) का राजस्व अर्जित किया जबकि गत वर्ष के दौरान यह रु. 286.11 करोड़ रहा। इस वर्ष रु. 22.42 करोड़ का व्यय हुआ जबकि पिछले वर्ष के दौरान रु. 11.02 करोड़ का व्यय हुआ था।

परिशिष्ट I

पिछले 5 वर्षों में व्यापार चिह्न आवेदनों की प्रवृत्ति

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
दाखिल	2,10,501	2,83,060	2,78,170	2,72,974	**3,23,978**
परीक्षित	1,68,026	2,67,861	5,32,230	3,06,259	**3,37,541**
पंजीकृत	41,583	65,045	2,50,070	3,00,913	**3,16,798**

पिछले 5 वर्षों में व्यापार चिह्न आवेदनों की प्रवृत्ति की ग्राफीय प्रस्तुति

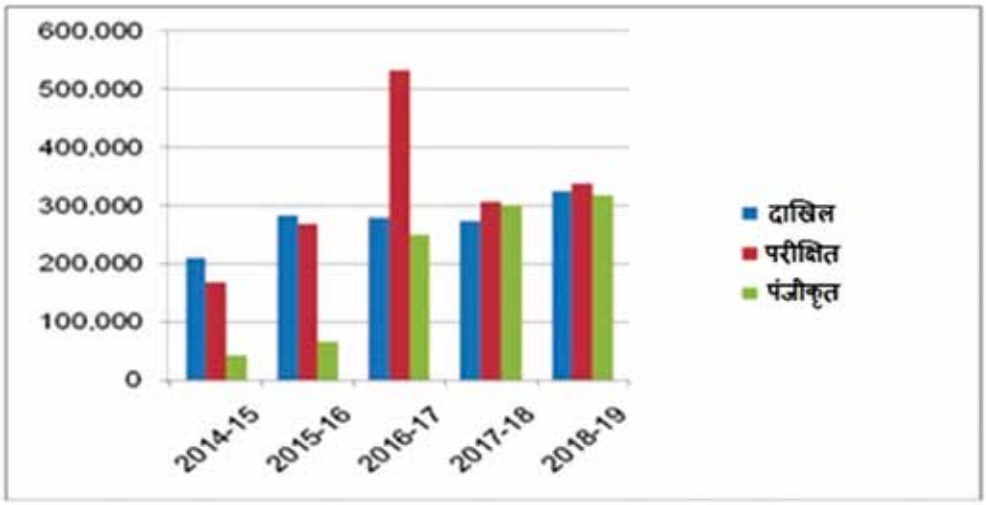

परिशिष्ट II

पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रकाशित व्यापार चिह्नों की संख्या

क्र. सं.	वर्ष	जर्नल में प्रकाशित व्यापार चिह्न की संख्या
1	2014-15	81959
2	2015-16	117408
3	2016-17	333673
4	2017-18	423030
5	**2018-19**	**396063**

पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रकाशित व्यापार चिह्नों की संख्या की ग्राफीय प्रस्तुति

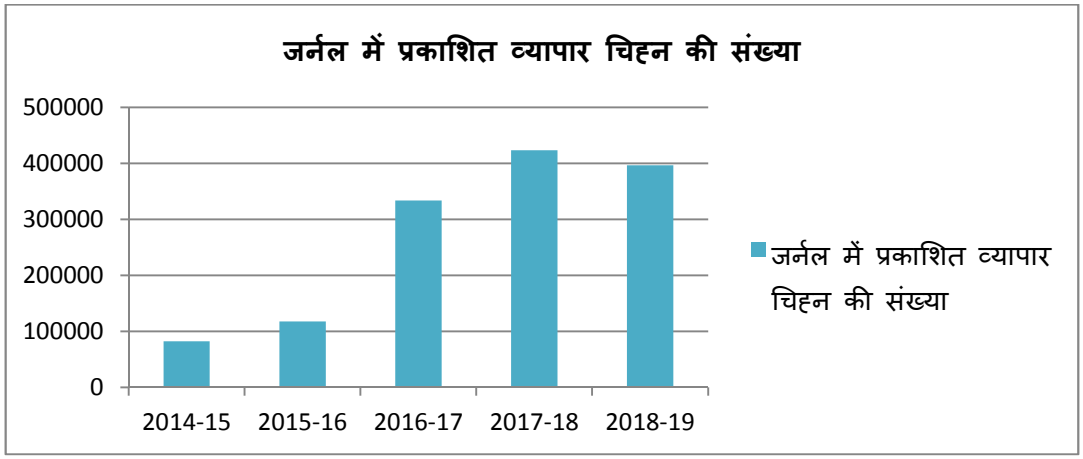

परिशिष्ट III

1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक विभिन्न कार्यालयों में दाखिल विरोध/परिशोधन आवेदन और उनके निष्पादन का विवरण

व्यापार चिह्न कार्यालय	दाखिल विरोध/परिशोधन	निष्पादित मामले
अहमदाबाद	5774	4737
चेन्नई	9773	7356
दिल्ली	18176	24965
कोलकाता	3419	1964
मुंबई	13692	11741
कुल	**1141**	**65**

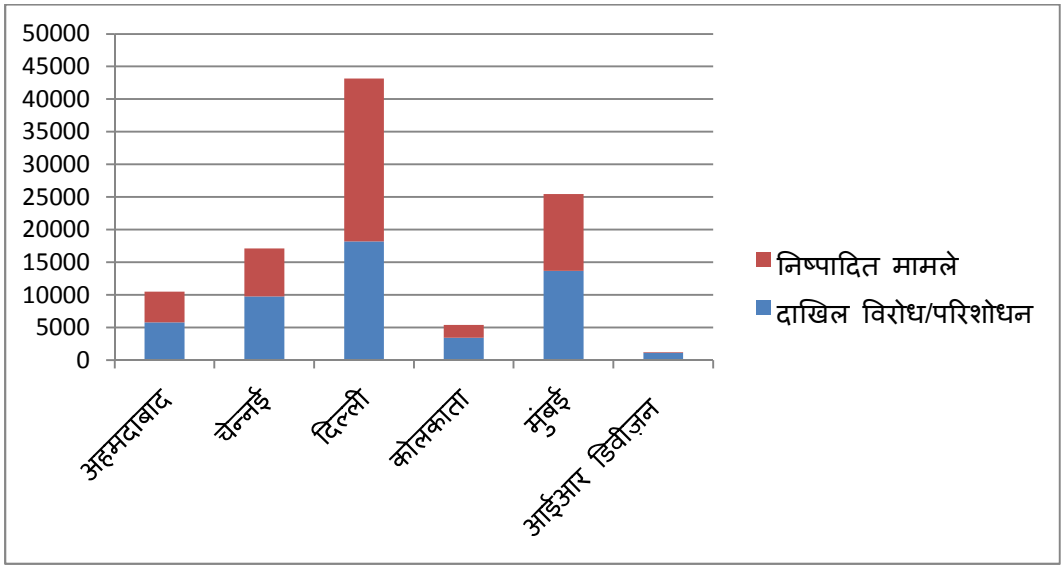

पिछले पाँच वर्षों के दौरान पंजीकृत व्यापार चिह्न

क्रम संख्या	वर्ष	पंजीकृत व्यापार चिह्नों की संख्या
1	2014-15	41583
2	2015-16	65045
3	2016-17	250070
4	2017-18	300913
5	**2018-19**	**316798**

पिछले 5 वर्षों के दौरान पंजीकृत व्यापार चिह्न की ग्राफीय प्रस्तुति

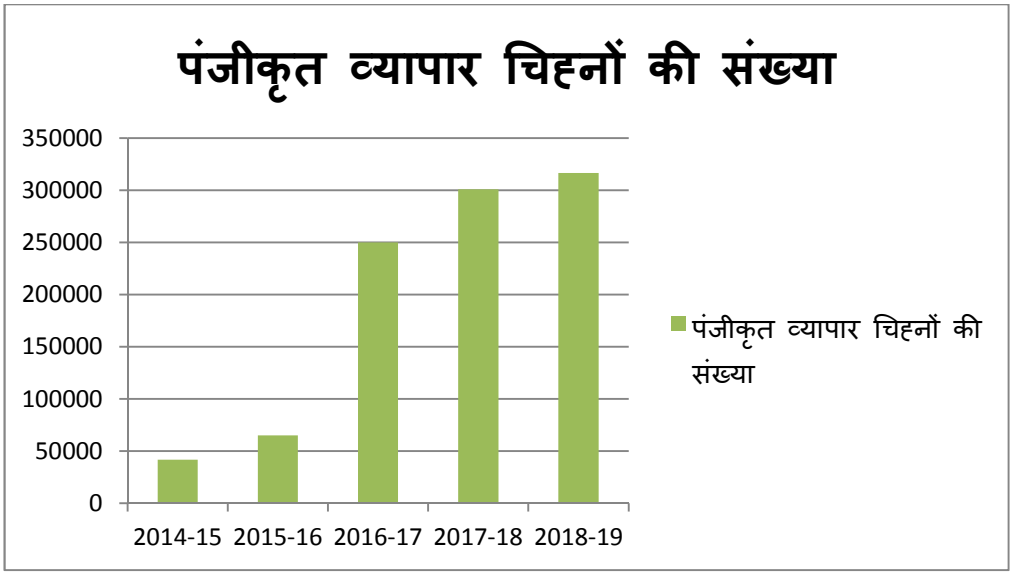

7. चिह्नों के पंजीकरण हेतु मैड्रिड प्रणाली

परिचय

मैड्रिड प्रणाली कई सदस्य देशों में व्यापार चिह्न के पंजीकरण के लिए एकल प्रक्रिया प्रदान करती है। यह दो संधियों से शासित होती है नामतः, 'द मैड्रिड एग्रीमेंट कंसर्निंग द इन्टरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स' (संक्षेप में मैड्रिड एग्रीमेंट के रूप में जाना जाता है) और 'प्रोटोकॉल रिलेटिंग टू द मैड्रिड एग्रीमेंट' (संक्षेप में मैड्रिड प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है)।

ये संधियाँ स्विट्जरलैंड के जिनेवा में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डबल्यूआईपीओ) के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो (आईबी) द्वारा प्रशासित होती हैं।

भारत के मैड्रिड प्रोटोकोल में शामिल होने की पृष्ठभूमि

- 8 फरवरी 2007 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिह्नों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के संबंध में भारत के मैड्रिड प्रोटोकॉल में शामिल होने के लिए अपनी स्वीकृति दी।
- 21 सितंबर 2010 को व्यापार चिह्न अधिनियम 1999 को व्यापार चिह्न (संशोधन) अधिनियम 2010 द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें 'मैड्रिड प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के माध्यम से व्यापार चिह्न के संरक्षण से संबंधित विशेष प्रावधान' को अधिनियम में अंतःस्थापित किया गया।
- 14 जनवरी 2013 के राजपत्र में व्यापार चिह्न (संशोधन) नियम, 2013 प्रकाशित किए गए।
- 8 जुलाई, 2013 से भारत में मैड्रिड प्रोटोकॉल के प्रावधान लागू हो गए।

मैड्रिड सिस्टम के तहत चिह्नों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण की प्रक्रिया (विशेष रूप से मैड्रिड प्रोटोकॉल के तहत) निम्नानुसार वर्णित है:

मैड्रिड प्रोटोकॉल के तहत पंजीकरण

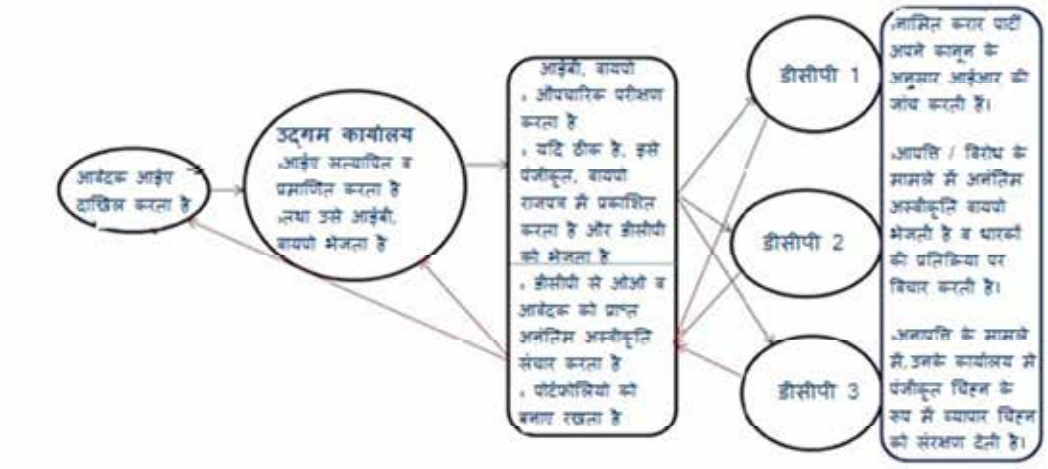

भारत में मैड्रिड प्रणाली का कार्यान्वयन

अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण विंग का निर्माण

मुंबई में व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के प्रमुख कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण विंग की स्थापना की गई है। यह विंग मुख्य रूप से भारतीय उद्यमियों से प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के लिए आवेदनों के संबंध में मैड्रिड प्रणाली के तहत उद्गम कार्यालय के रूप में तथा मैड्रिड प्रणाली के तहत नामित करार पार्टी कार्यालय के रूप में, विदेशी आवेदक के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के संबंध में, जहां भारत को चिह्न के संरक्षण के लिए नामित किया गया है अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है।

उद्गम कार्यालय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण विंग इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से निम्नलिखित कार्य करता है:

- भारतीय उद्यमियों से फॉर्म एमएम 2 पर अंतर्राष्ट्रीय आवेदन प्राप्त करना, उनके साथ ऐसे आवेदनों के विषय में ऑन–लाइन संवाद करना और व्यापार चिह्न रजिस्ट्री (टीएमआर) की व्यापक ई–फाइलिंग सेवाओं के माध्यम से आवेदकों की प्रतिक्रिया प्राप्त करना,
- ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों को सत्यापित करना और प्रमाणित करना और उन्हें वायपो को प्रेषित करना,
- अनियमितताओं के मामले में, यदि भारतीय कार्यालय द्वारा अग्रेषित अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों के संबंध में वायपो (डब्ल्यूआईपीओ) द्वारा सूचित किया जाता है, तो संबंधित आवेदकों

से संपर्क करना और अनियमितताओं के विषय में वायपो (डब्ल्यूआईपीओ) को उत्तर देना,

- उन मामलों में जहां भारत में व्यापार चिह्न आवेदन या पंजीकरण जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय आवेदन दाखिल किया गया था वह खत्म हो जाता है, वायपो को अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के प्रभाव को रोकने के लिए संचार करना।
- साप्ताहिक आधार पर एफटीपी सर्वर के माध्यम से भारत को नामित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरणों के साथ–साथ भारत से उद्गम होने वाले अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों के संबंध में वायपो (डब्ल्यूआईपीओ) के साथ सभी पत्राचार करना।

वर्ष 2018–19 के अंत तक, भारतीय व्यापार चिह्न रजिस्ट्री ने मैड्रिड प्रणाली के तहत व्यापार चिह्न के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण हेतु 1255 आवेदन प्राप्त किए हैं, जिसमें से 1121 आवेदनों का सत्यापन प्रमाणित किया गया है व वायपो (डब्ल्यूआईपीओ) को अग्रेषित किया गया है तथा इन आवेदनों में से 800 चिह्न वायपो के स्तर पर पंजीकृत किए गए थे।

पिछले 4 वर्षों के दौरान मैड्रिड प्रणाली के तहत भारतीय कार्यालय द्वारा प्राप्त व वायपो को प्रेषित भारतीय उद्यमियों के अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों की संख्या निम्नानुसार हैं:

वर्ष	अंतर्राष्ट्रीय आवेदन प्राप्त व वायपो को प्रेषित	वायपो द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण
2014-15	220	134
2015-16	165	126
2016-17	234	97
2017-18	222	205
2018-19	**414**	**238**

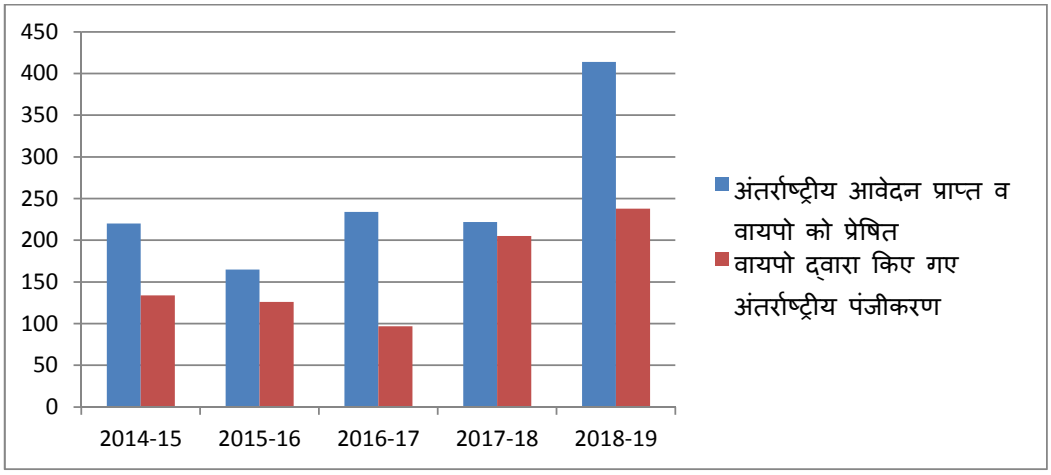

नामित करार पार्टी कार्यालय के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण विंग इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से निम्नलिखित कार्य करता है:

- वायपो (डब्ल्यूआईपीओ) द्वारा भारतीय कार्यालय को अधिसूचित अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण का विवरण व्यापार चिह्न रजिस्ट्री (टीएमआर) डेटाबेस में माइग्रेट करना, और राष्ट्रीय आवेदन के समान आईआरडीआई के रूप में प्रतिरूप रिकॉर्ड बनाना;
- इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के विषय में वायपो की सूचनाओं के अनुसार अपने व्यापार चिह्न रजिस्ट्री (टीएमआर) रिकॉर्ड को अद्यतन करना, जैसे कि धारक के नाम या पते में परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के तहत माल/सेवाओं को प्रतिबंधित करना, त्याग, आदि;
- व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 व उसके तहत बने नियमों के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरणों का परीक्षण करना व यदि उक्त विधान के अनुसार भारत में चिह्न को संरक्षण नहीं प्रदान किया जा सकता है तो वायपो को अनंतिम असम्मति प्रेषित करना;
- हमारी राष्ट्रीय विधि के अनुसार ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के धारकों की ओर से प्रस्तुत अनंतिम असम्मति के विरुद्ध प्रतिक्रिया पर ध्यान देना और कारण बताओ सुनवाई की समय सारणी तय करना;
- राष्ट्रीय व्यापार चिह्न जर्नल में स्वीकृत मामलों को प्रकाशित करना;
- ऐसे प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय पदों के विरुद्ध, यदि कोई हो, तृतीय पक्ष के विरोध को प्राप्त करना, और विरोध के आधार पर वायपो को अनंतिम असम्मति भेजना, अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण धारक की ओर से जवाबी कथन प्राप्त करना और विधि के अनुसार विपक्षी कार्यवाही आयोजित करना;
- ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के संबंध में पंजीकार के आदेशों के खिलाफ दाखिल अपील/रिट याचिका के मामले में कार्यालय का प्रतिनिधित्व करना;
- वायपो (डब्ल्यूआईपीओ) को ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के संबंध में अंतिम (साथ ही आगे के निर्णय, यदि कोई हो) का संचार करना।

वर्ष 2018–19 के अंत तक, वायपो ने भारत में व्यापार चिह्न के संरक्षण के लिए 62041 अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरणों को भारतीय कार्यालय को अधिसूचित किया। वर्ष 2018–19 के दौरान, भारतीय कार्यालय ने मैड्रिड प्रणाली के तहत व्यापार चिह्न के संरक्षण हेतु भारत को नामित करते हुए 14778 अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरणों की अधिसूचना प्राप्त की। व्यापार चिह्न रजिस्ट्री ऐसे नामित आवेदनों का

परीक्षण भारतीय कार्यालय में उपर्युक्त पंजीकरण की तारीख को ही दाखिल राष्ट्रीय आवेदन के रूप में करता है।

वर्ष 2018–19 के अंत तक, भारत में संबंधित चिह्नों के संरक्षण के लिए 30044 चिह्नों के संबंध में आपत्तियों को वायपो को अनंतिम अस्वीकृति के रूप में सूचित किया गया व 1141 मामलों के संबंध में तीसरे पक्ष के विरोध प्राप्त किए गए व 65 विरोध का अंतिम निपटान किया गया।

वर्ष 2018–19 के अंत तक, संरक्षण प्रदान करने के लिए 34963 अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के मामले वायपो प्रेषित किए गए तथा ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरणों के अंतर्गत चिह्नों को भारत में संरक्षण प्रदान किया गया। ऐसे 34963 मामलों में से, 24497 मामलों में अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण धारक द्वारा भारतीय कार्यालय को संपर्क किए बिना चिह्नों को संरक्षण प्रदान किया गया।

वायपो द्वारा अधिसूचित अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरणों की संख्या और सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद गत 4 वर्षों के भीतर वायपो को भेजे गए ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरणों के तहत चिह्नों के संरक्षण का अनुदान इस प्रकार है:

वर्ष	वायपो से प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरणों की अधिसूचना	भारतीय कार्यालय द्वारा अनुदानित अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरणों का संरक्षण
2014-15	11852	157
2015-16	11780	767
2016-17	10156	3359
2017-18	13475	12642
2018-19	14778	18038

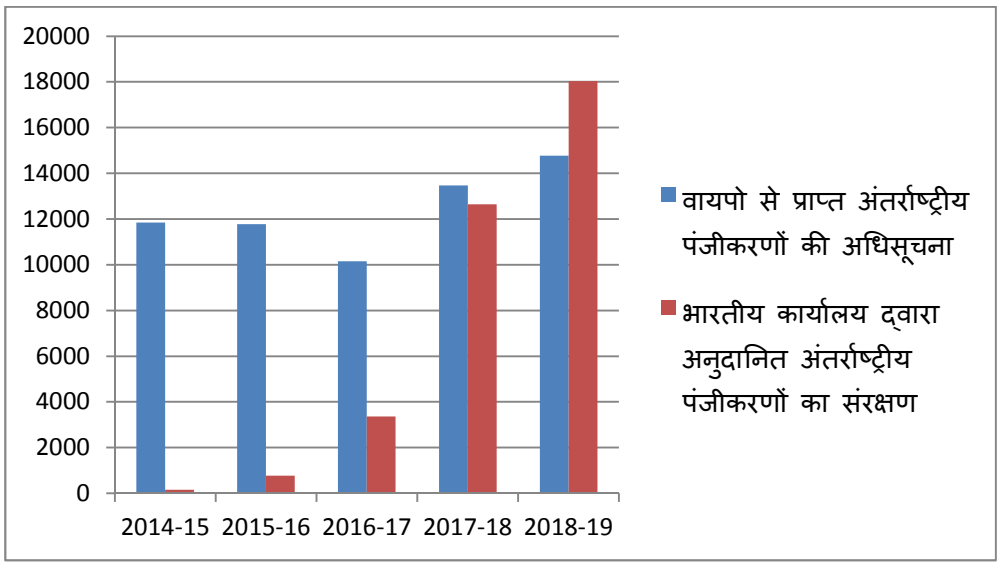

अर्जित राजस्व

भारतीय कार्यालय को वायपो से मैड्रिड प्रणाली के तहत अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों के संबंध में राजस्व प्राप्त होता है, जहाँ भारत में चिह्न का संरक्षण मांगा गया है और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरणों के नवीकरण के संबंध में भी।

वर्ष 2018–19 के दौरान, भारतीय कार्यालय ने चिह्नों के संरक्षण के लिए भारत को नामित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरणों के शुल्क के रूप में रु. 29,70,39,439 (उनत्तीस करोड़ सत्तर लाख उंतालिस हजार चार सौ उंतालिस रुपए) प्राप्त किए।

8. भौगोलिक उपदर्शन

परिचय

भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री की स्थापना का मुख्य उद्देश्य वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक उपदर्शन को पंजीकरण और बेहतर संरक्षा प्रदान करना तथा वस्तुओं के भौगोलिक उपदर्शन (पंजीकरण एवं संरक्षा) अधिनियम,1999 का प्रशासन करना है। भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री कार्यालय चेन्नई में स्थित है।

भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री ने 15 सितम्बर, 2003 से पंजीकरण हेतु भौगोलिक उपदर्शन आवेदन प्राप्त करना प्रारंभ किया। रजिस्ट्री ने मई, 2009 से भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदन प्राप्त करने प्रारंभ किए हैं।

रजिस्ट्री कार्यालय भारतीय भौगोलिक उपदर्शन के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए देश के विभिन्न भागों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। चाय, कॉफी, मसाले, कृषि और बागवानी उत्पाद, हस्तकरघा उत्पाद, हस्तशिल्प, वस्त्र, प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुएँ, दुग्ध उत्पाद, प्राकृतिक वस्तुएँ, स्पिरिट एवं मद्य के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया।

31 मार्च, 2019 तक भौगोलिक उपदर्शन आवेदन की स्थिति

भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री ने 31 मार्च, 2019 तक 645 (छः सौ पैंतालीस) भौगोलिक उपदर्शन आवेदन प्राप्त किए हैं।

रजिस्ट्री ने 31 मार्च, 2019 तक 4720 (चार हजार सात सौ बीस) भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदन प्राप्त किए हैं।

15 सितम्बर, 2003 से अब तक कुल 343 (तीन सौ तेंतालीस) भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) पंजीकृत किए गए हैं। कुल 3607 (तीन हजार छः सौ सात) भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।

01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक कार्यालय ने 32 भौगोलिक उपदर्शन आवेदन व 662

भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदन प्राप्त किए हैं, 23 भौगोलिक उपदर्शन व 908 भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ताओं का पंजीकरण किया गया है।

भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की विस्तृत स्थिति

दाखिल भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की कुल संख्या	**645**
विज्ञापित भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की कुल संख्या	**353**
पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की कुल संख्या	**343**

31 मार्च 2019 तक प्राप्त भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों का अवस्थानुसार विवरण

पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन	343
लंबित भौगोलिक उपदर्शन	235
अन्य निष्पादित भौगोलिक उपदर्शन	67
प्राप्त भौगोलिक उपदर्शन की कुल संख्या	**645**

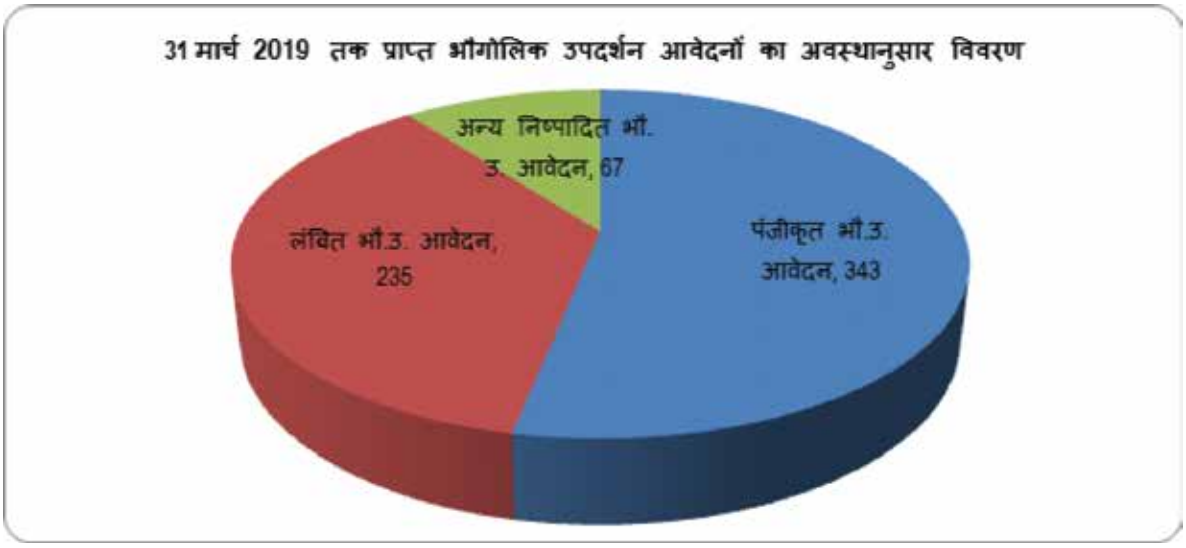

31 मार्च, 2019 तक दाखिल किए गए भौगोलिक उपदर्शन आवेदन का वर्षवार विवरण

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2003-04	6
2004-05	29
2005-06	16
2006-07	33

2007-08	37
2008-09	44
2009-10	40
2010-11	27
2011-12	148
2012-13	24
2013-14	75
2014-15	47
2015-16	17
2016-17	32
2017-18	38
2018-19	32

भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम, 1999 की धारा 2(च) के अनुसार 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन का वस्तुओं के अनुसार विवरण

भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम,1999 की धारा 2(च) के अनुसार वस्तुएँ	प्राप्त भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की संख्या	पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की संख्या
हस्तकला (वस्त्र सहित)	295	202
कृषि	157	103
विनिर्मित	146	20
खाद्य पदार्थ	40	16
प्रकृत	7	2
कुल	**645**	**343**

31 मार्च, 2019 तक राज्यवार पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन

राज्य	भौ. उ. की संख्या
आंध्र प्रदेश	17
अरुणाचल प्रदेश	1
असम	7
बिहार	13
छतीसगढ़	6
गोवा	1

राज्य	भौ. उ. की संख्या
गुजरात	15
हिमाचल प्रदेश	8
भारत (बहु राज्य)– (कर्नाटक व महाराष्ट्र)	1
भारत (केरल व तमिल नाडू)	1
भारत (केरल, कर्नाटक व तमिलनाडू)	1
भारत – (महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश)	1
भारत – (महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा व नागर हवेली, दमन दीव)	1
भारत (पंजाब/ हरियाणा/ हिमाचल प्रदेश/ दिल्ली / उत्तराखंड/उत्तर प्रदेश/ जम्मू व कश्मीर)	1
भारत (पंजाब, हरियाणा व राजस्थान)	1
भारत (आंध्र प्रदेश व उड़ीसा)	1
भारत (कर्नाटक व केरल)	2
भारत (तेलंगाना व आंध्र प्रदेश)	1
जम्मू व कश्मीर	7
कर्नाटक	41
केरल	27
मध्य प्रदेश	10
महाराष्ट्र	30
मणिपुर	4
मेघालय	2
मिजोरम	1
नागालैंड	3
उड़ीसा	15
पाण्डिचेरी	2
राजस्थान	14
सिक्किम	1
तमिलनाडु	30
तेलंगाना	14

राज्य	भौ. उ. की संख्या
त्रिपुरा	1
उत्तर प्रदेश	26
उत्तराखंड	1
पश्चिम बंगाल	21
विदेश	14
कुल	**343**

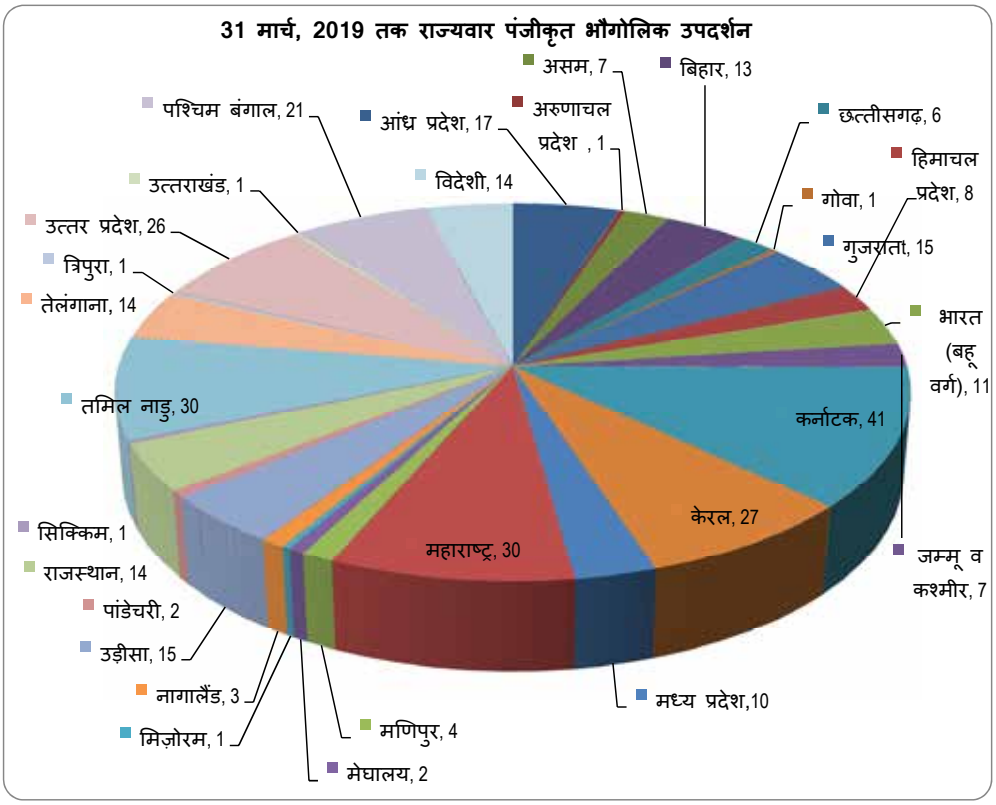

31 मार्च, 2019 तक दाखिल भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों का वर्षवार विवरण

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2003-04	0
2004-05	0
2005-06	0
2006-07	0
2007-08	0

2008-09	0
2009-10	101
2010-11	124
2011-12	145
2012-13	1070
2013-14	471
2014-15	262
2015-16	176
2016-17	1548
2017-18	823
2018-19	**662**

31 मार्च, 2019 तक भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदन की स्थिति

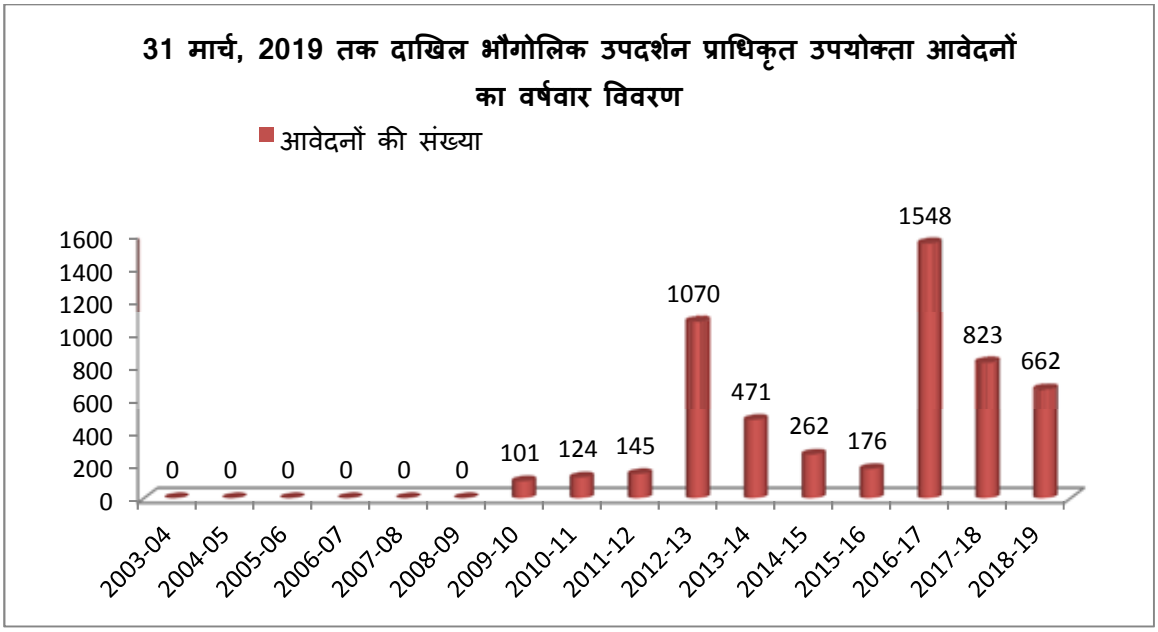

भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या पंजीकृत	3607
भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या परीक्षित	1352
भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या पूर्व–परीक्षित	316
भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या विज्ञापित	107
भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या विरोध	0
भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की कुल संख्या	**5382**

31 मार्च, 2019 तक भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदन का वस्तुओं के अनुसार विवरण

भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम,1999 की धारा 2(च) के अनुसार वस्तुएँ	प्राप्त भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या	पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या
हस्तकला (वस्त्र सहित)	3138	1601
कृषि	2143	1935
विनिर्मित	58	56
खाद्य पदार्थ	42	14
प्रकृत	1	1
कुल	**3897**	**3607**

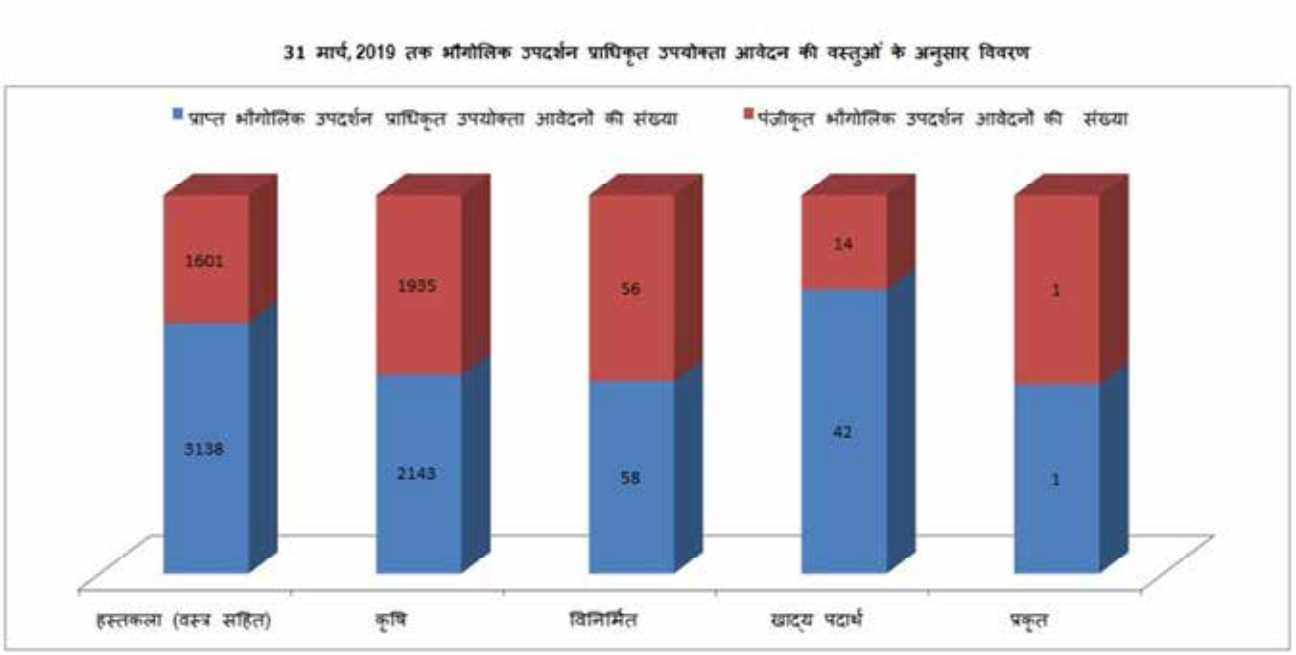

9. कॉपीराइट

परिचय

कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत कॉपीराइट का प्रशासन किया जाता है, जिसमें समय–समय पर संशोधन करके विधि को प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के अनुरूप बनाया गया है। कॉपीराइट किसी कार्य का मालिकाना अधिकार है जिससे वह कार्य के उपयोग को नियंत्रित कर सकता है व उसके उपयोग से आर्थिक रूप से लाभान्वित होता है। इस तरह के कार्य साहित्यिक (संकलन और सॉफ्टवेयर सहित), नाटकीय, संगीत, कलात्मक, सिनेमैटोग्राफ फिल्मों और साउंड रिकॉर्डिंग के रूप में मानव मस्तिष्क का निर्माण हैं।

1. कॉपीराइट कार्यालय की कार्यप्रणाली:

कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 9 (1) के अधीन कॉपीराइट कार्यालय की स्थापना 1958 में की गई थी। पंजीकार के पास कॉपीराइट से संबन्धित मामलों को निपटाने के लिए अर्ध न्यायिक शक्तियाँ हैं। कॉपीराइट कार्यालय का मुख्य कार्य कॉपीराइट का पंजीकरण करना है। कॉपीराइट कार्यालय द्वारा कॉपीराइट के रजिस्टर का रख–रखाव किया जाता है जिससे आम जनता को कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के अधीन पंजीकृत कार्य के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। पंजीकरण के अलावा, रजिस्टर का निरीक्षण करने, विवरण में परिवर्तन, उसका सार लेने, कॉपीराइट सोसाइटी का प्रशासन इत्यादि जैसी सुविधाएं भी कॉपीराइट कार्यालय में उपलब्ध हैं।

जैसा कि कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 13 के तहत प्रावधान किए गए हैं, कॉपीराइट निम्नलिखित वर्ग अथवा कार्यों से निर्वाह करता है:

(i) मूल साहित्यिक, नाटकीय, संगीत व कलात्मक कार्य;

(ii) चलचित्र की फिल्में; और

(iii) ध्वनि रिकॉर्डिंग

कॉपीराइट स्वतः अर्जित होता है और इसके लिए किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। किसी कार्य के बनते ही कॉपीराइट अस्तित्व में आ जाता है और कॉपीराइट प्राप्त करने

के लिए कोई औपचारिकता पूरी करने की आवश्यकता नहीं होती है। हालाँकि, अधिनियम की धारा 48 के अनुसार, कॉपीराइट के पंजीकरण का प्रमाण पत्र और उसमें दर्ज प्रविष्टियाँ कानून की अदालत में कॉपीराइट के स्वामित्व से संबंधित विवाद के संदर्भ में प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में काम करती हैं।

आवेदन पत्र, शुल्क संरचना, कॉपीराइट नियम, 2013 के संबन्धित उद्धरण सहित पंजीकरण प्रक्रिया का विवरण कॉपीराइट की वेबसाइट अर्थात www-http//:copyright.gov.in/ पर उपलब्ध है।

2. कॉपीराइट का स्वामित्व

कॉपीराइट विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार विशिष्ट हैं यद्यपि ये सीमित अवधि के लिए हैं । ऐसे किसी भी कार्य का कार्य के स्वामी की प्राधिकृति/अनुमति के बिना उपयोग कानून का उल्लंघन अथवा कॉपीराइट का अतिलंघन हो सकता है। (कॉपीराइट कानून के तहत कुछ सीमाएं व अपवाद प्रदान किए गए हैं)। कानून यह भी सुनिश्चित करता है कि एक बार इस विशिष्ट अधिकार की अवधि समाप्त होने के उपरांत, आम जनता की कार्य तक सहज पहुँच हो।

3. कॉपीराइट सोसाइटी

भारत में पंजीकृत कॉपीराइट सोसाइटी निम्नलिखित हैं:

- इंडियन पर्फोर्मिंग राइट्स सोसाइटी (आईपीआरएस) – संगीत कार्य व ऐसे संगीत कार्य से जुड़े साहित्यिक कार्यों के लिए।
- इंडियन रेप्रोग्राफिक राइट्स ऑर्गनाइजेशन (आईआरआरओ) – फोटोग्राफी कार्यों के लिए
- इंडियन सिंगर्स राइट्स असोशिएशन (आईएसआरए) – गायकों के अदाकारी के अधिकार तथा उनसे जुडी अन्य सहायक गतिविधियां

4. अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन / संधि / समझौते

विदेशों में भारतीय कार्य को संरक्षा प्रदान करने के लिए, भारत कॉपीराइट और संबंधित अधिकारों पर निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का सदस्य बना हुआ है:

- बर्न कन्वेन्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटररी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स
- यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेन्शन
- ट्रेड रिलेटिड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटलेक्चुयल प्रॉपर्टी राइट्स (ट्रिप्स) समझौता

- नेत्रहीन, विजुअली इंपेयर्ड अथवा अन्यथा प्रिंट डिसेबल व्यक्तियों के लिए प्रकाशित कार्यों तक पहुँच सुलभ बनाने हेतु मरक्केश संधि (मरक्केश ट्रीटी टू फेसिलिटेट एक्सेस टू पब्लिश्ड वर्क्स बाय विजुयली इंपेयर्ड पर्सन्स एंड प्रिंट डिसेबिलिटीज)
- वायपो कॉपीराइट ट्रीटी (डबल्यूसीटी)
- वायपो परफोरमेन्सिस एंड फोनोग्राम्स ट्रीटी (डबल्यूपीपीटी)

5. कॉपीराइट कार्यालय का कार्य परिदृश्य

- कॉपीराइट कार्यालय ने बड़ी उपलब्धि के लिए, आवेदनों की लंबितता को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं तथा तदनुसार, एक माह की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि को छोड़कर लंबितता को घटाकर एक माह कर दिया गया है। पारदर्शिता और हितधारकों की भागीदारी को और बढ़ाने के लिए, कॉपीराइट कार्यालय ने माह के दौरान प्राप्त आवेदनों को कार्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना प्रारम्भ किया है। आवेदक अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन भी देख सकते हैं।
- इसके अलावा, विसंगति पत्र व कॉपीराइट का रजिस्टर (आर.ओ.सी.) अब www.copyright.gov.in. पर पंजीकृत ईमेल के माध्यम से आवेदक को प्रेषित किया जा रहा है। आवेदक अपने कॉपीराइट लॉगिन खाते का उपयोग करके विसंगति पत्र के विरुद्ध अपनी प्रतिक्रिया भी अपलोड कर सकते हैं।
- कॉपीराइट कार्यालय ने साहित्यिक, कलात्मक, संगीत, ध्वनि रिकॉर्डिंग और सिनेमैटोग्राफ फिल्मों के परीक्षण के लिए अभ्यास और प्रक्रिया पुस्तिका प्रकाशित की है।

6. कॉपीराइट की प्रवृत्ति

2018–19 के दौरान, कुल 18250 आवेदन प्राप्त हुए व 22658 आवेदन परीक्षित किए गए। परीक्षण के दौरान, प्रेक्षित विसंगतियों को सुधार के लिए आवेदकों को सूचित किया गया। 2018–19 में उत्पन्न रजिस्टर ऑफ सर्टिफिकेट (आर.ओ.सी.) की संख्या 14625 रही। 2018–19 के सांख्यिकीय आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

वर्ष	कुल प्राप्त आवेदन	कुल परीक्षित आवेदन	उत्पन्न रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट (आरओसी)	विसंगति पत्र जारी	कुल निपटान
2016-17	16617	16584	3596	12988	5444
2017-18	17841	34388	19997	29309	39799
2018-19	**18250**	**22658**	**14625**	**7951**	**25943**

7. अंतर्राष्ट्रीय संधियों में अधिमिलन

वर्ष के दौरान, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा प्रस्तुत भारत के वायपो (डब्ल्यूआईपीओ) कॉपीराइट संधि और वायपो (डब्ल्यूआईपीओ) परफोरमर्स एंड फोनोग्राम्स संधि में अधिमिलन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जो इंटरनेट और डिजिटल वातावरण में कॉपीराइट का विस्तार करता है। ये संधियाँ निम्नलिखित तरीकों से भारत की मदद करेंगी:

- अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट प्रणाली के माध्यम से अपने श्रम के फल का आनंद लेने के लिए रचनात्मक अधिकार धारकों को सक्षम करना, जिसका उपयोग उनके रचनात्मक कार्यों के उत्पादन और वितरण में किए गए निवेश पर वापसी को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है;
- घरेलू अधिकारों के धारक को अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्रदान करना, उन्हें अन्य देशों में समान अवसर क्षेत्र उपलब्ध कराना क्योंकि भारत ने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट आदेश के माध्यम से विदेशी कार्यों के लिए संरक्षण प्रदान किया है और ये संधियाँ भारतीय अधिकार धारकों को विदेशों में पारस्परिक संरक्षण प्राप्त करने में सक्षम बनाएँगी;
- निवेश पर प्रतिलाभ के साथ डिजिटल वातावरण में आत्मविश्वास और रचनात्मक कार्यों को वितरित करना; तथा
- व्यावसायिक विकास में वृद्धि और एक जीवंत रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक परिदृश्य के विकास में योगदान।
- दोनों संधियाँ रचनाकारों और स्वत्वधारियों को उनके कार्यों के संरक्षण के लिए तकनीकी उपकरणों का उपयोग करने और उनके उपयोग के बारे में जानकारी की संरक्षा प्रदान करने के लिए ढांचा प्रदान करती हैं, अर्थात् प्रोटेक्शन ऑफ टेक्नोलोजिकल मेजर्स (टीपीएम) और राइट्स मेनेजमेंट इन्फोर्मेशन (आरएमआई)।

10. अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री

परिचय

यह अध्याय अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम 2000 की धारा 88 के तहत अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री (एसआईसीएलडीआर) द्वारा की गई गतिविधियों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।

अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 अर्धचालक एकीकृत परिपथ (आईसी) डिजाइनों को संरक्षण प्रदान करता है। अर्धचालक एकीकृत परिपथ अर्धचालकों, धातुओं, डाईइलेक्ट्रिक (इंसुलेटर) व अन्य सामग्री की कई परतों को मिलाकर सब–स्ट्रेट पर बनाए (फेब्रीकेट) किए जाते हैं। अधिनियम और नियम एकीकृत परिपथ अभिन्यास के रूप में इन परतों के त्रिआयामी विन्यास को संदर्भित करते हैं।

एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन के पंजीकरण के लिए मानदंड यह है कि वह होना चाहिएः–

- मूल
- विशिष्ट
- किसी भी अन्य अभिन्यास डिजाइन से अलग होने में सक्षम
- भारत में अथवा किसी भी कन्वेंशन देश में कहीं भी व्यावसायिक रूप से उपयोग नहीं किया गया है।

1. अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री (एसआईसीएलडीआर)

एकीकृत परिपथों के विन्यास डिजाइन संबंधी आवेदन बौद्धिक सम्पदा अधिकार के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्री में दाखिल किए जाते हैं। इस रजिस्ट्री का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण भारत है। अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन (एसआईसीएलडी) अधिनियम, 2000 तथा एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन (एसआईसीएलडी) नियम, 2001 में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार रजिस्ट्री एकीकृत परिपथ के विन्यास डिजाइन का परीक्षण करती है व अर्धचालक एकीकृत परिपथ के मूल विन्यास डिजाइन को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करती है।

अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 और अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री का प्रशासन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के नियंत्रण में था, लेकिन 17 मार्च, 2016 की अधिसूचना द्वारा अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 और अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री के प्रशासन को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) को स्थानांतरित कर दिया गया तथा कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न के नियंत्रण में लाया गया। अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री अब बौद्धिक सम्पदा भवन, द्वारका नई दिल्ली से कार्य कर रही है।

2. उपलब्धियां:

वर्तमान वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान, अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन के पंजीकरण के लिए कुल तीन (3) आवेदन प्राप्त किए गए हैं। विगत वर्ष 2017–18 के दौरान, दो आवेदन दाखिल किए गए थे। इन सभी मामलों में परीक्षण रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई हैं।

3. अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री की जनशक्ति संरचना

अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री में निम्नलिखित पदों का सृजन किया गया है:

क्र. सं.	पदनाम	पद (पदों) की संख्या	ग्रेड पे के साथ पूर्व संशोधित वेतनमान
1.	पंजीकार	एक	पीबी4 + जीपी रु. 8700
2.	तकनीकी अधिकारी	एक	पीबी2 + जीपी रु. 5400
3.	निजी सचिव	एक	पीबी2 + जीपी रु. 4600

11. राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम) व पेटेंट सूचना पद्धति (पीआईएस)

बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी गतिविधियाँ पिछले कई वर्षों से देश में निरंतर बढ़ रही हैं। बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के सृजन, उपयोग व सार्थक दोहन में कई जटिल समस्याएं शामिल हैं। देश में बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) के ज्ञान में सुधार लाने और आईपीआर में हितधारकों के कौशल को उन्नत करने के लिए राष्ट्रीय केंद्र की आवश्यकता को महसूस करते हुए भारत सरकार ने बौद्धिक सम्पदा अधिकार के क्षेत्र में प्रशिक्षण, प्रबंधन, शोध और शिक्षण हेतु उच्च कोटि के राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में नागपुर में राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम) की स्थापना की है।

आरजीएनआईआईपीएम एकस्व एवं अभिकल्प, बौद्धिक सम्पदा कार्यालय (आईपीओ) के अधिकारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता को पूरा करता है तथा विभिन्न उपयोक्ता समुदायों हेतु बौद्धिक सम्पदा (आईपी) प्रशिक्षण/शिक्षा व बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

उद्देश्य

आरजीएनआईआईपीएम को देश में बौद्धिक संपदा (आईपी) व्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ स्थापित किया गया है। वर्तमान में, आरजीएनआईआईपीएम का प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न प्रकार के हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करना एवं आईपीआर विषय पर जागरूकता पैदा करना है। फिर भी, समग्र उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- बौद्धिक सम्पदा कार्यालयों की आंतरिक प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करना व उन्हें पूरा करना तथा बौद्धिक सम्पदा कार्यालय के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, न्यायिक प्रशिक्षण आयोजित करना,
- विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों आदि में बौद्धिक सम्पदा जागरूकता पैदा करने और प्रशिक्षित आईपी जनशक्ति का सृजन करने के लिए सार्वजनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति के उद्देश्यों को लागू करना,

- आईपी व्यावसायिकों, आईपी प्रबंधकों, अनुसंधान एवं विकास वैज्ञानिकों, सरकारी संस्थान व व्यक्तियों आदि जैसे आईपी उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना,
- बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) पर अल्पकालिक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना,
- आईपी उपयोगकर्ताओं जिनमें विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्थान और विभिन्न संगठन शामिल हैं उनके बीच आईपी प्रणाली की सामान्य जागरूकता और समझ को बढ़ावा देना,
- उपयोक्ता समुदायों, सरकारी कर्मियों और बौद्धिक सम्पदा अधिकार के सृजन, वाणिज्यिकरण और प्रबंधन में शामिल हितधारकों को आधारभूत शिक्षा प्रदान करना,
- देश में सभी प्रकार के बौद्धिक सम्पदा हितधारकों के लिए स्वयं व प्रमुख संस्थानों के साथ मिलकर बौद्धिक सम्पदा अधिकार के प्रशिक्षण और शिक्षण की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना।

आरजीएनआईआईपीएम में प्रशिक्षण कार्यक्रम

आरजीएनआईआईपीएम निम्नलिखित के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है:

- नवनियुक्त बौद्धिक सम्पदा कार्यालय के अधिकारी (पेटेंट, व्यापार चिह्न आदि),
- बौद्धिक सम्पदा कार्यालय के अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम,
- बौद्धिक सम्पदा कार्यालय के अधिकारियों के लिए विधायी प्रशिक्षण,
- बौद्धिक सम्पदा पर अल्पकालिक सार्वजनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम,
- संस्थानों, संगठनों, आईपीआर से संबन्धित फर्मों के लिए बौद्धिक सम्पदा विषय पर संगोष्ठियाँ/जागरूकता कार्यक्रम,
- वायपो व अन्य संगठनों के साथ संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।

आरजीएनआईआईपीएम बौद्धिक संपदा अधिकारों, अर्थात पेटेंट, डिजाइन, व्यापार चिह्न, भौगोलिक उपदर्शन एवं कॉपीराइट (प्रतिलिप्याधिकार) आदि विषयों पर पेटेंट और अन्य आईपीआर प्रणालियों के वास्तविक और संभावित उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों से व्यावसायिक, स्टार्ट–अप, विधि–व्यावसायिक, भावी पेटेंट/आईपीआर अभिकर्ता, वैज्ञानिक/तकनीकी/अनुसंधान एवं विकास संगठन, लघु व मध्यम उद्यमी, विश्वविद्यालय व्यावसायिक, छात्र, केंद्रीय/राज्य सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के व्यावसायिक, वैयक्तिक आविष्कारक व इच्छुक जनता आदि लाभान्वित होते हैं।

2018–19 के दौरान उपलब्धियां

विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा, आरजीएनआईआईपीएम द्वारा 2018–19 के दौरान आईपीआर विषय पर अनेक सार्वजनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्ष 2018–19 के दौरान, आरजीएनआईआईपीएम ने विभिन्न अवधि के कुल 92 कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें 1–दिन के 16 कार्यक्रम, 2–दिन के 14 कार्यक्रम, 3–दिन के 3 कार्यक्रम, 1–सप्ताह के 9 कार्यक्रम, 2–सप्ताह के 2 कार्यक्रम एवं 39 आईपीआर कार्यशालाएं शामिल हैं। इन सार्वजनिक कार्यक्रमों के अतिरिक्त, 6 विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम अर्थात पेटेंट परीक्षकों के लिए प्रदर्शन सुधार कार्यक्रम व पदोन्नति प्राप्त नियंत्रकों के लिए न्यायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए एवं एशियाई देशों के लिए वायपो के सहयोग से 2 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, अर्थात वायपो–इंडिया समर स्कूल और वायपो–इंडिया पेटेंट सर्च एंड एग्जामिनेशन भी आयोजित किए गए ।

2014–15 से 2018–19 तक सार्वजनिक कार्यक्रम का विवरण

	प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि						परीक्षकों के लिए			संगोष्ठियाँ ध्याम जनता के लिए जागरूकता कार्यक्रम	अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	प्रतिभागी	कुल
	एक दिन	दो दिन	तीन दिन	एक हफ्ता	छः दिन	दो सप्ताह	छह सप्ताह	एक से तीन सप्ताह तक	तीस दिन				
2014-15	—	6	4	2	—	—	—	—	—	6	—	941	18
2015-16	7	12	7	5	—	—	—	—	—	22	—	1179	53
2016-17	31	8	—	8	1	—	4	—	—	42	5	7036	99
2017-18	24	12	8	9	10	—	1	1	—	27 कार्यशालाएं	2	3049	94
2018-19	16	14	3	4	6	2	—	6	—	39	2	5763	92
कुल	78	52	22	28	17	2	5	7	—	136	9	17968	356

संकाय के सदस्य

प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के संकाय सदस्य के रूप में भारतीय पेटेंट कार्यालय, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के विशेषज्ञ व देश के जाने–माने विभिन्न प्रसिद्ध संगठनों जिसमें आईपी न्यायवादी (अटर्नी), आईपी विशेषज्ञ आदि थे।

आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर में सार्वजनिक प्रशिक्षण के विषय का विवरण

1. आईपीआर/आईपी प्रबंधन का परिचय (1 दिन)

1–दिवसीय कार्यक्रम में आईपीआर का संक्षिप्त परिचय, पेटेंट योग्य होने के मापदंड, पेटेंट कार्यवाही, पेटेंट खोज सूचना और पेटेंट विनिर्देश का मसौदा तैयार करना तथा आईपी लाइसेंसिंग, समनुदेशन, प्रवर्तन, आदि विषयों पर प्राथमिक जानकारी शामिल है।

2. पेटेंट आवेदन की प्रक्रिया और उसकी कार्यवाही (2/3 दिन)

2–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान, बौद्धिक सम्पदा अधिकार का महत्व, पेटेंट योग्य होने के मापदंड, पेटेंट आवेदनों के प्रकार, पेटेंट आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया, अनंतिम एवं पूर्ण विनिर्देश, पेटेंट विनिर्देश का लेख, फॉर्म व फीस, ई–फाइलिंग, पीसीटी प्रक्रिया आदि विषय को सम्मिलित किया जाता है। तीन दिन के प्रशिक्षण में, आवेदन दाखिल करने पर पेटेंट विनिर्देशन प्रारूपण, दावों और उनकी व्याख्या के अभ्यास पर विशेष जोर दिया जाता है व अन्य दस्तावेजों को भी शामिल किया जाता है।

3. भारत में पेटेंट प्रणाली (5 दिन)

यह कार्यक्रम पेटेंट प्रणाली के सभी पहलुओं पर विस्तार से ध्यान केंद्रित करने के लिए आयोजित किया जाता है। यह कार्यक्रम इच्छानुसार 1/2/3/5 दिवसीय कार्यक्रमों में विभाजित करके भी आयोजित किया जाता है; ताकि यदि कोई अपनी रुचि के विषय के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना चाहे, तो वह उन दिनों को चुन सकता है। पेटेंट प्रणाली के सभी प्रमुख पहलू जैसे बौद्धिक सम्पदा अधिकार का परिचय, आईपी प्रबंधन, पेटेंट योग्य होने के मापदंड, पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रिया, प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य व आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया, पेटेंट विनिर्देश का लेख, दावे, पेटेंट विनिर्देश का प्रारूपन, विरोध, उल्लंघन, अनिवार्य लाइसेंस एवं प्रौद्योगिकी, पेटेंट सूचना व खोज आदि विषय इस कार्यक्रम में सम्मिलित किए जाते हैं।

4. डिजाइन, व्यापार चिह्न, कॉपीराइट, भौगोलिक उपदर्शन व दाखिल करने की प्रक्रिया पर विशेष कार्यक्रम (1/2 दिवसीय)

यह डिजाइन, व्यापार चिह्न, कॉपीराइट व भौगोलिक उपदर्शन के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया कार्यक्रम है, जो डिजाइन, व्यापार चिह्न, कॉपीराइट और भौगोलिक उपदर्शन के परिचय व उनसे संबन्धित प्रक्रियाओं को शामिल करता है।

5. 2–सप्ताह का उन्नत कौशल विकास सार्वजनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

यह विशेष रूप से तैयार किया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम आईपी समुदाय के उन व्यावसायिकों के लिए है जो इस क्षेत्र में अपनी जीविका को आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। यह विशेषज्ञ संकाय की मदद से आईपीआर के सभी पहलुओं से संबंधित विषयों पर उनके विचारों को स्पष्ट करने में उनकी मदद करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम में सभी बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) जैसे पेटेंट, डिजाइन, व्यापर चिह्न, भौगोलिक उपदर्शन व कॉपीराइट आदि शामिल हैं, जिसमें भारत और विदेश में आवेदन दाखिल करना, पीसीटी

आवेदन का प्रसंस्करण, पेटेंट विनिर्देश और दावे, विरोध, उल्लंघन, अनिवार्य लाइसेंसिंग, आईपीआर का वाणिज्यीकरण, आईपी प्रबंधन, आईपी खोज अभ्यास आदि शामिल हैं।

2018–19 के दौरान अन्य कार्यक्रमों का विवरण

1) विभागीय कार्यक्रम

वर्ष के दौरान, सार्वजनिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त, एक सप्ताह की अवधि के 2–प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें पेटेंट कार्यालय के 98 परीक्षकों के लिए प्रदर्शन सुधार कार्यक्रम एवं पेटेंट कार्यालय के पदोन्नत हुए 87 सहायक नियंत्रकों के लिए न्यायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।

दोनों प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार से तैयार किए गए कि परीक्षक एवं सहायक नियंत्रक अपने संबंधित कार्यालयों में अधिनियम व नियमों के तहत आवश्यक सांविधिक कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। पेटेंट कार्यालय के वरिष्ठ नियंत्रक ऐसे कार्यक्रमों के लिए संकाय सदस्य थे। न्यायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए, उच्च न्यायालय एवं सत्र न्यायालय के प्रसिद्ध संकाय सदस्यों को विशेष रूप से प्रशासन, कानूनी पहलुओं व अर्ध–न्यायिक शक्तियों से संबंधित अन्य पहलुओं पर व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया।

2, वायपो–इंडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम

वायपो एवं महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नागपुर के सहयोग से आरजीएनआईआईपीएम ने दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें से पहला 2 सप्ताह के लिए समर स्कूल कार्यक्रम था, जहां कुल 62 प्रतिभागी थे, जिसमें विदेशी आईपी कार्यालयों के प्रतिभागी भी शामिल थे। दूसरा कार्यक्रम एशियाई देशों के पेटेंट परीक्षकों के लिए ''पेटेंट खोज एवं अवलोकन'' विषय पर 5 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कुल 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पिछले तीन वर्षों से लगातार आयोजित किए जा रहे हैं, जिसे वायपो व भारत दोनों के प्राधिकारियों ने भी सराहा है।

3) रक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम

पिछले कुछ वर्षों से आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर में सम्पूर्ण भारत के रक्षा और आयुध कारखानों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। रक्षा और आयुध कारखानों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का

मुख्य उद्देश्य उन्हें पेटेंट दाखिल करने एवं संबंधित पहलुओं के बारे में जागरूक करना है और साथ ही उन्हें आईपीआर के क्षेत्र में आत्म–विश्वास दिलाना है, यह प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से संचालित गतिविधि है ताकि इन संगठनों को पेटेंट दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

4) बौद्धिक सम्पदा दिवस (आईपी डे) समारोह

आरजीएनआईआईपीएम ने 26 अप्रैल, 2018 को नागपुर में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के सहयोग से विश्व आईपी–दिवस मनाया। आईपीआर के महत्व को बढ़ावा देने के लिए, आरजीएनआईआईपीएम में एक प्रदर्शन स्टाल का आयोजन किया गया, और इसके अतिरिक्त, आरजीएनआईआईपीएम में दो व्याख्यान सत्र आयोजित किए गए, पहले सत्र में आईपीआर एवं व्यावसायीकरण एवं दूसरे सत्र में पेटेंट, व्यापार चिह्न, भौगोलिक उपदर्शन एवं कॉपीराइट से संबंधित प्रक्रियाओं के विषय पर व्याख्यान दिये गए, दोनों सत्रों में प्रेजेंटेशन एवं केस–स्टडी का भी प्रयोग किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, आईपी उपयोगकर्ता समुदाय, उद्योग जगत एवं शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

5) बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) विषय पर निःशुल्क कार्यशाला

वर्ष 2018–19 के दौरान, आरजीएनआईआईपीएम ने आईपीआर विषय के प्रचार–प्रसार एवं बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) पर जागरूकता सृजन के उद्देश्य से विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में पेटेंट प्रक्रियाओं की व्याख्या विषय पर 19 निःशुल्क कार्यशालाएं आयोजित कीं। सभी कार्यशालाओं में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रतिभागियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सीआईआई एवं रेडि टु इन्नोवट संस्थान के सहयोग से नवाचार व आईपीआर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक निःशुल्क कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 70 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

6) अन्य कार्यक्रम

i) **योग दिवसः** 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने के लिए और भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार आरजीएनआईआईपीएम में योग सत्र का आयोजन किया गया और योग पर स्वास्थ्य पहलुओं से संबंधित विचार–विमर्श किया गया।

ii) **हिन्दी पखवाड़ाः** सितम्बर–2018 में कार्यालय में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया जिसमें सभी अधिकारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। वर्ष के दौरान कुछ हिंदी कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं ताकि अधिकारियों को अपने नेमी कार्यों में हिंदी भाषा को शामिल/उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके व उन्हें पूरे वर्ष हिंदी में काम करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके। सभी को कार्य में हिंदी के प्रयोग को शामिल करने का निर्देश भी दिया गया।

पेटेंट सूचना पद्धति

1980 में भारत सरकार ने नागपुर में, पेटेंट सूचना पद्धति (पीआईएस) कार्यालय की स्थापना विश्व स्तर पर पेटेंट विनिर्देशों और पेटेंट से संबंधित साहित्य का विशद् संकलन प्राप्त करने और

बनाए रखने ताकि अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, सरकारी कार्यालयों, उद्योगों, व्यवसायी उद्यमों, आविष्कारकों और भारत के अन्य उपयोक्ताओं की प्रौद्योगिकीय सूचना की आवश्यकता को पूरा किया जा सके व अन्वेषण सेवाओं द्वारा पेटेंट में निहित प्रौद्योगिकी सूचना उपलब्ध कराने तथा पेटेंट विनिर्देशों की प्रति आपूर्ति के उद्देश्य से की।

पेटेंट सूचना (पीआईएस) द्वारा दी जाने वाली सेवाएं :

आधुनिकीकृत सेवा खोज

- अत्याधुनिक सिंहावलोकन,
- ग्रंथपरक आंकड़े व पुनः प्राप्त किए गए पेटेंट दस्तावेजों के सार,
- ग्रंथपरक खोज,
- पुनः प्राप्त किए गए पेटेंट दस्तावेजों के ग्रंथपरक आंकड़े,
- सहायक खोज (उपयोगकर्ताओं को खोज करने हेतु डेटाबेस का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है),
- पेटेंट खोज करने में सामान्य सहायता,
- पेटेंट प्रति आपूर्ति सेवा (पीआईएस)।

12. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

वर्ष के दौरान कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न ने बौद्धिक सम्पदा पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्विपक्षीय के साथ–साथ बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न ने वायपो व अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आयोजित वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण बौद्धिक सम्पदा विषयक मुद्दों पर हुई चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी की। वर्ष के दौरान, अन्य देशों के आईपी कार्यालयों के साथ द्विपक्षीय स्तर पर नए समझौतों और कार्य योजनाओं पर हस्ताक्षर किए गए तथा मौजूदा समझौतों और कार्य योजनाओं के तहत गतिविधियों को निष्पादित किया गया। इस संबंध में 'अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रभाग' ने प्रतिवेदन वर्ष के दौरान कई पहल की हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

1. यूरोपीय पेटेंट कार्यालय (ईपीओ)

वर्ष के दौरान ईपीओ के साथ मिलकर सहयोगी गतिविधियाँ संचालित की गईं। उसकी समाप्ति के बाद, विद्यमान सहमति ज्ञापन को आगामी चार वर्षों की अवधि के लिए नवीकृत कर दिया गया। ईपीओ के प्रतिनिधिमंडल ने जून, 2018 व जनवरी, 2019 के महीने में कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न का दौरा किया जिसमें सहयोग विषयी गतिविधियों परा चर्चा हुई। ईपीओ ने कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न के साथ बौद्धिक सम्पदा कार्यालयों के कार्य में कृत्रिम बुद्धिमता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की अनुप्रयोज्यता संबंधी अपनी समझ को भी साझा किया।

2. जापान पेटेंट कार्यालय

दोनों पक्षों के प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के बीच दोनों पक्षों के सर्वोत्तम कार्य व्यवहारों को साझा करने के लिए अगस्त, 2018 में आईपीओ दिल्ली में बैठक आयोजित की गई। पेटेंट परीक्षकों और नियंत्रकों के ज्ञान के अद्यतीकरण के उद्देश्य से जेपीओ के साथ मिलकर आईपीओ दिल्ली में जनवरी, 2019 में नित नई विकसित हो रहीं तकनीकों पर पेटेंट प्रदान किए जाने के विषय पर एक अन्योन्यक्रिया (इंटरेक्टिव) सत्र का आयोजन किया गया।

3. यूनाइटेड किंगडम का बौद्धिक सम्पदा कार्यालय (यूकेआईपीओ)

वर्तमान में जारी सहयोग गतिविधियों का विश्लेषण करने के लिए यूकेआईपीओ और कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न के प्रतिनिधिमंडल जुलाई, 2018 के महीने

में आईपीओ दिल्ली में मिले। दूसरी बैठक दिसंबर, 2018 में आईपीओ दिल्ली में आयोजित हुई ताकि भारतीय अधिकार धारकों के बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) पर ब्रेक्सिट के प्रभाव को समझा जा सके।

4. डेनिश पेटेंट और व्यापार चिह्न कार्यालय (डीकेपीटीओ)

वर्ष के दौरान कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न और डेनिश पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस (डीकेपीटीओ) के बीच प्रस्तावित सहमति ज्ञापन (एमओयू) प्रारंभ करने पर चर्चा हुई। डीकेपीटीओ के प्रतिनिधिमंडल ने सितंबर, 2018 में कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न का दौरा किया और दोनों पक्षों के बीच हुई चर्चाओं से एक दूसरे की बौद्धिक सम्पदा प्रणाली की परस्पर समझ और गहरी हुई।

5. ताइवान बौद्धिक सम्पदा कार्यालय (टीआईपीओ)

सर्वोत्तम कार्यव्यवहार के हस्तांतरण कार्यक्रम के लिए टीआईपीओ के दो वरिष्ठ परीक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने मई, 2018 में पेटेंट कार्यालय दिल्ली का दौरा किया। यह कार्यक्रम एक सप्ताह की अवधि का था जिसमें भारतीय पेटेंट कार्यालय के विभिन्न प्रभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।

6. अफगानिस्तान सरकार

i) अफगानिस्तान सरकार के अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्र अध्ययन के लिए अप्रैल, 2018 में भारतीय बौद्धिक सम्पदा कार्यालय, दिल्ली का दौरा किया। प्रतिभागियों को भारतीय बौद्धिक सम्पदा प्रणाली का सिंहावलोकन दिखाया गया।

ii) अफगानिस्तान सरकार के अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने मार्च, 2019 में बौद्धिक सम्पदा कार्यालय, दिल्ली का अध्ययन दौरा किया ताकि बौद्धिक सम्पदा विषयक मामलों पर प्रत्यक्ष व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर सकें।

7. दक्षिण केंद्र (साउथ सेंटर)

दक्षिण केंद्र ने अगस्त, 2018 में पेटेंट कार्यालय, मुंबई और दिल्ली में पेटेंट परीक्षकों के लिए कार्यशाला और नियंत्रकों के साथ संवाद के कार्यक्रम आयोजित किए।

8. रॉस्पेटेंट और ईएपीओ

वर्ष 2019 के फरवरी महीने में रॉस्पेटेंट और ईएपीओ (यूरेशियन पेटेंट संगठन) से आए पेटेंट परीक्षकों के लिए पेटेंट कार्यालय, दिल्ली में 'पेटेंट सर्च और टीकेडीएल' पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

9. वायपो सामान्य सभा 2018 एवं द्विपक्षीय सहचर बैठकें

सितंबर 2018 में, श्री ओ.पी.गुप्ता, महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न, श्री नवीन एंड्रू, उप नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प, श्री एस.डी.ओझा, उप पंजीकार व्यापार चिह्न व भौगोलिक उपदर्शन व श्री सुखदीप सिंह, सहायक नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प उस

प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे जिसका नेतृत्व श्री रमेश अभिषेक, सचिव, डीपीआईआईटी ने किया तथा इस प्रतिनिधिमंडल ने वायपो सामान्य सभा बैठक, ब्रिक्स एचआईपीओ की बैठक और वायपो सामान्य सभा के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठकों में भाग लिया।

निम्नलिखित कार्यालयों के साथ वायपो सामान्य सभा के साथ–साथ द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गईं:

1. यूरोपियन पेटेंट ऑफिस
2. डेनिश पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस
3. कनाडा इंटलेक्चुयल प्रॉपर्टी ऑफिस
4. यूरोपियन यूनियन इंटलेक्चुयल प्रॉपर्टी ऑफिस
5. इंटलेक्चुयल प्रॉपर्टी ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड किंग्डम
6. आईएनपीआई–आईपी ऑफिस, फ्रांस
7. अफ्रीकन रीजनल इंटलेक्चुयल प्रॉपर्टी ओर्गनाइजेशन (एआरआईपीओ)
8. स्वीडिश पेटेंट एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिस
9. अफ्रीकन इंटलेक्चुयल प्रॉपर्टी ऑर्गनाइजेशन (ओएपीआई)

KAZAKHSTAN

10. पीसीटी कार्यकारी समूह

सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से कार्यालय प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए आईपी कार्यालय के निरंतर प्रयास के अनुरूप, भारत के प्रतिनिधिमंडल ने वायपो (डब्ल्यूआईपीओ) की ईपीसीटी की सराहना की जो पेपर फाइलिंग को कम करने में मदद करती है। भारत ने ईपीसीटी प्रणाली में और सुधारों को प्रोत्साहित किया, विशेषकर शुल्क के भुगतान और आवेदनों के पूर्ण प्रसंस्करण के संबंध में ताकि प्रसंस्करण समय को कम किया जा सके और प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाया जा सके।

भारतीय बौद्धिक सम्पदा कार्यालय खोज प्रतियों को प्रेषित और प्राप्त करने के लिए वायपो की ईसर्चकॉपी सेवा का भी उपयोग कर रहा है जो खोज प्रतियों को प्रेषित और प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाता है। भारतीय बौद्धिक सम्पदा कार्यालय ने ईसर्चकॉपी सेवा के माध्यम से खोज प्रतियों के प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को बताया।

भारतीय बौद्धिक सम्पदा कार्यालय ने व्यक्तियों, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई), स्टार्टअप, और विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों जैसी विभिन्न श्रेणियों के लिए शुल्क में कटौती का समर्थन किया क्योंकि यह उनके नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है व उन्हें और अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है।

अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो ने पीसीटी शुल्क आय के मुद्रा विनिमय दरों में बदलाव की वजह से

जोखिम को कम करने के लिए संभावित उपाय के रूप में नेटिंग पायलट शुरू किया है। आईबी ने ईपीओ के साथ नेटिंग पायलट प्रारम्भ किया है, जिसमें ईपीओ के लाभ के लिए यूएसपीटीओ द्वारा प्राप्तकर्ता कार्यालय के रूप में एकत्र की गई फीस, ईपीओ के लाभ के लिए इंटरनेशनल ब्यूरो द्वारा प्राप्तकर्ता कार्यालय के रूप में एकत्र की गई फीस, ईपीओ के लाभ के लिए इंटरनेशनल ब्यूरो द्वारा एकत्र की गई अनुपूरक फीस, ईपीओ में प्राप्तकर्ता कार्यालय के रूप में एकत्र किया गया अन्तर्राष्ट्रीय फाईलिंग शुल्क और नियम 16.1 (ङ) के तहत ईपीओ को बकाया या ईपीओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो को बकाया कोई भी धनराशि शामिल है। जनवरी 2018 के लिए हुए लेन–देन के आधार पर पहला नेटिंग लेन–देन 22 फरवरी 2018 को सम्पन्न हुआ। भारत का प्राप्तकर्ता कार्यालय आईएसए/ईपी के साथ 1 अप्रैल, 2018 से और आईएसए/एटी के साथ अगस्त, 2018 से इस पायलट में सम्मिलित हुआ। भारत 7 आईएसए में से आईएसए/यूएस के सिवाय अन्य सभी 6 मान्यता प्राप्त आईएसए के लिए कंप्यूटर आधारित खोज की प्रति सुविधा का उपयोग कर रहा है। भारत डबल्यूआईपीसीएएसई में 2017 से अभिगम कार्यालय और जनवरी, 2018 से प्रदानकर्ता कार्यालय दोनों की भूमिका निभा रहा है। भारत डबल्यूआईपीओ डीएएस के 18 प्रतिभागी कार्यालयों में से एक प्रतिभागी कार्यालय भी है जिसने डबल्यूआईपीओ डीएएस के माध्यम से दस्तावेज भेजने की शुरुआत मई, 2018 से कर दी है।

पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी के संबंध में, भारतीय बौद्धिक सम्पदा कार्यालय ने कार्य समूह को सूचित किया कि अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरणों की बैठक में भारतीय पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) को पीसीटी न्यूनतम दस्तावेज में जोड़ने के लिए सैद्धांतिक सहमति के बाद, भारत सरकार वर्तमान में टीकेडीएल तक पहुँच के समझौते के नियम और शर्तें संशोधित कर रही है। भारतीय पेटेंट कार्यालय संशोधन के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकारियों के साथ समझौते को साझा करने के लिए तत्पर है।

11. ब्रिक्स – आईपीआर सहयोग

वर्ष के दौरान, कंपनीज एंड इंटलेक्चुयल प्रॉपर्टी कमीशन ऑफ साउथ अफ्रीका (सीआईपीसी) ने "ब्रिक्स आईपीआर सहयोग रोडमैप" कार्यक्रम के तहत ब्रिक्स एचआईपीओ की अध्यक्षता की। तदनुसार, फरवरी 2019 में सीआईपीसी ने रोसपेटेंट–रशियन फेडरेशन के साथ मिलकर प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में ''ब्रिक्स परीक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम' का आयोजन किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीजीपीडीटीएम–भारत कार्यालय के दो परीक्षकों के साथ–साथ ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के बौद्धिक सम्पदा कार्यालयों के परीक्षक शामिल हुए। फरवरी 2019 में प्रिटोरिया में आयोजित 'ब्रिक्स आईपी समन्वय समूह बैठक' में सीजीपीडीटीएम–भारत का प्रतिनिधित्व श्री सूबेन्दु कुंडू, उप नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प ने किया। सितम्बर–अक्तूबर, 2018 में जेनेवा, स्विट्जरलेंड में आयोजित 58वीं वायपो सामान्य सभा के साथ हुई ब्रिक्स एचआईपीओ की बैठक में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका के बौद्धिक सम्पदा कार्यालयों के प्रधान अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ शामिल हुए।

12. अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरणों की 26 वीं बैठक और पीसीटी गुणवत्ता उपसमूह की 9 वीं बैठक में भारत की भागीदारी:

2013 में आईएसए और आईपीईए के रूप में कार्य प्रारम्भ करने के बाद, भारतीय पेटेंट कार्यालय (आईपीओ) पीसीटी गुणवत्ता उपसमूह और अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरणों की बैठक (एमआईए) जो प्रत्येक वर्ष आयोजित होती है, उसमें भाग लेता रहा है। 11 से 14 फरवरी 2019 तक कायरो, इजीप्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरणों की 26वीं बैठक और पीसीटी के तहत 9वें गुणवत्ता उपसमूह में भारत का प्रतिनिधित्व सुश्री रेखा वी., उप नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प ने किया। पीसीटी गुणवत्ता उपसमूह के विषय पेटेंट कार्यालयों में स्थापित गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) से संबंधित हैं और पीसीटी के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए गुणवत्ता सुधार करने का तरीका है। एमआईए ने पीसीटी प्रणाली में सुधार पर भी चर्चा की।

(क) क्यूएमएस पर रिपोर्ट

2019 की क्यूएमएस रिपोर्ट में आईपीओ ने यह उजागर किया है कि यह कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट स्थापित करने की समय सीमा निरंतर बनाए रखता है।

(ख) एमआईए 2019 में भारत का प्रस्ताव

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, जब एक बार पीसीटी सभा किसी कार्यालय की नियुक्ति अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में कर देती है तो व्यवहार्यतः वे आवेदक जो पीसीटी के सदस्य देशों के नागरिक/प्रवासी हैं, अपने अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों के लिए उस प्राधिकरण का चयन आईएसए या आईपीईए के रूप में नहीं कर पाएंगे। किसी

प्राधिकरण का चयन आईएसए या आईपीईए के रूप में करने के लिए उस सदस्य देश के प्राप्तकर्ता कार्यालय के द्वारा उस प्राधिकरण को सक्षम आईएसए/आईपीईए के रूप में घोषित किया जाना होगा जहाँ का नागरिक या प्रवासी वह आवेदक है। 26वें एमआईए में, भारतीय पेटेंट कार्यालय ने एक प्रस्ताव (पीसीटी/एमआईए/26/12) प्रस्तुत किया जिससे सभी पीसीटी आवेदक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खोज और प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकरण का चयन अपने अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों की खोज और परीक्षण के लिए कर सकते हैं। आईपीओ ने कहा कि आईएसए/आईपीईए के रूप में अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण का चयन करने की आवेदकों को दी गई अनुमति से अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरणों के बीच सहयोग और अधिक अर्थपूर्ण होगा। इसके अतिरिक्त, प्रक्रिया के सरलीकरण और आवेदकों को अधिक विकल्प उपलब्ध करा कर पीसीटी प्रणाली, पीसीटी आवेदकों द्वारा व्यवसाय करने की सहजता बेहतर तरीके से उपलब्ध करा सकेगी। संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा और सर्वोत्त्म कार्य व्यवहार का प्रसार होगा। आईपीओ ने कहा कि इस प्रस्ताव को लागू करने से अधिक से अधिक आवेदक पीसीटी प्रणाली का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। बैठक में इस प्रस्ताव पर और चर्चा करने का निर्णय लिया गया।

(ग) पीसीटी न्यूनतम प्रलेखन में टीकेडीएल का समावेश

भारत ने प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का क्रम जारी रखा, जो पहले अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरणों की बैठक (एमआईए) 2015 में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें भारत के पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) को पीसीटी न्यूनतम दस्तावेज के भाग के रूप में शामिल किया जाना था। टीकेडीएल पाँच अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं (अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, जापानी और स्पेनिश) में आयुर्वेद, युनानी, सिद्ध और योग संबंधी भारत के पारंपरिक ज्ञान पर भारत सरकार द्वारा निर्मित अपनी तरह का प्रथम डिजीटल प्रलेखन है जो विश्व के प्रमुख पेटेंट कार्यालयों द्वारा पेटेंट खोज के लिए वर्तमान में प्रयोग में लाया जा रहा है तथा यह प्रथम पारंपरिक ज्ञान डाटाबेस है जिसे पीसीटी न्यूनतम प्रलेखन में शामिल करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। कुछ प्राधिकरणों ने उपयोग आंकड़े, गोपनीयता और अप्रकटीकरण अपेक्षाओं संबंधी टीकेडीएल अभिगम समझौते के कुछ उपबंधों के विषय में चिंता व्यक्त की है। यह मामला अभी पीसीटी न्यूनतम प्रलेखन टास्क फोर्स के विचाराधीन है और भारतीय पेटेंट कार्यालय पीसीटी न्यूनतम प्रलेखन में टीकेडीएल को यथाशीघ्र सम्मिलित करने की दिशा में प्रयासरत है।

13. प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा बर्हि-क्रियाकलाप

परिचय

बौद्धिक सम्पदा अधिशासियों का कौशल और दक्षता बढ़ाने तथा बौद्धिक सम्पदा कार्यालयों की क्षमता सृजन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न ने नए परीक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और नियंत्रकों के लिए पुनश्चर्या/विधायी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिससे मानव संसाधन का एक मजबूत आधार सृजित हुआ।

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न ने उद्योग संगठनों जैसे एफआईसीसीआई, सीआईआई, एसोचम, पीएचडीसीसीआई, सीडबल्यूईआई इत्यादि के सहयोग से आम जनता के साथ–साथ शोध व विकास संस्थानों, विश्वविद्यालयों, उद्योग, स्टार्टअप, नवाचार केंद्र, प्रवर्तन अभिकरणों के लिए संपर्क कार्यक्रम संचालित करने की दिशा में पहल की है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य बौद्धिक सम्पदा संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों और सरोकारों की व्यापक समझ बनाने, बौद्धिक सम्पदा अधिकार की संरक्षा और प्रवर्तन विषयक ज्ञान प्रदान करने और जागरूकता बढ़ाने के साथ–साथ व्यवसायों का सशक्तीकरण करने के लिए बौद्धिक सम्पदा अधिकार का लाभ उठाना था। बौद्धिक सम्पदा कार्यालय के अधिकारी विश्वविद्यालयों, टीआईएफएसी, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम, एनआरडीसी व उद्योग संगठनों द्वारा संचालित जागरूकता कार्यक्रमों में ज्ञान स्रोत व्यक्ति के रूप में नियमित भाग लेते रहे हैं।

1. कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न की ओर से राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम (2018–19)

2018–19 के दौरान, कार्यालय ने निम्नलिखित हितधारकों के लिए विभिन्न उद्योग संगठनों जैसे फिक्की, सीआईआई, एसोचेम, पीएचडीसीसीआई, सीडबल्यूईआई आदि के साथ मिलकर कार्यक्रम आयोजित किए:

1. विश्वविद्यालय जैसे विधि विश्वविद्यालय/तकनीकी संस्थान/महिला विश्वविद्यालय
2. प्रवर्तन एजेंसी
3. नवाचार केंद्र/स्टार्ट अप/सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम
4. विद्यालय

वर्ष के दौरान कुल 91 कार्यक्रम संचालित किए गए। विवरण परिशिष्ठ 1 में दिया गया है जो यहाँ संलग्न है।

परिशिष्ट 1

1	विश्वविद्यालय	16
2	नवाचार केंद्र व स्टार्ट अप, औद्योगिक समूह, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम(एमएसएमई)	12
3	प्रवर्तन एजेंसी	04
4	विद्यालय	59
5	**कुल**	91

2. 2018-19 में बौद्धिक सम्पदा-जागरूकता कार्यक्रम

अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और विश्वविद्यालयों में बौद्धिक सम्पदा और आविष्कार प्रबंधन पर जागरूकता सृजित करने के उद्देश्य को जारी रखते हुए वर्ष 2018–19 में औद्योगिकी संगठनों के साथ 32 कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। आयोजित कार्यक्रमों की सूची निम्नवत है:

औद्योगिक संगठन का नाम	**वर्ष 2018-19 में औद्योगिक संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रम**			
	विश्वविद्यालय/तकनीकी संस्थान/महिला विश्वविद्यालय	**स्टार्टअप/नवाचार केंद्र/एमएसएमई/ औद्योगिक समूह**	**प्रवर्तन एजेंसी**	**कुल**
सीआईआई	01	01	—	02
पीएचडी चैम्बर	05	04	—	09
सीडबल्यूईआई	04	03	01	08
एफआईसीसीआई	02	01	01	04
एसोचेम	04	03	02	09
कुल	16	12	04	32

प्रत्येक पेटेंट कार्यालय द्वारा विद्यालयों / अटल टिंकरिंग लैब्स में आयोजित आईपीआर जागरूकता कार्यक्रमों का सारांश इस प्रकार है:

पेटेंट कार्यालय का नाम	**प्रत्येक पेटेंट कार्यालय को विद्यालयों / अटल टिंकरिंग लैब्स के लिए निर्दिष्ट कार्यक्रम**	**प्रत्येक पेटेंट कार्यालय द्वारा विद्यालयों / अटल टिंकरिंग लैब्स के लिए आयोजित कार्यक्रम**
कोलकाता	15	15
मुंबई	15	15
चेन्नई	15	19
नई दिल्ली	15	10
कुल	60	59

वर्ष 2018–19 में कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न द्वारा कुल 114 जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

3. भारत और विदेश में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बैठकों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिकारियों की भागीदारी

क्रम सं.	प्रशिक्षण / सेमिनार / कार्यशाला / कार्यक्रम में भाग लिया	देश जिसका दौरा किया गया	अधिकारियों की संख्या जिन्होंने भाग लिया
1.	आई पी एंड ब्लॉकचेन सम्मेलन (मॉस्को में 16–17 अप्रैल 2018)	मॉस्को, रूस	2
2.	वियना, ऑस्ट्रिया में 18–24 अप्रैल, 2018 तक ईस्ट मीट्स वेस्ट फोरम	वियना, ऑस्ट्रिया	1
3.	23–26 अप्रैल 2018 तक व्यापार चिह्न, औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक उपदर्शन (एससीटी) के विधान पर वायपो की स्थायी समिति का 39वां सत्र	जेनेवा, स्विट्जरलैंड	1
4.	30 अप्रैल से 04 मई 2018 तक जेनेवा में चिह्नों के पंजीकरण के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के लिए नाइस यूनियन की वायपो विशेषज्ञ समिति का 28वाँ सत्र	जेनेवा, स्विट्जरलैंड	1
5.	3री बौद्धिक सम्पदा कार्यालय कार्यशाला : 22 मई 2018 को आईएनटीए की वार्षिक बैठक के दौरान 21वीं शाताब्दी की ओर कार्य	सिएटल, वाशिंगटन	1
6.	10 से 12 मई, 2018 तक ईस्ट लंदन, दक्षिण अफ्रीका में 18वीं ब्रिक्स सीजीइटीआई बैठक	ईस्ट लंदन, दक्षिण अफ्रीका	1
7.	11–12 जून, 2018 तक जेनेवा में आयोजित लिस्बन प्रणाली के विकास पर कार्यकारी समूह	जेनेवा, स्विट्जरलैंड	1
8.	18–22 जून, 2018 तक जेनेवा में आयोजित पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) कार्यकारी समूह का 11वां सत्र	जेनेवा, स्विट्जरलैंड	1
9.	24–28 जून, 2018 तक जेनेवा में बौद्धिक सम्पदा और अनुवांशिक संसाधनों, परंपरागत ज्ञान तथा लोक कथा (आईजीसी) पर तदर्थ विशेषज्ञ समूह तथा अंतर्राष्ट्रीय सरकारी समिति का 36वां सत्र	जेनेवा, स्विट्जरलैंड	1
10.	25–29 जून, 2018 तक टोक्यो, जापान में आयोजित दूसरी आरसीईपी डब्ल्यूजीआईपी अंतर सत्रीय बैठक.	टोक्यो, जापान	1
11.	2–13 जुलाई 2018 तक फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा अध्ययन के लिए ग्रीष्मकालीन विद्यालय केन्द्र (सीईआईपीआई)	फ्रांस	2
12.	9–12 जुलाई 2018 तक जेनेवा में पेटेंट के विधान पर वायपो की स्थायी समिति (एससीपी) का 28वां सत्र	जेनेवा, स्विट्जरलैंड	1
13.	06 अगस्त से 10 अगस्त 2018 तक जेपीओ में बौद्धिक सम्पदा पर जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए जेपीओ/आईपीआर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	टोक्यो, जापान	2

14.	3–5 सितंबर 2018 तक जेनेवा में आयोजित प्रवर्तन की परामर्शदात्री समिति (एसीई) का 13वां सत्र	जेनेवा, स्विट्जरलैंड	1
15.	3–14 सितंबर, 2018 तक टोक्यो, जापान में डिजाइन के आधारभूत परीक्षण पर जेपीआ/ आईपीआर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	टोक्यो, जापान	4
16.	19–26 सितंबर, 2018 तक पेटेंट परीक्षण प्रबंधन पर जेपीओ/ आईपीआर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	टोक्यो, जापान	4
17.	20 सितंबर, 2018 से 09 नवम्बर, 2018 तक जेपीओ/आईपीआर संचालित (ओपरेशनल) पेटेंट परीक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम	टोक्यो, जापान	4
18.	23–27 सितंबर, 2018 तक वायपो के सदस्य राज्यों की सभाओं की बैठक की 58वीं श्रृंखला	जेनेवा, स्विट्जरलैंड	2
19.	24 सितंबर से 2 अक्टूबर 2018 तक जेनेवा में पीसीटी यूनियन असेम्बली बैठक	जेनेवा, स्विट्जरलैंड	1
20.	24 सितंबर से 2 अक्टूबर 2018 तक जेनेवा में मैड्रिड यूनियन असेम्बली बैठक	जेनेवा, स्विट्जरलैंड	1
21.	15–19 अक्तूबर 2018 तक जेनेवा में वायपो मानकों की समिति (सीडब्ल्यूएस) का छठा सत्र	जेनेवा, स्विट्जरलैंड	1
22.	16–17 अक्टूबर 2018 तक जापान में पेटेंट सूचना के प्रसार और प्रभावी उपयोग पर वायपो क्षेत्रीय कार्यशाला	टोक्यो, जापान	2
23.	12 नवंबर 2018 को पेटेंट परीक्षण सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	सियोल, कोरिया गणतंत्र	1
24.	19 से 23 नवम्बर 2018 तक जेनेवा में विकास और बौद्धिक सम्पदा की समिति (सीडीआईपी) का 22वां सत्र	जेनेवा, स्विट्जरलैंड	1
25.	21–23 नवम्बर 2018 तक बीजिंग, चीन में पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) पर एशिया और पैसिफिक के देशों के लिए क्षेत्रीय सेमिनार	बीजिंग, चीन	1
26.	21 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2018 तक व्यापार चिह्न के आधारभूत परीक्षण पर जेपीओ/आईपीआर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	टोक्यो, जापान	3
27.	3 से 6 दिसंबर, 2018 तक जिनेवा में पेटेंट विधान पर वायपो की स्थायी समिति (एससीपी) का 29वां सत्र	जेनेवा, स्विट्जरलैंड	1
28.	17–20 दिसंबर 2018 तक सूचना प्रौद्योगिकी पर जेपीओ/ आईपीआर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	टोक्यो, जापान	1
29.	कायरो में 13–14 फरवरी 2019 तक पीसीटी (पीसीटी/एमआईए) के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरणों की बैठक और 11–12 फरवरी 2019 तक एमआईए गुणवत्ता उपसमूह का 26वां सत्र	कायरो, इजिप्ट	1
30.	26 फरवरी से 2 मार्च 2019 तक टोक्यो, जापान में बौद्धिक सम्पदा सेमिनार	टोक्यो, जापान	2
31.	28 फरवरी से 01 मार्च 2019 तक गोटेंग, प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स समन्वय समूह की बैठक	गोटेंग, प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका	1

32.	25 फरवरी से 01 मार्च 2019 तक प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में सीआईपीसी तथा रॉसपेटेंट द्वारा आयोजित आई पी ब्रिक्स 2019 परीक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम	गोटेंग, प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका	2
33.	11 मार्च, 2019 को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समूह (असियान) पेटेंट परीक्षण सहयोग (एएसपीईसी) टास्क फोर्स बैठक, 12 से 13 मार्च 2019 तक पेटेंट परीक्षकों के लिए कम्यूनिटी ऑफ प्रैक्टिस (सीओपी), 14 और 15 मार्च 2019 को खोज और परीक्षण प्रणाली तक वायपो की केन्द्रिकृत पहुँच (सीएएसई) के प्रयोग पर वायपो–असियान क्षमता निर्माण कार्यशाला	सिंगापुर	3
34.	18–22 मार्च, 2019 तक जेनेवा में बौद्धिक सम्पदा और अनुवांशिक संसाधनों, परंपरागत ज्ञान तथा लोक कथा (आईजीसी) पर अंतर–सरकारी 39वां सत्र	जेनेवा, स्विट्जरलैंड	1
35.	25 मार्च से 5 अप्रैल 2019 तक ओस्लो (नॉर्वे) में वायपो–निपो पेटेंट गुणवत्ता कार्यक्रम	ओस्लो, नॉर्वे	1

4. विश्व आईपी दिवस समारोह

राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2018

राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्रत्येक वर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के अवसर पर कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न और औद्योगिक संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा सीआईआई के साथ पेटेंट, व्यापार चिह्न, डिजाइन, और भौगोलिक उपदर्शन के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कारों का उद्देश्य अपनी रचनाओं और उद्यमों की पहचान कर व्यक्तियों और उद्यमियों को उनके बौद्धिक सम्पदा सृजन और वाणिज्यिकरण के लिए सम्मानित करना है जिसने देश की बौद्धिक निधि बढ़ाने में तथा बौद्धिक संपदा पारितंत्र सृजित करने में योगदान दिया है जिससे रचनात्मकता और नवाचार को बल प्राप्त होता है। इस वर्ष यह कार्यक्रम 26 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

राष्ट्रीय आईपी पुरस्कार 2018 के लिए पुरस्कार विजेताओं की सूची:

क्र.सं.	राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा (आईपी) पुरस्कार श्रेणी	आवेदक का नाम
1	पेटेंट व व्यवसायीकरण शीर्ष व्यक्ति	डॉ. हनमापूरे बसगोंडा भगवंत
2	पेटेंट व व्यवसायीकरण हेतु शीर्ष भारतीय शैक्षणिक संस्थान	एसआरएम वैज्ञानिक और प्रोद्योगिकी संस्थान
3	पेटेंट व व्यवसायीकरण हेतु शीर्ष अनुसंधान – विकास संस्थान/संगठन	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद

4	पेटेंट और व्यावसायीकरण के लिए शीर्ष भारतीय पब्लिक लिमिटेड कंपनी/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (भारतीय)	विप्रो लिमिटेड
5	पेटेंट और व्यावसायीकरण के लिए शीर्ष भारतीय पब्लिक लिमिटेड कंपनी/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (विदेशी)	सैमसंग आर एंड डी संस्थान भारत–बंगलौर प्राइवेट लिमिटेड
6	पेटेंट और व्यावसायीकरण के लिए शीर्ष भारतीय निजी कंपनी (सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम)	मोंक आकारशाला प्राइवेट लिमिटेड
7	डिजाइन के लिए शीर्ष भारतीय कंपनी/संगठन	साब्यसाची कोट्चूर
8	भौगोलिक उपदर्शन के पंजीकरण और भारत में पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति/संगठन	पी. संजय गांधी
9	देश में आईपी के प्रवर्तन के लिए श्रेष्ठ पुलिस यूनिट (एक कमिश्नरेट में जिला/क्षेत्र)	1 नगर, विजयवाड़ा शहर पुलिस

इस अवसर पर, दो वायपो पुरस्कार जो बौद्धिक संपदा में विशिष्ट सफलताओं के लिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (वायपो) द्वारा वार्षिक आधार पर दिए जाते हैं एवं जो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कारों की उपयुक्त श्रेणी से संबंधित हैं, वे संबंधित श्रेणी में विजेताओं को, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2018 के साथ प्रदान किए गए।

वायपो पुरस्कार विजेताः

क्र.सं.	वायपो पुरस्कार	तदनुरूपी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2018	पुरस्कार विजेता का नाम
1	आविष्कारक के लिए वायपो पदक	पेटेंट और वाणिज्यिकरण शीर्ष व्यक्ति	डॉ. हनमापूरे बसगोंडा भगवंत
2	वायपो आईपी एंटरप्राइज ट्रॉफी	शीर्ष भारतीय सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी / प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	विप्रो लिमिटेड

14. मानव संसाधन

परिचयः

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न के अधीक्षण एवं प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत पेटेंट कार्यालय, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री, भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री, पेटेंट सूचना पद्धति (पीआईएस)/ राजीव गाँधी राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम) अपनी गतिविधियाँ निष्पादित करते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में, भारत सरकार द्वारा आवेदनों के परीक्षण व निपटान में पिछले शेष कार्य को कम करने के लिए एकस्व कार्यालय और व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री (परीक्षक और नियंत्रक/पंजीकार) में अतिरिक्त जनशक्ति की भर्ती के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं।

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने 12वीं योजना के तहत "बौद्धिक संपदा कार्यालयों के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण" (एमएसआईपीओ) के लिए सीजीपीडीटीएम कार्यालय में 481 पदों (एकस्व कार्यालय के लिए 373 और व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के लिए 108) के सृजन को मंजूरी दी थी, जिसमें एकस्व परीक्षक के 252 पद, नियंत्रक के 76 पद (पर्यवेक्षी अधिकारी) और व्यापार चिन्ह परीक्षक के 62 पद शामिल हैं। इसके अनुसरण में सीजीपीडीटीएम कार्यालय ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) के साथ एक समझौता किया है जिसके अनुसार, 459 एकस्व परीक्षक जिसमें 12वीं योजना के पद और पूर्व में रिक्त अग्रेनीत पद शामिल है, की भर्ती फरवरी 2016 में प्रतियोगी परीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से पूरी की गई। चयनित उम्मीदवारों में से, 458 उम्मीदवारों ने एकस्व कार्यालय में परीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। 31 मार्च, 2017 को, परीक्षकों की कार्मिक शक्ति 580 और नियंत्रकों की 134 थी। 31 मार्च, 2018 तक, एकस्व कार्यालय में 572 परीक्षक और 134 नियंत्रक कार्यरत थे।

भारत सरकार ने और कुशल सेवाओं के प्रदान हेतु कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न में और 362 पदों (219 पेटेंट कार्यालय के लिए व 143 व्यापार चिह्न कार्यालय के लिए) को स्वीकृत किया है। इसमें परीक्षक एकस्व के 84 पद व परीक्षक व्यापार चिह्न के 38 पद शामिल हैं।

एकस्व कार्यालय में परीक्षकों की भर्ती हेतु किए गए समझौते के अनुसार राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) ने 220 पदों को विज्ञापित किया। एनपीसी ने अखिल भारतीय स्तर पर क्रमशः 30 सितंबर, 2018 और 18 नवंबर, 2018 को प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाएं आयोजित कीं। वर्ष 2018–19 के दौरान एनपीसी ने परीक्षकों के 220 विज्ञापित पदों का परिणाम घोषित किया।

31 मार्च, 2019 को परीक्षकों को पदोन्नति मिलने के परिणामस्वरूप, एकस्व कार्यालय में परीक्षकों की कार्मिक शक्ति 449 और नियंत्रकों की 246 थी।

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री में भी जनशक्ति की वृद्धि हुई। 31 मार्च, 2017 को व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री में 48 परीक्षक, 12 वरिष्ठ परीक्षक और 14 पंजीकर थे। 31 मार्च 2019 को, 68 परीक्षक, 36 वरिष्ठ परीक्षक और 19 पंजीकर थे।

1. महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प व व्यापार चिह्न कार्यालय, मुंबई के अंतर्गत विभिन्न बौद्धिक सम्पदा कार्यालयों में मानव संसाधन

31 मार्च, 2019 तक महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न कार्यालय के तहत अनुमोदित और नियोजित व कार्मिक शक्ति का विवरण

क्र. सं.	पदनाम	नियोजित शक्ति	कार्मिक शक्ति
1	महानियंत्रक	1	1
2	निजी सचिव	1	1
3	स्टाफ कार ड्राइवर	1	1
4	मल्टी–टास्किंग स्टाफ	1	0
	कुल	4	3

हालाँकि, कार्य को सुचारू रूप से चलाने और सुव्यवस्थित करने के लिए सीजीपीडीटीएम कार्यालय में एकस्व कार्यालय और व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री से आवश्यक संख्या में अधिकारी तैनात हैं।

2. पेटेंट कार्यालय में मानव संसाधन

पेटेंट कार्यालयों की कार्मिक शक्ति परिशिष्ट–क में दर्शायी गई है। यह परिशिष्ट सभी चार कार्यालयों में 31.03.2019 को अनुमोदित कार्य–शक्ति के साथ–साथ नियोजित कार्मिक शक्ति की भी सूचना प्रदान करता है।

3. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री में मानव संसाधन

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री की कार्मिक शक्ति परिशिष्ट ख में दर्शाई गई है। यह परिशिष्ट सभी पाँच कार्यालयों में 31.03.2019 को अनुमोदित कार्य–शक्ति के साथ–साथ नियोजित कार्मिक शक्ति की भी सूचना प्रदान करता है।

4. भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री में मानव संसाधन

भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री का अपना अलग अनुमोदित मानव संसाधन है। परिशिष्ट–ग भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री की 31.03.2019 को अनुमोदित कार्य–शक्ति के साथ–साथ नियोजित कार्मिक शक्ति की भी सूचना प्रदान करता है।

5. पीआईएस एवं आरजीएनआईआईपीएम में मानव संसाधन

31.03.2019 को पीआईएस एवं आरजीएनआईआईपीएम के अधिकारियों एवं कार्मिक शक्ति का विवरण परिशिष्ट–घ में दिया गया है।

31 मार्च, 2019 तक पेटेंट कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारियों की कार्मिक शक्ति का विवरण

क्र.स.	पदनाम	वर्ग	अनुमोदित शक्ति									नियोजित शक्ति										
			कोलकाता		मुंबई		चेन्नई		दिल्ली		कुल	कोलकाता		मुंबई		चेन्नई		दिल्ली		कुल		
			गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.
1	वरिष्ठ संयुक्त नियंत्रक, एकस्व व अभिकल्प	समूह क	1	0	1	0	1	0	1	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2	संयुक्त नियंत्रक, एकस्व व अभिकल्प	समूह क	3	0	2	0	3	0	3	0	11	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0
3	निदेशक	समूह क	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	उप सचिव	समूह क	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	उप नियंत्रक, एकस्व व अभिकल्प	समूह क	4	10	3	5	3	11	6	9	16	35	4	10	3	5	3	10	6	9	16	34*
6	प्रधान व्यवस्था विश्लेषक	समूह क	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	सहायक नियंत्रक, एकस्व व अभिकल्प	समूह क	13	22	13	11	39	10	41	47	106	90	13	22	13	10	39	9	41	45	106	86
8	वरिष्ठ व्यवस्था विश्लेषक	समूह क	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	समूह क	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	परीक्षक, एकस्व व अभिकल्प	समूह क	46	56	15	16	26	52	134	104	221	452^	46	56	15	16	26	52	134	104	221	228*
11	सहायक निदेशक (राभा)	समूह क	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी	समूह क	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	प्रशासनिक अधिकारी	समूह क	0	1	1	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	लेखा अधिकारी	समूह क	0	0	0	2	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	व्यवस्था विश्लेषक / कंप्यूटर प्रोग्रामर	समूह क	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		कुल	68	89	39	34	72	74	194	162	373	583	63	88	31	31	69	71	183	159	346	349

1	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	समूह ख (राजपत्रित)	1	0	1	1	1	0	1	1	4	2	1	0	1	1	1	0	1	1	4	2
2	सहायक पुस्तकाध्यक्ष व सूचना अधिकारी	समूह ख (राजपत्रित)	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1
3	निजी सचिव	समूह ख (राजपत्रित)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0	1	0	1	0	1	0	0	0	3
4	वित्त अधिकारी	समूह ख (राजपत्रित)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	भंडार अधिकारी	समूह ख (राजपत्रित)	1	0	1	0	1	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		कुल	3	1	3	3	2	1	3	2	11	7	2	1	1	3	1	1	1	1	5	6

*1 उप नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर में नियुक्त

^बाद में वितरण किया जाएगा

क्र. सं.	पदनाम	वर्ग	अनुमोदित शक्ति										नियोजित शक्ति									
			कोलकाता		मुंबई		चेन्नई		दिल्ली		कुल		कोलकात		मुंबई		चेन्नई		दिल्ली		कुल	
			गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.
1	कार्यालय अधीक्षक	समूह ख (अराजपत्रित)	20	6	12	2	13	1	19	3	64	12	18	6	12	0	10	0	10	3	50	9
2	पुस्तकालय एवं सूचना सहायक	समूह ख (अराजपत्रित)	1	0	1	0	1	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
3	क.हिन्दी अनुवादक	समूह ख (अराजपत्रित)	1	0	0	0	1	0	1	0	3	0	1	0	0	0	1	0	1	0	3	0
4	आशुलिपिक वर्ग–1	समूह ख (अराजपत्रित)	4	0	2	0	2	0	2	0	10	0	1	0	1	0	1	0	0	0	3	0
5	लेखाकार	समूह ख (अराजपत्रित)	0	1	1	1	0	1	0	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	विधि सहायक	समूह ख (अराजपत्रित)	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		कुल	27	7	17	3	18	2	25	4	87	16	20	6	13	0	12	0	12	3	57	9

1	फोटोग्राफी सहायक	समूह ग	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0
2	प्रवर श्रेणी लिपिक	समूह ग	25	0	7	9	11	4	14	7	57	20	21	0	0	0	6	3	9	5	36	8
3	आशुलिपिक – वर्ग II	समूह ग	1	1	0	1	0	1	0	2	1	5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
4	डाटा इंट्री ऑपरेटर	समूह ग	0	1	0	4	0	0	0	5	0	10	0	1	0	3	0	0	0	5	0	9
5	निम्न श्रेणी लिपिक	समूह ग	9	0	13	0	10	0	12	0	44	0	6	0	9	0	6	0	10	0	31	0
6	मल्टी–टास्किंग स्टाफ	समूह ग	31	0	5	0	10	0	10	4	56	4	22	0	4	0	9	0	7	3	42	3
		कुल	67	2	26	14	32	5	37	18	162	39	50	1	14	3	22	3	27	15	113	22

परिशिष्ट–ख

31 मार्च, 2019 तक व्यापार चिह्न रजिस्ट्री की कार्मिक शक्ति का विवरण

क्र.स.	पदनाम समूह क	अनुमोदित शक्ति												नियोजित शक्ति											
		मुम्बई		कोलकाता		चेन्नई		दिल्ली		अहमदाबाद		कुल		मुम्बई		कोलकाता		चेन्नई		दिल्ली		अहमदाबाद		कुल	
		गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.
1	वरिष्ठ संयुक्त पंजीकार, व्यापार चिह्न व भौ. उ.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	संयुक्त पंजीकार, व्यापार चिह्न व भौ.	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	5	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0
3	उप पंजीकार, व्यापार चिह्न व भौ. उ.	6	0	2	0	2	0	4	0	1	0	15	0	3	0	2	0	1	0	2	0	1	0	9	0
4	सहायक पंजीकार, व्यापार चिह्न व भौ. उ.	9	1	2	0	5	0	9	1	4	0	29	2	3	0	0	0	2	0	1	0	1	0	7	0
5	वरिष्ठ परीक्षक, व्यापार चिह्न व भौ. उ.	24	15	0	3	5	4	16	4	1	2	46	28	9	1	3	0	7	1	12	0	3	0	34	2
6	सहायक निदेशक (राभा)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
7	लेखा अधिकारी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	44	16	5	3	13	4	30	5	6	2	98	30	17	1	5	0	11	1	16	0	5	0	54	2

^ भौ.उ. रजिस्ट्री के लिए

क्र. सं.	पदनाम समूह ख (राजपत्रित)	अनुमोदित शक्ति												नियोजित शक्ति											
		मुम्बई		कोलकाता		चेन्नई		दिल्ली		अहमदाबाद		कुल		मुम्बई		कोलकाता		चेन्नई		दिल्ली		अहमदाबाद		कुल	
		गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.
1	परीक्षक, व्यापार चिह्न व भौ.उ.	25	73	4	4	7	6	19	10	7	5	62	98 75*	3	41	0	4	0	4	1	10	0	5	4	64 71*
2	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	सहायक पुस्तकाध्यक्ष व सूचना अधिकारी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
4	निजी सचिव	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1
5	भंडार अधिकारी	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	30	74	5	4	8	7	20	11	8	5	71	101 75*	6	41	0	4	0	5	1	10	0	5	7	65 71*

* संविदा के आधार पर परीक्षक, व्यापार चिह्न

क्र. सं.	पद नाम समूह ख (अराजपत्रित)	अनुमोदित शक्ति												नियोजित शक्ति											
		मुम्बई		कोलकाता		चेन्नई		दिल्ली		अहमदाबाद		कुल		मुम्बई		कोलकाता		चेन्नई		दिल्ली		अहमदाबाद		कुल	
		गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.
1	कार्यालय अधीक्षक	6	2	0	1	1	0	1	1	0	1	8	5	3	0	2	0	1	0	0	0	0	0	6	0
2	पुस्तकालय व सूचना सहायक	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3	आशुलिपिक समूह I	3	0	2	0	2	0	2	0	1	0	10	0	2	0	2	0	2	0	1	0	1	0	8	0
4	सहा. परीक्षक, व्या. चिह्न व भौ. उ.	14	2	2	0	3	0	7	0	6	0	32	0	4	0	2	0	1	0	2	0	1	0	10	0
5	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	लेखाकार	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	26	4	5	1	7	0	12	1	7	1	57	5	10	0	6	0	4	0	3	0	2	0	25	0

क्र. सं.	पदनाम समूह ग	अनुमोदित शक्ति												नियोजित शक्ति											
		मुम्बई		कोलकाता		चेन्नई		दिल्ली		अहमदाबाद		कुल		अहमदाबाद		मुम्बई		कोलकाता		चेन्नई		दिल्ली		कुल	
		गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.
1	सहायक अधीक्षक	7	0	1	0	1	0	1	0	1	0	11	0	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	10	0
2	रोकड़िया	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	प्रवर श्रेणी लिपिक	25	0	5	0	5	1	4	1	3	0	42	2	21	0	3	0	3	0	1	0	0	0	28	0
4	आशुलिपिक समूह II	0	3	1	1	0	1	2	4	0	0	3	9	0	2	1	1	0	0	2	4	0	0	3	8
5	अवर श्रेणी लिपिक	20	0	3	0	7	0	5	0	3	0	38	0	7	0	2	0	4	0	4	0	1	0	18	0
6	डाटा इंट्री ऑपरेटर	0	0	0	2	0	1	0	4	0	2	0	9	0	0	0	2	0	0	0	3	0	1	0	6
7	मल्टी–टास्किंग स्टाफ	25	0	4	0	7	0	9	0	3	1	48	1	13	0	2	0	6	0	4	0	3	0	28	0
	कुल	**78**	**3**	**15**	**3**	**21**	**3**	**22**	**9**	**10**	**3**	**146**	**21**	**47**	**2**	**9**	**3**	**14**	**0**	**12**	**7**	**5**	**1**	**87**	**14**

परिशिष्ट–ग

31 मार्च, 2019 तक भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री में कार्मिक शक्ति का विवरण

क्र.सं.	पदनाम	अनुमोदित शक्ति	नियोजित शक्ति
1	वरिष्ठ संयुक्त पंजीकार, व्यापार चिह्न व भौ.उपदर्शन	1	0
2	सहायक पंजीकार, व्यापार चिह्न व भौ.उपदर्शन	1	0
3	वरिष्ठ परीक्षक, व्यापार चिह्न व भौ.उपदर्शन	1	1
4	आशुलिपिक II	1	1
5	मल्टी–टास्किंग स्टाफ	1	1
	कुल	**5**	**3**

परिशिष्ट–घ

31 मार्च, 2019 तक पीआईएस और आरजीएनआईआईपीएम के अधिकारियों और कार्मिक शक्ति का विवरण

क्र.सं.	पदनाम	अनुमोदित शक्ति	नियोजित शक्ति
1	वरिष्ठ प्रलेखन अधिकारी	1	0
2	कार्यालय अधीक्षक	1	1
3	वरिष्ठ प्रलेखन सहायक	1	0
4	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	1	1
5	आशुलिपिक समूह I	1	1
6	भंडार सहायक	1	1
7	कनिष्ठ रिप्रोग्राफी सहायक	3	3
8	सहायक अधीक्षक	1	1
9	स्वागतकर्ता	1	1
10	शेल्फ सहायक	1	1
11	प्रवर श्रेणी लिपिक	3	3
12	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	2	2
13	आशुलिपिक समूह II	1	0
14	अवर श्रेणी लिपिक	3	3
15	हिंदी टंकक	1	1
16	मल्टी–टास्किंग स्टाफ	4	4
	कुल	**26**	**23**